Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण

बुधवार, १३ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ४ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, विकास, स्वायत-शासन, वन स्वास्थ्य, आयुर्वेद, वित्त, कृषि, सिंचाई, सहकारी श्रम, राजस्थान केनाल एवं चुनाव-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम चोरू, तहसील उनियारा में 'बड़ा कुआ'

६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम चोरू, तहसील उनियारा में 'बड़ा कुआ' है और उसमें साविका जल बोर्ड, टोंक की ओर से धन-राशि दी गई थी ? यदि हां तो कितनी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसके कार्य में जनता चोरू ने भी चन्दा दिया था ? यदि हां, तो कितनी धन-राशि का और सरकार से क्या क्या सहायता दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कुए का हिसाब पेश हो गया था तथा उसका ऑडिट भी हो गया था ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त कुआ अब भी जनता के काम में आता है और उस पर किसी का व्यक्तिगत कब्जा नहीं है ? यदि किसी का व्यक्तिगत कब्जा है तो किसका ?

(५) क्या यह भी सही है कि चोरू ग्राम में सिवाय इस कुए के और अन्य कुआ नहीं है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): अध्यक्ष महोदय, इसको उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । अगले टर्न पर....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । अभी वर्षा वगैरह है इसलिये इसका उत्तर नहीं आया है इसलिये नहीं दिया जा सकता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा ५४–५५ में १५ हजार रुपये सरपंच को दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कुछ समय चाहते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं सन् ५६ से बराबर इस प्रश्न को पूछ रहा हूँ और सन् ५६ से ये समय चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से चाहे जो सरपंच हो अगर वह आधे कागज पर भी कोई एन्ट्री करता है तो उसको धारा १७ में सस्पेन्ड किया जाता है और यहां २२ हजार की गड़बड़ी की है उसका कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद आपके पास गया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर हमारे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? राजपूतों के लिये मालपुरा में तलवारें चल रही हैं। उसको तो सस्पेन्ड कर दिया जिसने आधे कागज में इन्द्राज कर दिया और दूसरे के साथ में, जिसने रुपयों में गबन किया उसके साथ कुछ नहीं। उनका भी आखरी समय होगा और मेरा भी आखरी समय होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने इस संबंध में आपकी शिकायत को नोट कर लिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नोट कर लेंगे तो इलाज नहीं होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इनको ज्यादा मालूम है इसलिये जवाब की जरूरत नहीं।

श्री अनूपसिंह : प्रश्न किया है तो उत्तर की जरूरत है ही।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर अगली टर्न पर मिल जावेगा ऐसी आशा की जाती है।

नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ६१

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

सवाई मानसिंह हाईवे के आसपास गंदगी

६२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हाईवे जो गांधीनगर-युनिवर्सिटी की तरफ जाता है, उस सड़क के दोनों तरफ बहुत गन्दगी रहती है जिससे आम जनता को कष्ट होता है?

(२) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हाईवे से राजानगर युनिवर्सिटी–गांधीनगर एरिया में म्युनिसिपैलिटी की तरफ से या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से शौचालय बने हुए हैं? अगर हां, तो किस किस जगह पर

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कभी इसका निरीक्षण भी किया है, जहां मानसिंह हाईवे की सड़क जाती है। दोनों वक्त आप कभी उधर पधारे नहीं होंगे। इसके लिये म्युनिसिपैलिटी या अर्बन इम्प्रूवमेंट

Page No.3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

बोर्ड की तरफ से प्रबन्ध होना चाहिये। सुबह ही सुबह दर्शन हो जाते हैं। इस पर ध्यान दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

अमीनों के भत्ते का भुगतान

६३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी कार्यालय, सिरोही के लिये वन बन्दोबस्त अधिकारी के कार्यालय से सिरोही कार्यालय का एक अधिकारी अमीनों को भत्ते देने के लिये अप्रेल सन् ६१ में कुछ धन-राशि ले गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने वह रकम उसी समय रोकड़ में जमा नहीं की और अमीनों को समय पर भत्ता नहीं मिला ?

(३) क्या इस विषय की सूचना वन संरक्षक योजना एवं सीमांकन अधिकारी को भी तार द्वारा दी गई थी ?

वन मन्त्री (श्री संपतराम) : (१) जी हां। माह अप्रेल सन् १९६१ में नहीं परन्तु माह मार्च सन् १९६१ में।

(२) यह रकम उदयपुर से तारीख ८-३-६१ को मिली थी और रोकड़ में तारीख १३-३-६१ को जमा हुई।

(३) जी हां।

प्रश्न संख्या ६४

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछने के लिए कहा है कि मेरा प्रश्न पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : पहले दूसरे प्रश्न ले लें, पीछे समय रहा तो देख लेंगे।

(विराम)

नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक जिले में मेडिकल सुविधाएं

६५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में एलोपैथिक चिकित्सा की कमी है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने कभी टोंक डिस्ट्रिक्ट को और अधिक मेडिकल सुविधा देने हेतु सर्वे कराया है ?

(२) क्या सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि २००० और ४००० के बीच की आबादी वाले कस्बों में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां खोली जावें ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील देवली में कस्बा दूनी, आवा, नासिरदा, धूंवा कलां, धाड़, राजमहल, नगर, तहसील उनियारा में बनेठा ऐसे कस्बे हैं जिनकी आबादी तीन हजार और चार हजार के बीच की है, फिर भी वहां एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां नहीं हैं ?

Page No.4

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(४) कस्बा दूनी और आवां में मकान की व्यवस्था होने पर भी अब तक डिस्पेन्सरी नहीं खोले जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जिला टोंक में १२ अस्पताल व डिस्पेन्सरीज हैं। गत वर्ष डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर हुई केबिनेट मीटिंग के निर्णयानुसार जनाना अस्पताल टोंक के लिये नया भवन व २० टी० बी० रोगियों के लिये एक वार्ड जनाना बनवाने का निश्चित हुआ है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिले का कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

(२) जी हां, ३००० से अधिक आबादी वाले कस्बों में जहां आयुर्वेदिक औषधालय न हो तथा ५ मील के आस-पास अन्य मेडिकल एड पोस्ट न हो तथा भवन दान रूप में व उसके लिए नकद रुपया प्राप्त हो ऐसे स्थानों पर डिस्पेन्सरी खोली जाती है। आयुर्वेदिक औषधालय १००० से अधिक आबादी वाले कस्बे में खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(३) जी हां।

(४) इन कस्बों में चिकित्सालय खोलने के विषय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि सन् ५८ में जब मैंने यह निवेदन किया था कि यहां पर डिस्पेन्सरी होनी चाहिये तो डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज से मेरे नाम यह आया था कि दूसरे प्लान में दूनी में एलोपेथिक डिस्पेन्सरी का प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें। मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करूं कि जितनी पंचायत समितियां ये हैं उनमें हम डिस्पेन्सरी खोलते हैं और यह हमारे दूसरे प्लान में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि आप पंचायत समितियों के लिए फरमाते हैं, लेकिन पंचायत समिति तो ३०-३० मील की दूरी पर है। १०-१२ हजार पहाड़ी जनता रहती है गांवों में। दस-दस मील की दूरी पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय जरूर हैं, लेकिन एलोपैथिक कोई है ही नहीं। आप तकलीफ करें, मैं आपको मोटर में ले जाऊं। एक जाट को बैल ने मार दिया। आंत निकल रही थी और उसको बांध के रखा था। उनियारा और देवली के सिवाय डिस्पेन्सरी नहीं है। इसलिए दूनी में डिस्पेन्सरी खोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टोंक जिले में १२ डिस्पेन्सरियां मौजूद हैं। पंचायत समिति में ही खोलते हैं। जो जगह बतायी, दो हजार चार हजार की जनसंख्या में आयुर्वेदिक औषधालय खोलते हैं। चिकित्सा की फेसिलिटी सरकार दे रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : १२ कहां है ? ७-८ तो मालपुरा कॉन्स्टिट्युएन्सी में हैं। उनियारा में तो एक है देवली में दूसरी है। और कोई हो तो बता दीजिये मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में डाक्टर तो भेजिये। भोपालपुरा में दूसरा डाक्टर ही नहीं गया है।

Page No.5

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १२ हैं। निवाई, टोडारायसिंह डिस्पेन्सरी, अलीगढ डिस्पेन्सरी. मालपुरा, डिग्गी. उनियारा, देवली आदि।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : डॉक्टर नहीं पहुंचा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : २५-२५ हजार की जनता बगैर मेडिकल एड के रह रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप मान कर चलिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Quite right.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पंचायत समिति के अध्यापकों को वेतन-बस्सी

६६. **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बस्सी (जयपुर) द्वारा पंचायत समिति के अध्यापकों को माह दिसम्बर. १९६० तथा जनवरी, फरवरी १९६१ का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां. तो क्यों ? यदि दिया गया है तो किस किस माह का कब कब ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): जी नहीं। दिसम्बर ६० तथा जनवरी, फरवरी १९६१ तीनों माह का वेतन दिनांक २१-३-६१ व २९-३-६१ को दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जी नहीं, किस तरह से कह रहे हैं ? दिसम्बर, जनवरी और फरवरी की तनख्वाह मार्च में दी गई इसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शिक्षा विभाग से बजट नहीं मिला था इसलिए देरी से मिली।

श्री भैरोंसिंह : क्या पंचायत समिति में रकम नहीं थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : थी, लेकिन शिक्षा विभाग से देरी से आयी। इसलिए पंचायत के पास जो पी० डी० अकाउन्ट का पैसा था उसमें तनख्वाह दी गई।

श्री भैरोंसिंह : दिसम्बर, जनवरी, फरवरी की तनख्वाह मार्च में दी गई। एक्चुअली समय पर पेमेंट होना चाहिये था, तो क्या पंचायत समिति के कोष में एक्चुअली पैसा था या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन चीज यह थी कि शिक्षा विभाग से फन्ड्स ट्रान्सफर हुए उसमें से तनख्वाह दी जानी चाहिये थी। चूंकि बजट आया नहीं था इसलिए पी० डी० अकाउन्ट्स में से तनख्वाह दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपका आशय यह है कि शिक्षा विभाग की गलती के कारण से समय पर बजट न आया और पेमेंट न हो सका ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समय पर बजट नहीं आया था।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.6

लालसोट कस्बे में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

६७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

लालसोट कस्बे की जन-संख्या दस हजार के करीब होते हुए भी वहाँ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं व अब कब तक खोल दिया जावेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार पंचायत समिति की सिफारिश पर केवल फर्स्ट स्टेज ब्लाक में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते है। लालसोट में अभी फर्स्ट स्टेज ब्लॉक नहीं है। अत: फिलहाल यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं स्थापित किया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसा आधार बताया है कि पंचायत समिति सिफारिश करेगी तब ही खोला जावेगा तो क्या जहां पर आवश्यकता है और पंचायत समिति सिफारिश नही करती है तो नहीं खोला जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी सरकार की नीति है कि पंचायत समिति लोकेशन डिसाइड करती है और पंचायत समिति को ही सिफारिश करनी चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार को सर्वे करवा कर जनता का ध्यान रखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार के ऐसा करने में रुकावट नहीं, लेकिन पंचायत समिति के द्वारा ही यह तय हो तो उत्तम रहता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यदि पंचायत लिखती है तो क्या उसकी वह बात मान्य नहीं समझी जानी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत समिति में ही खोलने की नीति है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपसी मतभेद से न खोले तो बहुत सी पंचायतों को यह सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी। इसलिए पंचायत को ही इस विषय को देखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य समझे ही नहीं। एक पंचायत समिति में एक सेंटर खोलते हैं इसलिए सारे पंचायतों के पंच मिलकर तय करते हैं, नहीं तो हर एक पंचायत कहेगी कि हमारे यहां खोलो तो यह तो बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसीलिए पंचायत समिति की सिफारिश पर ही रखा है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

डिस्ट्रिक्ट टोंक में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी

६८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने जिले का सर्वे कराया है ? अगर हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील देवली और तहसील उनियारा में निम्न लिखित ग्राम ऐसे हैं जिनकी आबादी ५०० और १०००

(विराजा श्री सरदारसिंह)

से भी ऊपर है : (१) निवारिया (२) सीतापुरा (३) गैरोली (४) हीन्दादो (५) सांवतगढ़ (६) चांदली (७) साडला, तहसील उनियारा (१) पलाई (२) खातोली (३) महमदगढ़ (४) सोप (५) चोरू पचाला।

(३) क्या यह सही है कि जिला परिषद् टोंक ने उपरोक्त ग्रामों में औषधालय खोलने की सिफारिश सरकार को की है ? अगर हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री दौलतराम सारण): (१) आयुर्वेदिक औषधालय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जन-संख्या के लक्ष्य को अपनाते हुए जिला परिषदों के प्रस्तावानुसार खोले जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत १४ हजार की जनसंख्या पर एक औषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है तथा जिला टोंक में ४० औषधालय वर्तमान में हैं, जिससे ११००० की जनसंख्या पर एक औषधालय चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है; जो पर्याप्त ही मानी जा सकती है। अतः औषधालय की कमी व जिले के सर्वे कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी हां।

(३) सन् १६६०-६१ में जिला परिषद् टोंक ने केवल निवारिया और खातोली ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की सिफारिश की थी। उस वर्ष जिले में १४ हजार की जनसंख्या पर एक औषधालय खोले जाने का लक्ष्य था। जनसंख्या कम होने से औषधालय नहीं खोला जा सका।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आप से कहूँ कि जनसंख्या तो दो-दो हजार निवारिया और टोडा की है। आपने कहा १४ अॉलरेडी मौजूद है। मैंने आपको लिस्ट दी है। वहां गत दस वर्षों में एक भी औषधालय नहीं खोला गया है।

श्री दौलतराम सारण : स्थिति मैं वर्णित कर चुका हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब सरकार की क्या नीति है ? जिला परिषद् ने भी सिफारिश कर दी है ?

श्री दौलतराम सारण : नीति यह है कि साधनों के अनुसार चिकित्सा की सुविधा प्रदान करें। जितनी सुविधा उपलब्ध थी वह आयोजन के आधार पर दी गई है और उसी के अनुसार आपके क्षेत्र में भी दे रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कहां काम में लेते हैं ? प्रायोरिटी पहले अपने क्षेत्रों को देते हो।

श्री दौलतराम सारण : जहां आवश्यकता होती है वहां देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लिस्ट दी है परन्तु पंचायतों की इन इन जगहों पर क्यों नहीं सुविधा दी ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान केनाल के उद्घाटन अवसर पर व्यय

६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मंत्री राजस्थान केनाल निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

Page No.8

(श्री भैरोंसिंह)

(१) ३० मार्च, १९५८ को राजस्थान केनाल के उद्घाटन के अवसर पर कुल कितना खर्चा हुआ था और किस किस मद पर ? कृपया मदवार खर्च की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इस खर्चे के लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने खर्चे के लिये ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में जयपुर से ले-जाई गई स्पेशल ट्रेन में जाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो कृपया विधान सभा के सदस्यों अथवा मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों को छोड़ कर जो जनता के व्यक्ति उसमें गये, उनके नाम बताये जावें।

(४) क्या वहां कोई एटहोम (At Home) किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की व्यवस्था की गई तथा कितने व्यक्तियों को बुलवाया गया ?

राजस्थान केनाल मन्त्री (श्री राम चंद्र चौधरी) : (१) राजस्थान केनाल के उद्घाटन पर ३३,२००) रुपये खर्च हुए थे। खर्चे की मदवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकार ने उक्त खर्चे की स्वीकृति दिनांक ६ जून, १९६० को दी थी।

(३) जी हां। प्राप्त रेकॉर्ड अनुसार निम्नलिखित गैर सरकारी व्यक्ति स्पेशल ट्रेन में गये थे जिनसे किराया वसूल कर लिया गया था :

१. श्री हरलालसिंह

२. श्री थिरानी

३. श्री डी० पनीकर

४. श्री पी० एल० पारीख

५–८. पत्र-प्रतिनिधि ४

९. श्री चमनसिंह।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : सरकार को स्वीकृति के बिना यह रुपया किस प्रकार से खर्च किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शुरू में पंतजी ने आने की स्वीकृति दी तो उस समय कम टाइम था इसलिए एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ इन्जीनियर की एक कमेटी हुई और उन्होंने खर्चे को गवर्नमेंन्ट के सामने मंजूरी के लिए रखा। सेंक्शन उस समय नहीं दी जा सकी, लेकिन खर्चा किया गया।

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी ने कितने खर्चे के लिए सरकार से स्वीकृति चाही थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ३८ हजार और कुछ रुपयों के लिए, जिसमें से ३३, २०० ही खर्च हुए।

श्री भैरोंसिंह : खर्चा किये जाने के पहले या उसके बाद ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि शुरू में १० हजार की ही स्वीकृति दी थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शुरू में ३८ हजार की ही थी।

श्री भैरोंसिंह : यह रकम स्वीकृत थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : स्वीकृत।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त एन्टीसीपेशन में यह रकम स्वीकृत थी क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : स्वीकृत थी।

श्री भैरोंसिंह : स्पेशल ट्रेन में जो पेसेन्जर्स ले जाये गये थे वे फर्स्ट क्लास के पेसेन्जर थे या थर्ड क्लास के ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : फर्स्ट क्लास के।

श्री भैरोंसिंह : स्पेशल ट्रेन जो एम० एल० एज० और एम० पीज के लिये और सरकारी अधिकारियों के लिए थी उसमें प्राइवेट पर्सनल को बैठाने के लिये रेलवे बोर्ड से इजाजत ली गई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : स्पेशल ट्रेन रिजर्व थी, लेकिन जो प्राइवेट पर्सन्स गये उनसे किराया ले लिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : किराया उनसे कब चार्ज हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट आयी है उसमें इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि अभी तक कोई किराया वसूल नहीं किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किराया वसूल हो चुकाहै।

श्री भैरोंसिंह : कब हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी तारीख नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रेलवे बोर्ड से स्पेशल ट्रेन की इजाजत मांगी गई थी उसमें प्राइवेट पर्सन्स को ले जाने का प्रावधान नहीं था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : स्पेशल ट्रेन जब एक स्पेसिफिक पर्पज के लिये मंगाई गई थी तो दूसरे व्यक्तियों को यूज क्यों करने दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : स्पेशल ट्रेन में जगह हो तो जा सकते हैं कोई मनाही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब प्राइवेट पर्सन्स को सरकार ने अलाउ किया तो क्या उनसे टिकट पर्चेज करवाकर बिठाया गया ?

श्री रामचंद्र चौधरी : सरकार ने अलाउ किया, लेकिन टिकट के पैसे उनसे बाद में लिये गये।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार ट्रेन में बैठने के पहले टिकट खरीदना आवश्यक होता है क्या उसी प्रकार उनसे टिकट खरीदवाकर ट्रेन में बैठने दिया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बिना टिकट गये, पर बाद में उनसे टिकट के चार्ज कर लिये। उनमें प्रतिष्ठित सज्जन व पत्रकार थे।

श्री भैरोंसिंह : उनसे एडवान्स क्यों नहीं लिया गया जिस प्रकार रेल में बैठने के

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

लिये पहले टिकट लिया जाता है ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : जनता के प्रतिनिधि चले गये तो आपको क्या एतराज है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आपसे बतलाया कि प्रतिष्ठित सज्जन थे, कुछ पत्रकार थे, कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट थे, उन्होंने इजाजत चाही। इजाजत उनको दी गई, बाद में उनसे टिकट के पैसे वसूल कर लिये।

श्री भैरोंसिंह : यह जो सारा खर्चा हुआ वह किस विभाग से किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट से।

श्री भैरोंसिंह : इस विभाग के अलावा सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का खर्चा कितना हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सवाल अलग से है यह जो खर्चा हुआ वह राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : केनाल विभाग का खर्चा हुआ लेकिन इसमें सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का जो खर्चा हुआ वह शामिल है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितना हमारा खर्चा हुआ उसकी सारी लिस्ट हमने आपको दे दी है और जो खर्चा हुआ वह राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट विभाग से हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्राइवेट पर्सन्स जो गये थे उस समय उनसे लिखित में या मौखिक टिकट के लिये बातचीत हो गई थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि वहां जो एटहोम दिया गया था वहां फिश प्लेटें सर्व की गई थीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या उस ट्रेन में भैरोंसिंहजी भी गये थे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो नहीं गया, मेरी जगह कांग्रेस के अध्यक्ष ने ले ली थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे थोड़े ही पूछ रहा हूँ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह कोई नियम है कि जिसमें एम० एल० एज० या एम० पीज० जाते हों उसमें दूसरे व्यक्ति नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

खाद के लिये लाइसेन्स

७८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कृषि भूमि के लिये खाद रखने और लानेलेजाने पर लाइसेन्स लेना अनिवार्य रखा गया है ? अगर हां, तो कब से और किन आधारों पर ?

(२) उपरोक्त लाइसेन्स किस किस्म की खाद का कहां से लेना पड़ता है ? क्या जो काश्तकारान खेड़ियों में खाद स्टोर करते हैं

Page No.11

(राव राजा श्री सरदारसिंह)

उसका भी लाइसेन्स लेना लाजिमी है ?

उप-कृषि, मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि २० तारीख को जिलापरिषद् की मीटिंग में आपके कृषि अधिकारी ने कहा था कि सरपंचों और पंचायत समितियों को लाइसेन्स लेना अनिवार्य है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा है कृषि भूमि के लिये खाद रखने और लाने-लेजाने पर लाइसेन्स लेना अनिवार्य रखा गया है ? मैंने इसका उत्तर दिया, 'जी नहीं'।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस किस किस्म के खाद के लिये ?

श्री दौलतराम सारण : अमोनियम सल्फेट आदि सभी तरह के फर्टिलाइजर खाद के लिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अमोनियम सल्फेट आदि किसी के लिये भी लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं रहती है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : खेती में डालने के लिये नहीं, जो बेचते हैं उसके लिये लाइसेन्स लेने की आवश्यकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस लाइसेन्स के कारण खाद की बिक्री कम होती है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

बगीची वाले कुए की मरम्मत ग्राम इस्लामपुरा, झुंझनू

७१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम इस्लामपुरा, जिला झुंझुनू में सन् १९५६-५७ में जल बोर्ड द्वारा बगीची वाले कुए की मरम्मत के लिए श्री नथमल नन्दलाल को ३७५ रु० दिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कुआ युवक मंडल पुस्तकालय के अन्तर्गत था तथा मंडल ने जल बोर्ड झुंझुनू को मई, ५७ में एक पत्र लिखा था कि हमारे कुए में कोई धन नहीं लगा है तथा रकम झूठी ली गई है ?

(३) क्या यह सही है कि जल बोर्ड ने दि. ११-३-५८ को मंडल को सूचित किया कि कुए का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा जिलाधीश झुंझुनू के कार्यालय में भी कुए का कार्य पूर्ण हुआ बताया गया ?

(४) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने भी कुए की जाँच करवाई थी तो कुए पर कोई कार्य होना नहीं पाया गया ?

(५) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था तथा एन्फोर्समेंट एस० एच० ओ० विशेष जांच के लिए भी गया ?

(६) क्या यह सही है कि गबन का स्पष्ट मामला होते हुए भी इसको दबा दिया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां। यह सही है कि दि० ११-१-५७ को श्री नन्दलाल महाजन को बगीची वाले कुए की मरम्मत के लिए ३७५ रु० दिये गये थे। यह रकम श्री नन्दलाल महाजन को दी गई थी, श्री नथमल को नहीं।

(२) जल बोर्ड समाप्त हो चुका है। उसके पुराने रेकार्ड को, जो विभाग में प्राप्त हुआ है, देखा गया किन्तु उसमें युवक मंडल का पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया।

(३) जल बोर्ड के रेकॉर्ड से ऐसे पत्र-व्यवहार का होना जाहिर नहीं होता है।

(४) जी हां, यह सही है कि जिलाधीश ने तत्सम्बन्धी जांच कराई थी जिससे इस कुए पर कोई कार्य होना नहीं पाया गया।

(५) जी हां, जिलाधीश ने सी. आई. डी. या एन्टी करप्शन विभाग द्वारा जांच कराने के लिए लिखा था।

(६) जी नहीं, कुए की मरम्मत में गांव वालों का सहयोग नहीं होने से मरम्मत नहीं करवाई जा सकी और श्री नन्दलाल ने ता० २६-६-५७ को ३७५ रु० जल बोर्ड को वापिस जमा करा दिये। जब रुपये जमा हो गये तो गबन का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वापिस जमा करा दिया, इसका रेकार्ड आपको कहां से मिला? जब कि आपने कहा जल बोर्ड का रेकॉर्ड प्राप्त नहीं है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ प्राप्त है, लेकिन जिसके लिये आपने पूछा था वह प्राप्त नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ११-३-५८ को उस कुए पर ३७५ रु० दे दिये गये और जरूरत हो तो और दे सकते हैं, उस समय तक वह रकम वापिस जमा नहीं हुई?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रुपया खर्च नहीं हुआ कुछ दिनों बाद वह वापिस जमा करा दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ११-३-५८ को नवयुवक मंडल को लिखा गया कि और रुपया चाहिये तो मिल सकता है जब कि ३७५ रुपये का भी काम पूरा नहीं हुआ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने वह ३७५ रुपया खर्च नहीं किया और कुछ दिनों बाद वापिस जमा करा दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब कि जल बोर्ड ३१-३-५७ को ही समाप्त हो गया, फिर रुपया कैसे जमा हो गया?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड समाप्त हो गया होगा किन्तु लेन-देन का काम तो बाकी था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार ने श्री नथमल को इस बात का नोटिस दिया था कि अमुक तारीख तक रुपया जमा करा दो, नहीं तो मुकदमा चलाया जायेगा?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ३१-३-५७

Page No.13

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

को जिलाधीश कार्यालय का एक अहलकार वहां गया और उसने रिपोर्ट दी है कि कुए का काम पूरा हो चुका है

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कार्यालय के कर्मचारी ने यह रिपोर्ट दी है कि कार्य पूरा हो चुका है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जानकारी है कि यह काम पूरा नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब कि कलेक्टर के यहां से जो आदमी गया वह कहता है, काम पूरा हो चुका और आपके पास जानकारी है काम पूरा नहीं हुआ तो इसका साफ मतलब है उस रकम को गबन करने का इरादा था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो यह नहीं कह रहा हूँ कि यह काम पूरा हो गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कलेक्टर के यहां से जो काम पूरा करने की रिपोर्ट है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास में भी है जिसमें लिखा है कि काम पूरा हो चुका है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या इस प्रकार की जानकारी देने पर कि कुआ बनाया ही नहीं गया और रुपया ले लिया गया, आप उसकी जानकारी करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर करेंगे।

राजस्थान का गोधन

७२. श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर), **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान से अन्य प्रान्तों में तथा पाकिस्तान में काफी गायें ले जाई जाती हैं और वहां उनको वहां माँस के लिए काटा जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से रोक-थाम की कार्यवाही नहीं होने के कारण राजस्थान का गोधन नष्ट होता जा रहा है ?

(३) यदि हां, तो सरकार इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। विभागीय कर्मचारी जो बोर्डर पर कार्य कर रहे हैं उनको भी ऐसी सूचना नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि उन गायों के लिये रवन्ना काटकर देते हैं चौकियों पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिंदुस्तान में कहीं पर गाय जावे तो इसके लिए रवन्ना

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काटकर देने की जरूरत नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रश्न में दोनों बातें लिखी हैं । पर आपने सब बातों के लिये इन्कार कर दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो पाकिस्तान के लिए कहा है । वहां भी जाने की सूचना नहीं है । हिन्दुस्तान में हर जगह जानवर ले जाये जा सकते हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पर हिन्दुस्तान में भी कटने के लिए जा सकती हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका रिकॉर्ड रखते नहीं हैं ।

श्री मदनसिंह : रिकॉर्ड रखना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो सूचना आप दे रहे हैं । परबतसर आदि के पशु-मेलों से लोग बैल आदि यू० पी०, पंजाब आदि जगह ले जाते हैं, तो क्या ये सब कटने के लिये जाती हैं ?

श्री मदनसिंह : अगर हम स्पेसिफिक्ली आपको बताएं कि ये कटने के लिये ले जाई जा रही हैं तो क्या आप उनको निश्चित रूप से रोकने के लिए तैयार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित रूप से हम कोई रिकॉर्ड रखते नहीं, न पता लगाते हैं । हिन्दुस्तान में सब जगह जा सकती हैं और वे जाती हैं; पैदल जाती हैं, सड़क से जाती हैं और रेल से जाती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका क्या यह मतलब समझा जावे कि राजस्थान के बाहर गाय कटने के लिये ले जाई जा सकती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किस पर्पज के लिये ले जाई जा रही हैं, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अगर यह कह कर ले जाऊं कि मैं इतनी गायें राजस्थान से बाहर काटने के लिए ले जा रहा हूँ, तो क्या आप कोई एतराज नहीं करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस पर्पज से ले जाते हैं, इसकी हमारे पास कोई सूचना नही रहती ।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूँ कि कोई अगर यह कहकर ले जाये कि इनको काटने के लिये ले जाना चाहते हैं तो क्या आप जाने देंगे ? अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका उत्तर नही मिला । मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान सरकार से यह कह कर कि अमुक प्रान्त में गोकुशी के लिये गायों को या बैलों को ले जा रहे हैं, तो क्या सरकार अनुमति देगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो खरीदते वक्त सरकार पूछती है, न बेचते वक्त पूछती है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो सीधा सा यह जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई आपसे पूछे तो क्या इजाजत देते हैं या नहीं आप ?

श्री अध्यक्ष : सरकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं है ।

Page No.15

श्री भैरोंसिंह : अगर मैं इस तरह की दरख्वास्त देता हूँ तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, स्पष्ट कह दीजिये; नहीं है ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : आपकी तरफ से इस तरह की परमिशन मांगने पर रोक होती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से कोई इस प्रकार के परवाने देने की आवश्यकता नहीं है। पर जब हमारे यहां स्केअरसिटी कन्डीशनें होती हैं उस वक्त लोग अपने जानवर बाहर ले जाते हैं तो लोग अपनी सुविधा के लिए अपने यहां के सरकारी अधिकारी से या कलेक्टर से या पंचायत समितियों से यह लिखवा कर ले जाते हैं कि ये मवेशी चरने वाले हैं और अमुक जगह के हैं और यह इसलिये वे ले जाते हैं कि उनको वहां परेशान न किया जावे, उनको आवारागर्द न समझा जावे। ऐसे जरूरी वक्त में परमिट ले जाते हैं।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय यह स्पेसिफिकली फरमावें कि अगर उनको यह मालूम है कि किस पर्पज के के लिए जानवर ले जाये जा रहे हैं और इसके लिये निश्चित प्रूफ दें कि इतनी गायें कटने के लिए ले जाई जा रही हैं, तो क्या सरकार उनको रोकेगी या नहीं ? That is a question। आप उसको रोक सकते हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी जानवर जा सकते हैं। लोग क्रय- विक्रय कर सकते हैं, लोग खरीद कर ले जा सकते हैं।

(अत्यधिक शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर प्लीज !!! श्री तनसिंह।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह तुम्हारे यहीं से नहीं जाती, और जगहों से यहां भी आती हैं।

श्री तनसिंह : अभी सरकार ने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये रोक नहीं। पर क्या इस बात का विचार करते हुए कि राजस्थान में गोकुशी का एक्ट बनाया हुआ है, गोकुशी यहां नहीं होने दी जाती, तो इस पर्पज की रक्षा के लिये इस प्रकार का कोई प्रावधान किसी कानून में रखने की क्या सरकार सोच रही है कि यहां के जानवरों को कटने के लिये बाहर न भेजा जावे ? क्या यह व्यवस्था सरकार अपने यहां करने जा रही है ? यह उनके दिमाग में है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब सदन ने इसे स्वीकार कर लिया कि गोकुशी यहां नहीं होगी, पर कोई यह कह कर ले जावे बाहर कि वे कटेंगी तो आप उनको नहीं रोकेंगे, आप उनको ले जाने देंगे ?

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ...

(अत्यधिक शोरगुल एवं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : पहले यह था कि राजस्थान में चूंकि कस्टम था तो बाहर ले जाने पर कस्टम लगता था; तो उस समय रुकावट थी इस ख्याल से और रवन्ना भी कस्टम देने के बाद कटता था। पर जब कस्टम हट गया तो हमने इस बात पर फिर विचार किया कि क्या सरकार ऐसा

Page No.16

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कानून बना सकती है या नहीं कि जिससे राजस्थान से बाहर यहां के पशुधन के जाने पर रोक लगाई जा सके। हमें सेन्टर से यह एडवाइज किया गया कि कॉन्स्टीट्युशन के तहत हम ऐसा कानून नहीं बना सकते। अगर माननीय सदस्य यह कहें कि कानून में, विधान में, बाहर जाने की रुकावट है तो अब भी तैयार हैं, हम असेम्बली में फिर मूव कर सकते हैं। सरकार इसको एक्सेप्ट कर लेगी कि यहां का गोधन राजस्थान से बाहर न जावे। पर हमें यह कहा गया कि बाहर जाने पर रुकावट हम नहीं लगा सकते। माननीय सदस्य मूव करें।

श्री तनसिंह : माननीय सदस्य के मूव करने का सवाल नहीं है। सरकार ने एक निश्चित सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में गाय की गोकुशी नहीं होगी। पर अगर इस तरह से बाहर ले जाकर गोकुशी की जाती है तो हमारा सिद्धान्त का और हमारी रोक का पर्पज ही डिफीट हो जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट हर पर्पज को बनाये रखने के लिये तैयार है। पर विधान के अन्तर्गत हम कोई ऐसा रोक का कानून नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं और माननीय सदस्य यह हमें बता सकते हैं तो हम बनाने को तैयार हैं। वे हमें सोच-कर बतावें।

श्री तनसिंह : सोचना तो सरकार को चाहिये।

(पुनः शोरगुल)

श्री तनसिंह : जब मैं बोल रहा हूँ और खड़ा हूँ तो दूसरों को खड़ा होने से रुकना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक व्यक्ति बोलने के लिये खड़ा हो तब माननीय मन्त्री महोदय आवेश में आकर अपनी बात की वकालत करें और उठकर बीच में बोले तो यह ठीक नहीं है। अगर हम एक मन्त्री महोदय से भी यह एक्सपेक्ट नहीं करें तो फिर दूसरे किससे एक्सपेक्ट करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आप गोकुशी कराना चाहते हैं। उसे रोकने की आपकी नीयत नहीं हैं।

(पुनः शोरगुल एवं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उपयोगी गायों को कत्ल होने से बचाया जा सकता है, इस प्रकार का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में गायें नहीं कटतीं। अगर कटती हों और आपकी जानकारी में हो तो बतावें।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी में है या नहीं, इसका सवाल नहीं है। यहां पर नहीं कटती हैं, पर दूसरी जगह कटती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर म्युनि-सिपेलिटी के चुनाव में आप लोगों ने यही कहा, पर आप लोगों को गुमराह करने में सफल नहीं हुए। यह तो आपका स्टन्ट है। आप वहां हार गये। आप बताइये राजस्थान में कहां कटती हैं? हम रोकने को तैयार हैं।

श्री तनसिंह : आप इस तरह से जोश क्यों खाते हैं?

Page No.17

(श्री तनसिंह)

(पुनः शोरगुल एवं अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अनेक स्थानों से बोलना)

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यह है कि गैर प्रान्त की गायें हमारे यहां कटती हैं और राजस्थान की गायें बाहर जाकर कटती हैं; कलकत्ता, बम्बई और कानपुर जाकर कटती हैं और आपकी लापरवाही से कटती हैं।

(अत्यधिक शोरगुल)

यह सरकार गोहत्यारी सरकार है। यह सरकार गोहत्याएं कराने के पक्ष में है।

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गायें राजस्थान में कहां कटती हों तो आप बतावें ? आपने अलवर म्युनिसिपैलिटी में यही प्रोपेगेन्डा किया, पर आप यहां कहां कटती हैं बता नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान की गायें बाहर जाकर कटती हैं तो सरकार रोकने की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !! नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

(अनवरत शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

अध्यक्ष महोदय....

(पुनः अनवरत शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये लूली लंगडी और अपंग गायें अगर कटें तो इस सरकार को ऐतराज नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको इससे वोट मिलने वाले नहीं हैं, अलवर म्युनिसिपैलिटी ने आपको बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैंने पहले भी व्यवस्था चाही थी कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्य को बोलने के लिये नहीं खड़ा होना चाहिये, पर जब स्वयं मिनिस्टर ही बोलने के लिये खड़े हो जावें तो यह अच्छा नहीं होता। उनको इस गलत चीज में योगदान नहीं देना चाहिये। यह सदन की परम्परा के प्रतिकूल है, चाहे वे फिर भावुकता में बहते हों। एक सदस्य अगर बहे तो अधिक विचार नहीं होता, पर अगर स्वयं मन्त्री महोदय भावुकता में आकर इस सदन की परम्परा को भंग करें तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुश्किल तो यह है कि भावुकता दोनों तरफ से हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : कमजोरी का लक्षण है यह।

श्री मदनसिंह : एक मिनिट, अध्यक्ष महोदय। यह राजस्थान सरकार अपनी गायों को कटने से रोक नहीं सकती और एक हिन्दू कहलाने वाले के लिये यह लज्जा की बात है और यह सबसे अधिक लज्जा की बात है कि जब स्पेसिफिकली बतावें तब भी यह सरकार उस पर यह कह नहीं सकती कि वह इसे रोकने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो

Page No.18

(श्री अध्यक्ष)

इस मामले को और कई अवसरों पर उठा सकते हैं। आपके पास कई तरीके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी के लिये यह निवेदन कर दूँ कि इस सम्बन्ध में एक बार मैंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जनसंघ के माननीय नेता भी मौजूद थे, अगर उनको याद हो तो।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूँ कि उस मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं था।

(शोरगुल)

मैं मीटिंग में नहीं था। मैं बता दूँ यह आपको।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो स्वयं उपस्थित थे वे खड़े हो गये। मैंने कहा दूसरे पक्ष के नेता थे तो सब खड़े हो गये। खैर। मैं कहना यह चाहता था कि मैंने उस मीटिंग में यह निवेदन किया कि वे हमें कानूनी तरीके कुछ इस बारे में ऐसे बतावें कि जो सरकार कर सकती हो और हमने यह भी बताया कि हम ने तरीके से इसे नहीं कर सकते हैं; उसके क्या कारण हैं, इस मामले में हमें क्या दिक्कतें आती हैं, यह भी बताया था। हमने उनसे तरीके पूछे क्योंकि गो की रक्षा का जहां तक सवाल है इस मामले में यह सरकार भी पूर्णतया उनसे सहमत है और इसमें कोई मतभेद जैसी बात खड़ी नहीं हो सकती। जो भी राजस्थान में हम कर सकते हैं अपनी तरफ से किया जा सकता है और जो बाहर जाने के बारे में शंका होती है उसे कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, तो पहले भी हमने कहा था कि वे कोई कानूनी तौर से बतायें कि राजस्थान सरकार क्या कर सकती है ? करने के लिए अगर वे कोई निश्चित सुझाव देंगे तो उसकी पूर्ति की जायेगी।

श्री तनसिंह : इस पोइन्ट को लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन करवाया या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ पर्सनल इनफॉर्मेशन सर, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो बात कही और उसमें जो कुछ बताया वह सही नहीं है। पिछले दिनों में राजस्थान में गौनिकासी के सम्बन्ध में आन्दोलन हुआ था और उस आन्दोलन करने वालों का एक डेप्युटेशन मुख्य मन्त्री जी से मिला था और उन्होंने बताया था कि इस संबंध में जल्दी ही एक समिति गठित की जायेगी और सरकार ने उसका गठन भी किया और उस समिति के गृह मन्त्री शायद कन्वीनर या अध्यक्ष थे और मैं भी उसका सदस्य था, लेकिन उस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सुझाव के मांगने के बाद कोई सुझाव आया ही नहीं कि जिसके लिए कोई बैठक हो।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह था कि इसके ऊपर विचार किया जायेगा, ऐसा कहा गया था; लेकिन मैंने एक पत्र भी भेजा कि इसके लिए कोई बैठक की तिथि तय होनी चाहिए तो मुझे उत्तर मिला कि वैधानिक कठिनाइयों के कारण लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया जा रहा है और उनके जवाब आने के बाद ही बैठक होगी। सन् १६५७ के चुनाव भी हो गए, वह कमेटी भंग हो

(श्री भैरोंसिंह)

गई और उस कमेटी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई।

श्री मदनसिंह : अफसोस यह है कि म्युनिसिपैलिटी से जब पानी नहीं आता तो हो-हल्ला मच जाता है, लेकिन जन-संघ की तरफ से इस कमेटी के लिए कोई हो-हल्ला नहीं मचाया गया।

प्रश्न संख्या ७३

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

(अनुपस्थित-कृपया-आगे देखिये)
श्री भैरोंसिंह।

सीकर नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों द्वारा शिकायत

७४. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है सीकर नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों ने सन् ६०-६१ में सेनीटरी इन्सपेक्टर, श्री जमील अहमद, के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि श्री जमील-अहमद हरिजन महिलाओं के साथ व्यभिचार करते हैं और इसके लिए तैयार न होने पर उन्हें हर समय तंग करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रकार का आरोप-पत्र उन्होंने नगरपालिका जिलाधीश सीकर, संबंधित मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि हरिजनों ने इसके विरोध में हड़ताल भी की ? यदि हां, तो कितने दिन की और कब कब ?

(घ) क्या यह सही है कि सीकर नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पारित करके नगरपालिका अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया है कि वह सेनीटरी इन्सपेक्टर को अनुचित संरक्षण देते हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) आरोप-पत्र नगरपालिका सीकर व जिलाधीश को प्रस्तुत किये गये थे। जिलाधीश के तथा निर्देशक स्थानीय निकाय के सुझाव के अनुसार इस व्यक्ति का माउन्ट आबू नगरपालिका में परिवर्तन कर दिया गया। नगरपालिका कर्मचारी होने के कारण नियमानुसार यह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था, तथा इस व्यक्ति के विरुद्ध चेयरमैन द्वारा जांच में शिकायतें गलत विदित होने तथा बोर्ड द्वारा निर्दोष बताये जाने के कारण इस परिवर्तन की आज्ञा को निरस्त कर दिया गया। श्री जमील अहमद को सेनीटरी इन्सपेक्टर के कार्य से किसी दूसरे कार्य पर नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था। किन्तु बोर्ड के कार्यवाही न करने के कारण तथा आरोपों की गंभीरता को विचार में रख कर जमील अहमद को मोअत्तिल करने तथा जिलाधीश द्वारा अति-शीघ्र जांच किये जाने के आदेश प्रचलित किये जा चुके हैं।

(ग) जी हां, हड़ताल दिनांक १५-१२-६० से शुरू हुई और १८–१२-६० को समाप्त हुई। पुनः २७–१–६१ से शुरू हुई और ८-२-६१ को समाप्त हुई। तीसरी बार १९–८-६१ से १२-९-६१ तक हुई।

(श्री सम्पतराम)

(घ) जी, हां, लेकिन कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

प्रश्न संख्या ७५

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

उदयपुर वाटी पंचायत समिति की जीप का उपयोग

७५ श्री अनूपसिंह (बालोतरा) [श्री तनसिंह (बाड़मेर) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर वाटी पंचायत समिति की जीप का उपयोग समिति क्षेत्र के पंचायत चुनावों में किसी दल विशेष के प्रचारार्थ किया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस आशय के समाचार टेलीफोन द्वारा कलेक्टर झुंझुनू को भी ज्ञात करवाये गये ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या एक्शन लिया गया ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : १. जी नहीं।

२. जी हां। इस संबंध में उनके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाने पर शिकायत तथ्यहीन पाई गई। अतः एक्शन का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री तनसिंह : इससे बढ़िया और कोई जवाब नहीं हो सकता था।

प्रश्न संख्या ७६

श्री **अध्यक्ष** : डा॰ बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

आम चुनाव कार्य में अध्यापकों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता

७७ श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मन्त्री, चुनाव विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सन् १९५७ में आम चुनावों से संबंधित कार्य के संबंध में अध्यापक वर्ग को टी॰ ए॰, डी॰ ए॰ नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) यदि नहीं, तो कितने अध्यापकों को कितना कितना भत्ता दे दिया गया है और कितने अध्यापकों का कितना कितना भत्ता बाकी है ?

(३) इस बकाया का कब तक चुकारा किया जायेगा ?

मंत्री, चुनाव विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सिर्फ जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़ जिलों के अध्यापकों का कुछ भुगतान होना बाकी है। इन बिलों के भुगतान न होने का यह कारण है कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने न तो समय पर बिल बनाये और बनाये, वे भी ठीक ढंग से नहीं।

(२) ५५५ अध्यापकों के टी॰ ए॰, डी॰ ए॰ के बिलों की कुछ रकम का भुगतान होना बाकी है। जिनमें जयपुर के २३९ बिलों के ३४४३.३४ नये पैसे, पाली के २५२

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बिल, जिनके लिए ४२६२.४२ नये पैसे की रकम अग्रिम दी जा चुकी है। नागौर के ४६ बिलों की १४५२.०६ नये पैसे व चित्तौड़ के १८ बिलों के ३२८.६० का भुगतान होना बाकी है।

(३) शीघ्र ही।

श्री भैरोंसिंह : कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह पहले भी एक बार सवाल आया था। मैंने निवेदन किया था कि दिक्कत यह है कि हमने एडवान्स रुपया दिया था सेकिन्ड इलेक्शन हुआ तब और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को ऑथोराइज कर दिया था कि तुम पेमेंट कर दो। उनको एडवान्स रुपया भी दे दिया, जो पार्टी गयी लेकिन बिल वापिस बनाकर नहीं भेजे ताकि एडजस्टमेंट हो जाये, मगर बिल नहीं आ रहे हैं इसके लिए हमने कई बार हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को लिख दिया और फिर हमने दुबारा सर्कुलर भी इश्यू कर दिया ताकि इस पर जल्दी कार्यवाही हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : ये हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से आते हैं या टीचर्स से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कलेक्टर के थ्रू होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या अब पोजीशन यह है कि टीचर्स ने अपने बिल पेश नहीं किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ ने पेश नहीं किये और कुछ ने किये भी तो वह गलत थे और ए० जी० ने उनको वापिस भेज दिया दुबारा सब्मिट करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

ग्राम पंचायतों के फैसलों की निगरानी

७८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि न्याय पंचायतों ने दिनांक २६-१-६१ से कार्य आरंभ किया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तहसील पंचायतें दिनांक २५-१-६१ से अपना कार्य बन्द कर चुकी हैं ? यदि हां, तो जिन ग्राम पंचायतों ने दिनांक २५-१-६१ को फैसले दिये हैं उन पंचायतों के फैसलों की निगरानी किस अधिकारी के पास होगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) नहीं, तारीख १५-२-६१ से किया है।

(२) नहीं, तारीख १४-२-६१ को समाप्त हुई है। अपील का प्रावधान नहीं रखा है। ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक २४-२-६१ तक दिये गये फौजदारी और दीवानी निर्णयों की अपील तहसील पंचायत को हो सकती थी। १४-२-६१ के बाद तहसील पंचायतों में जो अपीलें पैंडिंग थीं वे बतौर निगरानी मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट के यहां चली जायेंगी, पर ग्राम पंचायतों की फौजदारी या दीवानी सीगे के निर्णय जिनमें अपील १४-२-६१ को या उससे पहले पेश नहीं की गई उनमें अब फरीकेन को अपील का हक नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

Page No.22

सहकारी समितियों का लेन-देन

७६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार के द्वारा सहकारी समितियां के ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनके अनुसार चेयरमैन व मैनेजर दोनों गवर्नमेंट बॉडोज होकर ही रकम का भुगतान कर सकते हैं और पब्लिक का कोई भी आदमी लेन-देन में शामिल नहीं रखा जाता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि जिला जालोर को बृहत् प्राथमिक कृषि ऋण-दात्री सहकारी समिति, गुढा बालोतरा में लेनदेन का काम सब गवर्नमेंट ऑफिसर ही करते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन करते हैं और इसमें पब्लिक का आदमी रुपयों के लेनदेन में शामिल न रखने का क्या कारण है तथा उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : इनका चेयरमैन और कोषाध्यक्ष कौन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोषाध्यक्ष तो श्री दौलतराम हैं और चेयरमैन वहां के बी० डी० ओ० हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

नला टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के पानी से हानि

८०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि नला टोडा-भीम (सवाई माधोपुर जिला) का पानी बन्ध बिशनदास मौजा भण्डारी को ले जाया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १६४८ में नला छोई के पानी को एक सप्लाई कट से इस नले में शामिल किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि रेतीली जमीन होने के कारण यह सप्लाई-कट टूट गया और पानी के नुकसान से बचाने के लिए टोडा-भीम में एक पाल लगा दी गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि इस पाल को सन् ६०-६१ में बरसात होने से पहिले महकमा सिंचाई द्वारा तोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और किसके हुक्म से ?

(५) क्या यह सही है कि इसके कारण बरसात में हजारों बीघा काश्त खराब हो गई, खेतों में मिट्टी आई तथा काफी संख्या में मकान ढह गये तथा ग्राम मूडा का आवागमन बन्द हो गया ?

(६) क्या इसकी शिकायत जनता द्वारा की गई, परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि हुई, तो क्या ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं, केवल पाल में नाली बनाई गई थी।

(५) जी नहीं।

(६) हां केवल ग्राम होदकापूरा की जनता द्वारा। जिस पर समयानुसार उचित प्रबन्ध किये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह शिकायत थी कि उस पाल को तोड़ दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : उनकी शिकायत यह थी कि पानी उनकी तरफ आ रहा है पाल टूट गई है।

श्री भैरोंसिंह : पाल टूट गई यह शिकायत थी या उसे इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने तोड़ दिया है, यह शिकायत थी ?

श्री दौलतराम सारण : शिकायत यह थी कि पाल का पानी उधर आ रहा है और पाल टूट गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास शिकायत है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : शिकायत तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बतलाता हूँ शिकायत तो यह है कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने पाल तोड़ दी है और जो शिकायत आपके पास है उसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे भी फॉर्वर्ड की है।

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास सूचना है उसके मुताबिक यह है कि ग्राम होदकापुरा की शिकायत आई थी कि वहां की काश्त की जमीन डूब में आ गई है। सिर्फ यही शिकायत थी और इसके अलावा बाकी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि जिन्होंने आपको सूचना दी गलत उनके खिलाफ कोई एक्शन लेकर सजा देंगे कि उन्होंने मन्त्री महोदय को पूरी सूचना क्यों नहीं दी ? आप कह रहे हैं कि मेरे पास सूचना आई, शिकायत नहीं आई और उनकी एक कॉपी श्री भैरोंसिंहजी के पास भी है तो वह कॉपी कहां रह गई जिसमें यह शिकायत थी कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने पाल को तोड़ दिया।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि मेरे पास जो सूचना इस समय है उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि ग्राम होदकापुरा की यह शिकायत आई थी कि ग्राम की भूमि डूब में आ गई है। उन्होंने फिर यह पूछा कि शिकायत की प्रतिलिपि आपके पास है; मैंने कहा कि नहीं है।

श्री मदनसिंह : यह किस बेसिस पर कह रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : शिकायत तो डिपार्टमेंट में गई है उसका जवाब मन्त्री महोदय ने दे दिया।

श्री मदनसिंह : वहां पर तालाब तोड़ा गया है और खेती नष्ट हुई है। यह सीरियश सवाल है; उस पर यह कह रहे हैं कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। माननीय श्री भैरोंसिंह के पास उस शिकायत की कॉपी आई है और

(श्री मदनसिंह)

आपके पास भी भेजी गई है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस कॉपी को बीच में किसने रोका है और मिनिस्टर महोदय के पास क्यों नहीं पेश हुई है और कह दिया कि वह टूट गया है जब कि वह बांध तोड़ा गया है।

श्री दौलतराम सारण : इर्रिगेशन विभाग के किसी अधिकारी ने बांध को नहीं तोड़ा है।

श्री मदनसिंह : How do you know?

बांध क्या अपने आप टूट गया है ?

श्री दौलतराम सारण : आस पास के गांवों के लोगों ने उसको तोड़ दिया है और उस वजह से वह टूट गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वह फ्लोर ऑफ दी हाउस पर जिस लेटर का रेफरेन्स अपने पास होने को दे रहे हैं तो उस लेटर की कॉपी टेबल ऑफ दी हाउस पर रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धिरसे वह दिया करते हैं वैसे ही वह कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : धिरसेबाज ही धिरसे की भाषा को समझते हैं।

आपने पाल तोड़ने की बात कही है तो वह पाल टूटी या तोड़ी गई हो, कोई भी रूप हो, तो क्या सरकार टूटी हुई पाल की मरम्मत नहीं करा रही है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रद्द किया जा चुका है।

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : नाई सबकी हजामत करता है मगर कोई नाई की भी हजामत करता है।

(विराम)

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना यह है कि गांव के लोगों की ओर से तोड़ा गया था।

श्री मदनसिंह : क्या चेयर की तरफ से उनको धिरसेबाज मान लिया गया है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आपने उत्तर दे दिया ?

श्री दौलतराम सारण : Yes.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जनाना अस्तपाल, जयपुर

८१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Medical and Minister be pleased to state :

1. What is the total official accomodation in the Zanana Hospital, Jaipur ?

2. How many beds are there for Maternity purposes ?

3. What was the number of delivery cases in the Hospital on 25-9-1960 ?

4. What does the Government propose to do to accommodate such cases in a decent and comfortable

Page No.25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

manner ?

5. Does the Government intend to extend the present premises of the Hospital or to add a third storey thereto ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

1. Total bed strength in Zanana Hospital is 169.

2. There are 65 beds for Maternity purpose.

3. There were 10 delivery cases in the hospital on 25-9-60.

4. The patients are kept in comfortable manner in the hospital.

5. A ward of 30 beds is already under construction. 4 Cottage wards have recently been constructed and few more cottage wards will be constructed during the current financial year.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What was the number of maternity cases on 25-9-60 ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I said it was 10.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not maternity cases, delivery cases.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Maternity cases.

श्री अध्यक्ष : Only one step forward.

नगर परिषद् और विद्युत मण्डल के मध्य विवाद, बीकानेर

८२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या पब्लिक लैम्प्स के बिजली खर्च की दरों के संबंध में चल रहे नगर परिषद् और विद्युत् मंडल के मध्य विवाद को आर्बिट्रेशन में देने के लिये बीकानेर नगर परिषद् ने सरकार से प्रार्थना की है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने क्या वह विवाद आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और वह अब कब तक सौंप दिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, पब्लिक लैम्प्स की दरों के बारे में बीकानेर नगर परिषद् व विद्युत विभाग के मध्य चल रहे विवाद को नगर परिषद् ने आर्बिट्रेशन को देने के लिये चेयरमेन, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को दिनांक १५-१२-६० को प्रार्थना की थी ।

(२) सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो बीकानेर व अन्य परिषदों के इस तरह के मामलात पर विचार करेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : कमेटी बनी है, तो आर्बिट्रेशन के बारे में क्या निर्णय किया ?

श्री सम्पतराम : निर्णय क्या किया, दे देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा यह प्रश्न है कि जब तक आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो तब तक पब्लिक लैम्प्स जो नहीं लगाये जाते हैं तो क्या सरकार ने कम से कम इस बात की हिदायत दी है कि पब्लिक लैम्प्स लगायें ?

श्री सम्पतराम : आपने गलत तरीके से प्रश्न पूछकर रिप्लाई मांगा है। इसमें सवाल; टूटने और नये लैम्प लगाने का नहीं है। जितने लैम्प टूट जाते हैं उनको नगर पालिका ठीक करती है। यहां प्रश्न पेमेन्ट आउटस्टैंडिंग का है। इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आउटस्टैंडिंग जब तक है तब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या इस प्रकार की हिदायत है कि लैम्प लगाने की इजाजत नहीं दें ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री सम्पतराम : इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कम से कम पब्लिक पोइन्ट ऑफ व्यू से पब्लिक लैम्प की इजाजत मिलनी चाहिए। जब तक यह मामला आर्बिट्रेशन में पड़ा हुआ है और कोई फैसला नहीं हो तब तक क्या पब्लिक को लाइट नहीं मिलेगी ? तब तक पब्लिक लैम्प नहीं लगेगा ? इससे बड़ी भारी दिक्कत है, आखिर इसको देखा जाना चाहिए।

श्री सम्पतराम : मैंने स्पष्ट तौर से, अध्यक्ष महोदय, अर्ज किया है कि लाइट की व्यवस्था से इसका कोई संबन्ध नहीं है। लाइट की जहां म्युनिसिपैलिटी चाहती है वहां व्यवस्था होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ ड्यू होता है और कुछ ड्यू नगरपालिका की तरफ। उसके बारे में कमेटी विचार कर रही है। विचार करके फाइनलाइजेशन करें तब तक इलेक्ट्रिसिटी देने में कोई दिक्कत नहीं है।

जिला जालोर की पंचायतों के चुनावों में प्रयुक्त प्राइवेट गाड़ियों का किराया

८३. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर की पंचायतों के चुनाव में प्राइवेट ट्रक व गाड़ियों को काम में लिया गया था ? यदि हां, तो किस किस की गाड़ियां काम में ली गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन गाड़ियों का कुल कितना किराया किस आधार पर दिया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि जनरल इलेक्शन में जो रेट्स गाड़ियों वालों को जालोर जिले में दी गई थीं वही रेट्स न दी जाकर कम रेट्स से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) राजस्थान में दूसरे जिलों में जो गाड़ियां व ट्रक काम में लिये गये हैं उनको किस किस रेट्स से किराया दिया गया है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) प्रत्येक जिले में एक ही रेट न होने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां, तालिका सदन की मेज

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पर रख दी गई है।

(२) कुल किराया २१,८७२ रु० ९ न०पै० दिया गया और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक १० अक्तूबर, १९६० के अन्तर्गत निम्न आधार पर दिया गया।

(किराया प्रतिदिन)

गाड़ियों की किस्म	काम के दिन	बगैर काम के दिन
१. बस व ट्रक	३० रु०	१५ रु०
२. हल्की गाड़ियां जैसे स्टेशन वेगन, ट्रेक्टर, आदि	२० रु०	१० रु०
३. जीप व कार	१०.५०	८ रु०

(३) जी नहीं।

(४) तालिका सदन मेज पर रख दी गई है।

(५) कहीं कहीं पहाड़ी व रेगिस्तानी इलाका है। जैसी जिस जिले की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए रेट्स निर्धारित की गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : जनरल इलेक्शन में किस रेट पर पेमेन्ट किया गया है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो रेट नियत है उसी रेट से इस दफा भी किराया दिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द: आपने कहा, 'जी नहीं'। मैंने पूछा था कि जनरल इलेक्शन में जो रेट्स दी गई थीं उन्हीं रेट्स पर इस इलेक्शन में पेमेंट नहीं किया गया है, तो आपने कहा कि 'जी नहीं'; तो जनरल इलेक्शन में क्या रेट्स थीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसी रेट से पेमेंट किया गया है जिस रेट से जनरल इलेक्शन में किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): क्या ये रेट्स जो बतलाई गई हैं ये रेट्स सरकार द्वारा मुकर्रर की गई हैं ? क्या इस रेट पर पब्लिक को ये गाड़ियां मिल सकेंगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे रेट्स मुकर्रर की हैं सरकार ने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या कोई पब्लिक के आदमी को भी इस रेट पर देने के लिए बाइन्डिंग किया जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह सरकारी पर्पजेज के लिए है।

गंगा टाकीज के पीछे की बस्ती में कुछ असुविधाएं

८४ **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गंगा टॉकीज, जयपुर के पीछे की बस्ती की जनसंख्या कितनी है ?

(२) इस बस्ती में कुल कितने सार्व–

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जनिक नल हैं और कितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं और क्या बस्ती की जनसंख्या को देखते हुए वे पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो फिर इस दिशा में कार्यवाही करने का कब तक विचार है ?

(३) क्या यह सही है कि इस बस्ती में सड़कें कट गई हैं और बरसात में रास्तों में पानी भर जाता है जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से अभी तक इस दिशा में क्या किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि बरसात में पानी लोगों के घरों में भर जाता है जिससे रहने में तो असुविधा होती ही है, साथ में कई प्रकार की बीमारियां भी फैल जाती हैं। इस दृष्टि से अभी तक क्या किया गया है और आगे क्या करने का विचार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) इस बस्ती की जनसंख्या लगभग पांच हजार है ।

(२) इस बस्ती में ४ सार्वजनिक नल तथा १३ स्ट्रीट लाइट्स हैं। जो जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं ।

(३) इस बस्ती में सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है । बरसात में रास्तों में पानी भर जाता है । इसके सम्बन्ध में एक योजना विकास मंडल, जयपुर के विचाराधीन है ।

(४) घरों में पानी भरने के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह योजना कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : वहां पर व्यवस्थित तरीके से लोगों को आबाद करने की स्कीम है जिसके लिए लैंड एक्वीजिशन करने की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं । उसके कम्प्लीट होने के बाद में व्यवस्थित स्कीम बनाकर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाये कि उस बस्ती में जितनी भूमि है उसका एक्वीजिशन नहीं हुआ है अभी तक ?

श्री सम्पतराम : यह कम्पलीकेटेड क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है । जर्मन जो है वह गवर्नमेंट को है । उस पर कुछ आदमियों ने परमिशन से हट वगैरह बना लिये हैं और किन्हीं ने वैसे ही बना लिये हैं । जिन्होंने परमिशन से हट्स बनाये हैं उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, उसका एसेसमेंट करके एक्वायर की जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी जमीन सरकार की है ?

श्री सम्पतराम : जमीन सरकार की है, डिटेल में जाकर मैंने कागजात नहीं देखे हैं । दूसरा कोई क्लेम नहीं करता है तो आम तौर से यह मानना चाहिए कि जमीन सरकार की है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पेन्सेशन के लिए लैण्ड एक्वीजिशन की धारा ९ के अन्दर नोटिस जारी किये गये हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : इसकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है । एक्वीजिशन किसके तहत होता है, इसके लिये कानून बहुत साफ है ।

पंचायत समिति शाहपुरा व बैराठ द्वारा टीन के कोटे का वितरण

८५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) :

(श्री रामकरणसिंह)

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले की पंचायत समिति शाहपुरा व बैराट,को १९६० में टीन का कोटा कुल कितना दिया गया ?

(ख) यह कोटा किस लिये दिया गया था तथा किस तरह से वितरण किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि काफी टीन का परमिट एक दफा में एक ही व्यक्ति को दिया गया और करीब २५०० टीन जयपुर में ही बिक गये ?

उप-मन्त्री, पचायत (श्री दौलतराम सारण) : (क) पंचायत समिति शाहपुरा व बैराट को जिला परिषद्, जयपुर द्वारा १९६० में क्रमशः ५६८ व ५७६ चद्दरों का कोटा दिया गया था ।

(ख) यह कोटा कृषकों को वितरण करने हेतु दिया गया था । कोटा सरपंचों की सिफारिश पर कृषकों को विकास अधिकारियों ने परमिट द्वारा वितरित किया ।

(ग) यह सही नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : यह जो आपने कोटा दिया है उसके अलावा कोई स्पेशल कोटा भी इस पंचायत समिति को दिया गया था या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है । इस विभाग से जितना कोटा दिया गया है उतना मैंने निवेदन कर दिया ।

श्री रामकरणसिंह : इस विभाग की ओर से और कोई नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन कर दिया ।

नगरपालिका भीलवाड़ा में गबन तथा चोरी

८६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीलवाड़ा के एक क्लर्क हाफिज मोहम्मद के विरुद्ध ५००) रु० के गबन का आरोप था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या हुआ ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री चांद रतन शर्मा नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध ८००) रु० के करों की चोरी का आरोप था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): जी नहीं । श्री हाफिज मोहम्मद, नगरपालिका की लाइब्रेरी के इन्चार्ज थे । इनकी गफलत के कारण करीब ३६१.८९ नये पैसे की पुस्तकें एवं ६०.६३ नये पैसे का अन्य सामान कम निकला । जितनी कीमत का सामान कम निकला उसकी वसूली की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है ।

(ख) जी नहीं । केवल ३२.४८ नये पैसे की चुंगी की रकम बाकी थी, वह वसूल कर ली गई है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा कि गफलत के कारण किताबें कम निकलीं, क्या यह सही है कि ये किताबें उसने

Page No.30

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बेच दी थीं ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि जब उसका चार्ज लिया तो इतनी कीमत की किताबें कम निकलीं, उसने बेचीं या क्या हुआ किस वजह से कम निकलीं पर उसकी जिम्मेदारी उस पर डाल कर कीमत वसूल की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सिद्ध क्या हुआ ? उसने इश्यू की थीं या बेच दी थीं ? अगर उसने बेच दी हैं तो उसका इन्टेन्शन साबित होता है और केवल रकम वापिस जमा कराने का ही प्रश्न नहीं है। उस पर मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री सम्पतराम :This is a peculiar question. I have specifically said that whatever material was found lost the whole responsibility has been imposed upon him and the recovery is going to be made in a regular manner.

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के प्रबधानों के प्रतिकूल बैंकों द्वारा कार्यवाही

८७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Labour Minister be pleased to state :-

How many Banks in Jaipur City have been found on inspection violating the provisions of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act and what action has been taken against them ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : Two Banks in Jaipur City were reported to have violated the provisions of the Rajasthan Shops and Commercial Act, 1958. In one case, the Manager on being referred about the non-payment of overtime to the Chowkidar, informed that he has moved his Head Office for payment of over time to the Chowkidar for double duty, As such, no further action was taken in the matter.

In another case a show cause notice was issued to the Manager of the Bank and on receipt of his explanation he was advised to approach the Government for exemption under Section 12 (3) of the Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What are those two Banks ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : One was Hindusthan Commercial Bank Ltd., Jaipur; इसमें डबल पेमेन्ट का सवाल था and another is Punjab National Bank Ltd., Jaipur.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या किसी कर्मचारी को डबल पेमेन्ट मर्जी से कर दे, तो २४ घंटों तक ड्यूटी कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओवर टाइम पेमेन्ट का सवाल था। इस बात का नोटिस दिया है कि पेमेन्ट की शिकायत है। उसने कहा कि हैड ऑफिस को लिखा है डबल पेमेन्ट के लिए और वहां से सैंक्शन आने पर पेमेन्ट कर देंगे।

राज्य कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय तथा राज्य कोष में बचत

८८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ कर्मचारियों को कम करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त निश्चयानुसार कितने कर्मचारी कम किये गये हैं ?

(२) उक्त कम किये गये कर्मचारियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) इस कमी के फलस्वरूप सरकार को कितनी बचत हुई है ?

(४) इस दौरान में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने नये कर्मचारी राज्य सेवा में लिये गये हैं और उनके वेतन, भत्ते आदि पर कुल कितना व्यय हो रहा है ?

उप-मन्त्री श्रम, (श्री दौलतराम सारण): अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, अगले सप्ताह में इसका उत्तर दिया जायगा ।

झुन्झुनू आयुर्वेद औषधालय को सरकारी अधिकार में लेने की शर्तें

८९. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या मन्त्री, आयुर्वेद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू नगर स्थित श्री बीणादेवी खिड़ेवाल आयुर्वेद औषधालय कब और किन किन शर्तों पर सरकार द्वारा हस्तगत किया गया था ? कृपया शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) औषधालय को सरकार के अधिकार में लेते समय औषधालय में कौन कौन कर्मचारी थे तथा उनकी योग्यता क्या थी ?

(३) उपरोक्त कर्मचारियों में से कितनों को सरकारी सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया है, तो क्यों ?

उप-मन्त्री आयुर्वेद, (श्री दौलतराम सारण) : (१) श्री बीणादेवी खिड़ेवाल आयुर्वेद औषधालय विभाग द्वारा हस्तगत नहीं किया गया है केवल भवन ही विभागीय औषधालय संचालनार्थ दान रूप में भेंट किया है। भेंट के समय जो शर्तें रखी हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है तथा विभागीय औषधालय जो वर्ष ५९-६० में खोला गया था वह दिनांक १९-३-६१ से इसी भवन में चालू है।

(२) औषधालय को सरकार ने जब अधिकार ही में नहीं लिया तो स्टाफ का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब भवन दिया गया था सरकार उस वक्त जिस व्यक्ति ने भवन दिया था उसको सरकार की ओर से क्या यह आश्वासन दिया गया था कि भवन के साथ साथ जितना स्टाफ वहां पर है उसको भी ले लेंगे ?

Page No.32

श्री दौलतराम सारण : उस समय जो शर्तनामा हुआ था उसकी कॉपी आपने मांगी है जो प्रस्तुत कर दी गई है। उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिस व्यक्ति ने भेंट में भवन दिया था उसको आश्वासन दिया गया था कि सारे स्टॉफ को नियमानुसार ले लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मुझे ऐसे आश्वासन की जानकारी नहीं है।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : वह कौनसी सरकार थी मौखिक ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या औषधालय लेते हैं तो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को भी साथ में लेने का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिये। सरकार ने औषधालय हस्तगत नहीं किया है वहां पर नया औषधालय खोला है, दानदाता ने भवन भेंट में दिया है।

सन् १९५६ में बूंदी जिले में स्थित गढ़ा बांध की टूट तथा उससे सम्बन्धित जांच

६०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५६ में बूंदी जिले में स्थित गुढ़ा बन्ध टूट गया तथा उसके विषय में एक डिपार्टमैन्टल इन्क्वायरी की गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें-

(२) जिस समय यह बन्ध टूटा था उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन थे ?

(३) क्या जिस समय यह बान्ध टूटा था उस समय इस बान्ध के टूटने के समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां के रेस्ट हाउस में मौजूद थे तथा बन्ध की चिन्ताजनक हालत का समाचार पाकर ही वे वहां आये थे ? यदि हां, तो फिर बन्ध न टूटने पावे, इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाये ?

(४) क्या यह सही है कि देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं थी तथा स्टोर से पैट्रोमेक्स आदि कुछ भी सप्लाई नहीं हुए और रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी जबकि पहली बार ही यह बन्ध भरा जा रहा था ?

(५) अगर देख रेख की कोई व्यवस्था थी तो मस्टर रोल से कितना पेमेंट उस रोज का किया गया ?

(६) क्या यह सही है कि बन्ध रात्रि के चार बजे टूटा और इत्तला मिलने पर भी उक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ८ बजे मौके पर पहुंचे ? यदि हां, तो इतनी देर से क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि श्री एन. एन. नन्दी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ जो जांच की गई थी उसमें ओवरसियर इन्चार्ज तथा दूसरे ओवरसियर जो टोंक से स्पेशल ड्यूटी पर भेजे गये थे उन्होंने यह बयान दिये थे कि बन्ध ४ बजे टूटा था और श्री बतरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ८ बजे वहां पर रैस्ट हाउस से पहुंचे ?

(८) यदि हां, तो फिर इनके विरुद्ध

Page No.33

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस लापरवाही के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(९) मौके पर पहुँचने के बाद बांध के नाके को चौड़ा होने से रोकने के लिये क्या किया गया ?

(१०) क्या यह सही है कि दूसरे दिन सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर ने यह हुक्म दिया की बाँध के नाके को चौड़ा होने से रोकने की व्यवस्था की जावे ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गई और उस वक्त की इस व्यवस्था पर कितना खर्च हुआ ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, अगली बार दिया जायगा ।

पशु-पालन तथा सांड खरीदने के निमित्त अनुदान विकास खंड नोहर द्वारा

६१. श्री **रामकिशन** (नोहर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विकास खंड नोहर द्वारा २ अक्टूबर, १९५९ के बाद कितने व्यक्तियों को पशु पालन तथा सांड खरीदने के लिये कितने कितने रुपये का अनुदान दिया गया ?

(ख) क्या नियमानुसार उन रकमों को प्रयोग में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसा न करने वाले व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जिन व्यक्तियों ने अनुदान का उपयोग नहीं किया है उन्हें नोटिस जारी किया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : नोटिस कब जारी किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख मेरे पास नहीं है ।

नोहर नगरपालिका का चुनाव

६४. श्री **रामकिशन** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नोहर नगरपालिका का गत निर्वाचन कब हुआ था ?

(२) क्या आगामी निर्वाचन के लिये राजपत्र में वार्ड सूची मुद्रित हुई थी ? यदि हां, तो कब किस अंक में ?

(३) क्या वार्ड सूची पर कोई एतराज पेश हुआ ? यदि हों, तो कब और किसके सामने एवं उसका निराकरण हुआ है या नहीं ?

(४) क्या सरकार ने फाइनल वार्ड सूची तैयार कर ली है ? यदि नहीं, तो देरी किस वजह से हो रही है ? यदि हां, तो क्या चुनाव समय पर सम्पन्न हो जावेगा ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) दिनांक १३-६-५८ को ।

(२) जी हां। दिनांक १०-८-६० को राजस्थान राजपत्र भाग ६ ए. में ।

(३) जी हां । श्री श्रीनिवास, श्री

Page No.34

(श्री सम्पतराम)

हरीप्रसाद व श्री गोपालसिंह, सदस्य, नगर-पालिका मण्डल नोहर के द्वारा एतराज कलेक्टर, गंगानगर के समक्ष पेश किये गये जो सरकार के विचाराधीन हैं।

(४) जब तक एतराजों पर विचार नहीं किया जाता तब तक यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : विचार कब किया जायगा या कब से हो रहा है।

श्री सम्पतराम : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप उत्तर तो दे चुके लेकिन आपने कहा कि विचार हो रहा है निर्णय नही हुआ तो यह कब तक हो जायगा ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही फैसला करने की कोशिश करेंगे।

राजस्थान राज पत्र में हिन्दी भाषा में विज्ञप्तियां

७३. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राजपत्र में एक ही बार में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक ही तरफ की विज्ञप्तियां तो प्रकाशित हो जाती हैं, पर बहुत सी हिन्दी भाषा की विज्ञप्तियां बाद में विशेषांक के रूप में प्रकाशित की जाती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि राजपत्र में अंग्रेजी की सामग्री मिलती ही नहीं ?

(ग) किन किन विभागों से अंग्रेजी में सामग्री ज्यादा होती है ?

मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) यह सही नहीं है कि हिंदी भाषा की विज्ञप्तियां बाद में विशेषांक के रूप में प्रकाशित की जाती हैं। कुछ विज्ञप्तियां केवल हिन्दी में ही निकाली जाती हैं।

(ख) यथा-सम्भव किसी विभाग से प्राप्त अंग्रेजी की विज्ञप्ति और उसका हिन्दी अनुवाद साथ ही प्रकाशित किया जाता है, किन्तु कभी कभी अंग्रेजी की विज्ञप्ति तो प्रकाशनार्थ भेज दी जाती है, परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद बाद में जाता है, परिणाम-स्वरूप अंग्रेजी की विज्ञप्ति पहिले और उसका हिन्दी अनुवाद बाद में प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशन के लिये प्राप्त सामग्री मिलने पर तो छप ही जाती है। राजपत्र का अधिकांश भाग हिन्दी में ही प्रकाशित किया जाता है।

(ग) अधिकतया निम्न विभागों से अंग्रेजी की विज्ञप्तियां अधिक प्राप्त होती है :

१. नियुक्ति विभाग, २. विधि विभाग, ३. राजस्थान लोक सेवा आयोग, ४. एक्साइज एण्ड टैक्सेशन विभाग, ५. वित्त विभाग ६. केन्द्रीय सरकार के अधिनियम तथा अन्य विज्ञप्तियां।

इसके अतिरिक्त भाग ७. (ख) की विज्ञप्तियां; जैसे टेन्डर नोटिस और नीलाम की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

विज्ञप्तियां अधिकांश विभागों से अंग्रेजी में ही प्राप्त होती हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इंग्लिश के भाग का ज्यादा वितरण होता है या हिन्दी के भाग का ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने इस बात की कोशिश की कि सारा ही हिन्दी में निकले, लेकिन कुछ ऐसी विज्ञप्तियां हैं जो विधान के अनुसार अंग्रेजी ही में निकलनी चाहिये; फिर भी हम उनका हिन्दी ट्रान्सलेशन छाप देते हैं ।

श्री मदनसिंह : हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ विज्ञप्तियां हिन्दी में ही निकालनी आवश्यक होती हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): लेकिन प्रश्न यह है कि अधिकांश अंग्रेजी ही में निकलती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो डिपार्टमेंट का काम है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : वैधानिक रूप से कौनसी अंग्रेजी में निकलनी जरूरी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो चाहते हैं कि सारी की सारी हिन्दी में निकलें, लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन का एक सेक्शन है उसके अनुसार अंग्रेजी में निकालनी लाजमी हैं ।

सहकारी समितियों में गबन के मामले

७६. **डॉ. बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनमें सन् १९६० व सन् १९६१ के मार्च तक गबन के मामलों की शिकायत होने पर विभाग ने जांच की है या जांच की जा रही है ? जिलेवार सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

(ख) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनके मामले पुलिस को दे दिये गये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनके गबन के मामले अदालत में पेश किये गये हैं ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) वांछित सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इसका उत्तर भी सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है ।

(ग) इसका उत्तर भी सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२.०८ म. प.)

श्री गंगानगर की शार्दूल टैक्सटाइल मिल में मजदूरों की हड़ताल सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास एवं श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा ने श्री गंगानगर की शार्दूल टैक्सटाइल मिल में मजदूरों की हड़ताल से सम्बन्धित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

(श्री अध्यक्ष)

दी हैं। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की सम्मति नहीं देता हूँ। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि माननीय श्रम मंत्री स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस पर एक वक्तव्य दें।

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, श्री शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स, श्री गंगानगर में उपस्थिति श्रम स्थित के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि श्री रामसिंह अटल, जो श्री शार्दूल टैक्सटाइल्स लि., श्री गंगानगर के भूतपूर्व कर्मचारी हैं तथा श्री शार्दूल टैक्सटाइल्स मजदूर यूनियन के प्रधान मंत्री हैं, मिल कॉलोनी में स्थित मजदूर यूनियन के कार्यालय में जाने से रोके जाने के फलस्वरूप दिनांक ५ जुलाई, ६१ से भूख हड़ताल पर बैठे। मिल अधिकारियों को श्री रामसिंह के मिल कॉलोनी में प्रवेश करने में यह विरोध है कि श्री रामसिंह मजदूरों में उत्तेजित भावनायें फैलाकर अनुचित तथा अवांछनीय कार्य करने के लिये उकसाते हैं।

समझौता अधिकारी, बीकानेर, श्री चमनसिंह अरोरा, ने स्थिति पर काबू पाने की गरज से मामले में हस्तक्षेप किया तथा हालात को समझने के पश्चात् राय दी कि उक्त मामला विवादग्रस्त प्रश्न नहीं माना जा सकता और न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लिया जा सकता है, चूंकि श्री रामसिंह भूतपूर्व कर्मचारी हैं और उनके और मालिक कारखाने के बीच सीधा मालिक मजदूर का संबंध नहीं है। १२ जुलाई, सन् १९६१ को स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के आदेशानुसार श्री रामसिंह को हिरासत में ले लिया गया।

१३ जुलाई, सन् ६१ से दूसरे भूतपूर्व कर्मचारी श्री तपस्वी उनकी जगह भूख हड़ताल पर बैठे जिनको दिनांक १६-८-६१ को हिरासत में ले लिया गया इस समय तक मिल की स्थिति सामान्य थी।

इस दौरान में मजदूर यूनीयन ने मालिकों के समक्ष दिनांक १-८-६१ को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक १६-८-६१ से हड़ताल पर जाने की मंशा प्रकट की। दिनांक १६-८-६१ से यूनियन ने हड़ताल प्रारम्भ की।

मांग-पत्र में निम्न मांगें रखी गईं :-

(१) श्री रामसिंह को मिल में प्रवेश करने की अनुमति।

(२) सन् १९६० के मुनाफे पर मजदूरों को तीन माह के वेतन के बराबर बोनस।

(३) सर्विस स्कीम का श्री गणेश।

(४) प्रत्येक मजदूर को १५ दिन का सवैतनिक अवकाश।

(५) यूनियन को मान्यता।

समझौता अधिकारी बीकानेर ने मामले को समझौता वार्ता में लिया और दिनांक ९-८-६१ को दोनों पक्षों को वार्ता के लिये श्री गंगानगर बुलाया-मालिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। मालिकों की ओर से यह आक्षेप किया गया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कि मांग-पत्र में एक मांग जो सवैतनिक अवकाश से सम्बन्धित है ट्रिब्यूनल के अवार्ड दिनांक १४-८-५८ से तय की जा चुकी है। उक्त अवार्ड लागू है तथा मजदूर यूनियन द्वारा धारा १९(६) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अनुसार इस मांग को प्रस्तुत करने के पूर्व अवार्ड को रद्द करने के सम्बन्ध में दो मास का कानूनी नोटिस देना अनिवार्य था। अतः मजदूर यूनियन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल, धारा २३ (स) के अन्तर्गत निषेध है और धारा २४ (१) (I) के अनुसार अवैधानिक है।

समझौता अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया कि उक्त मांग जो सवैतनिक अवकाश से सम्बन्धित है मजदूर यूनियन द्वारा अवैधानिक तौर से प्रस्तुत की गई है तथा प्रस्तावित हड़ताल की कार्यवाही कानूनी दृष्टि से अवैधानिक प्रतीत होती है।

सरकार को श्रम आयुक्त ने उक्त मामले की तुरन्त सूचना भिजवा कर सिफारिश की कि ऐसी दृष्टि में सरकार यूनियन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को कार्यवाही को अवैधानिक घोषित करने की दिशा में एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करें तथा इस विषय का वैधानिक निर्णय लेबर कोर्ट, राजस्थान द्वारा करवाने हेतु हड़ताल के अवैधानिकता के प्रश्न को कोर्ट के सुपुर्द करें।

सरकार ने सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पूर्व एक पत्र द्वारा यूनियन को अवैधानिक कार्यवाही समाप्त करने की सूचना किया। तदुपरांत सरकार ने सरकारी विज्ञप्ति द्वारा हड़ताल को अवैधानिक प्रतीत होने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की। तथा मजदूरों को पुनः काम पर जाने के लिए सलाह दी—इस पर भी यूनियन ने हड़ताल वापिस नहीं ली—अतः सरकार ने हड़ताल के अवैधानिक विषय पर अदालती निर्णय के सम्बन्ध में लेबर कोर्ट, राजस्थान को मामला सुपुर्द किया।

इस बीच में श्रम आयुक्त, राजस्थान ने दिनांक ८ व ९ सितम्बर सन् १९६१ को औद्योगिक अशांति को समाप्त करने तथा मिल को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में में दोनों पक्षों को आमंत्रित किया तथा मामले पर विचार किया। मजदूर पक्ष की ओर से निरन्तर इस बात पर बल दिया जाता रहा कि कुल मजदूर जिसमें मालिकों द्वारा पृथक किये गये तथा मुअत्तिल किये गये मजदूर भी सम्मिलित हैं, पुनः काम पर लिये जाने का अनुरोध किया। मालिक पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि हड़ताल बिना शर्त वापिस ली जावे। इसके उपरांत मालिक कारखाना पृथक किये गये तथा मुअत्तिल किये मजदूरों के मामलों पर उदार-हृदयता से विचार करेगा। चूंकि मजदूर पक्ष ने हड़ताल की अवैधानिकता को स्वीकार करने से इन्कार किया, इस कारण वार्ता असफल रही।

हड़ताल अब भी जारी है। परन्तु आवश्यक सरकारी कदम इस दिशा में लिये जा चुके हैं, जो मालिक तथा मजदूर दोनों पक्षों को मान्य होने चाहिये चूंकि यह सरकारी श्रम नीति के आधार पर अवलम्बित है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े में

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह बात बताना चाहता हूँ कि अटल ने जो भूख हड़ताल की थी वह हड़ताल इस बात को लेकर की थी कि जहां मजदूरों की कालोनी है, उसमें उन्हें जाने से मिल मालिक ने रोका। अगर एक व्यक्ति को मजदूरों की उस कोलोनी में जाने से रोकते हैं तो यह बुरी बात है क्योंकि कालोनी किसी की नहीं है। वे लोग किराया देकर रहते हैं, उस क्षेत्र में उन्हें जाने का अधिकार है। इतनी सी बात के लिए इतनी बात बढ़ती है कि सत्ताइस दिन हो गये, बराबर हड़ताल चल रही है। दूसरी डिमान्ड है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि १५ दिन की छुट्टी का मामला है, वह अवार्ड था, वह वापिस ले लिया गया है। इसके साथ ही यह हड़ताल इल्लीगल हड़ताल इसलिए नहीं होती कि जो नोटिस दिया गया है वह जब उनकी यूनियन की ओर से मान्य था, उसके मान्य होने के बाद १५ दिन का नोटिस देते हैं, तो वह स्ट्राइक लीगल हो सकती है। इस हालत में मैं यह कहना चाहता हूँ, सरकार भी इस बात को समझती है कि इसके कारण आज करीब पन्द्रह सौ मजदूर २७ दिन से हड़ताल पर हैं, इससे सरकारी खजाने में साढ़े सात हजार रुपये एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है, जैसा गवर्नमेंट खुद कहती है, और जो ५० हजार गज कपड़ा रोज पैदा होता है; उसका १० लाख, १५ लाख का नुकसान हो रहा है। ऐसी हालत में सरकार को चाहिए, जब उनकी अपील है कि अगर हम गलत रास्ते पर हैं, तो सरकार ट्रिब्यूनल को यह मामला सौंप दे और आज जो स्थिति है, उसमें सुधार होना चाहिये। जो लोग काम पर जाना चाहते हैं, उनको काम पर भेजें, जिससे देश का उत्पादन बढ़े। आप अगर कहते हैं कि उनकी गलती है और वे भी कहते हैं कि अगर हमारी गलती बताते हैं तो ट्रिब्यूनल को रेफर कर दें। उसका अगर फैसला होगा कि उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इतने दिनों से इतनी सी मांग पर कि जहां मजदूर रहते हैं, वे मजदूर अपनी कॉलोनी में जाना चाहते हैं; जहां मजदूर खुद किराया देकर रहते हैं, उसमें न जाने देना, मैं समझता हूँ न्यायसंगत नहीं है। मैं मांग करता हूँ, और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्र का सवाल है, उत्पादन का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, बेकारी और भुखमरी का सवाल है, इसलिए इस चीज को दबाना नहीं चाहिये। सरकार अगर दबाती है तो लोग कहते हैं कि सरकार ने मालिकों से दो लाख रुपया ले लिया है और दो लाख रुपया लेकर इस मामले को दबाना चाहती है। इस तरह की अखबारों में खबरें आई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का मामला है जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है, सरकार शेयर होल्डर है और उसमें दो मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं........

श्री अध्यक्ष : आप कह चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूँ कि इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। आगे जाकर इसका नतीजा बुरा निकलेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सरकार इस मसले पर इस तरीके से विचार करे.... ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महो-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दय, मुझे इस बात का दुःख है और हार्दिक दुःख है कि माननीय सदस्य एक जिम्मेदार आदमी होकर यह बात कहते हैं कि सरकार ने दो लाख रुपये लेकर इस तरह की कार्यवाही की है......

श्री मुरलीधर व्यास : दो लाख रुपये लिये हैं, यह अखबारों में आया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अखबार जो निकलते हैं, उसमें आप कुछ भी निकलवा सकते हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मजदूरों के हित में यह बात है कि जो उन्होंने गैर कानूनी हड़ताल की है उसे वह खत्म कर दें। जो माननीय सदस्य उन्हें बरगलाते है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ऐसा वह मजदूरों के हित में नहीं कर रहे हैं, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के हित में नहीं कर रहे हैं, मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मजदूरों को एडवाइज करें कि वे इल्लीगल हड़ताल खत्म कर दें। गवर्नमेंट जो कुछ भी कार्यवाही कर सकती है, वह अवश्य करेगी। मैं यह भी कहने को तैयार हूँ कि जो कानूनी कार्यवाही मैं कर सकता हूँ, वह हमेशा करने के लिए तैयार हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं करूंगा। लेकिन यह हड़ताल गलत है, इल्लीगल है और जो मजदूरों को भड़का रहे हैं, गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे गलती पर हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि वे काम पर जाने को तैयार हैं, अगर उन्हें बेशर्त काम पर ले लें और सारा मामला ट्रिब्यूनल को दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने मजदूरों को एडवाइज दी थी कि हड़ताल न करें। मेरी बात नहीं मानी और हड़ताल कर दी। आप कहते हैं, सरकार ने कार्यवाही नहीं की, दबाने के लिए कोशिश की। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मजदूरों को मिसगाइड करते हैं और फिर हमसे मजदूरों की रक्षा कराना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जहां इतने मजदूर रहते हैं, उस कोलोनी में जाने से मालिक उन्हें कैसे रोक सकता है? जहां पर मजदूर रहते हैं वहां पर जाने से मालिक रोकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने उनको बरगलाया कि वे हड़ताल कर दें, भूख हड़ताल कर दें और अब आप कहते हैं कि उनका प्रोटेक्शन करें। आप गुमराह करते हैं और हमसे प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : हड़ताल को दबाने।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज !!

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : On a point of information, Sir, I could not follow what the Hon'ble Minister said in Hindi. The Hon'ble Member just said that the Government has taken two lacs-it is not a new thing. Did he mean to suggest that the Government has taken two lacs rupees is nothing new.

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I could not

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

understand what my learned friend said in English.

अगर आप हिन्दी में बोलते, तो हमें आसानी रहती, हम सब समझ सकते थे। हम बिना पढ़े-लिखे आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री अर्जुनदास : Did the Hon'ble Minister mean to suggest that the Government has taken two lacs--it is not a new thing for the Governmet.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, रामसिंह अटल के लिए मजदूर कोलोनी में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए कहा गया और कहा गया कि वह मजदूरों को भड़काने के लिए गया। बात ऐसी नहीं है, रामसिंह अटल यूनियन का सेक्रेटरी है गंगानगर टैक्साइल मिल है, उसकी जो यूनियन है, उस यूनियन का दफ्तर भी वहीं है, जहां मजदूरों के रेजीडेन्सेज के लिए क्वार्टर्स हैं, वहीं उसका दफ्तर है। वह उस यूनियन का सेक्रेटरी है। उसको ऑफिस जाने से रोका जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of order, Sir, under what rule the Hon'ble member is exercising the right of reply ?

श्री अध्यक्ष : He is not replying. He is asking for some clarification.

श्री श्रीभानसिंह : I think under the Rules of Procedure there can be no debate after the Hon'ble Minister has replied.

श्री अध्यक्ष : There is no debate. He wants certain clarification on some point. He can ask Hon'ble Minister to clarify.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble member should rise under certain rule......

श्री अध्यक्ष : There is nothing under the rules to bar......

श्री श्रीभानसिंह : He should quote certain rule.

श्री अध्यक्ष : He is seeking certain clarifications from the Hon 'ble Minister.

श्री श्रीभानसिंह : According to Rules, after the statement of Hon'ble Minister there will be no debate and no question can be put......

श्री अध्यक्ष : There is no debate. He simply wants to clarify certain point.

कृपया संक्षेप में पूछ लें कि क्या पूछना चाहते हैं, लम्बा भाषण न दें।

श्री लच्छूराम : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वेतन का प्रश्न था वह तो उन्होंने वापिस ले लिया है, अब उनकी मांगें ज्यादा नहीं रही हैं, एक तो उनकी ग्रेच्युटी की मांग है, दूसरी उनकी बोनस की मांग है और तीसरी मांग उनकी यूनियन की मंजूरी की है

(श्री लच्छूराम)

ये केवल तीन ही प्रश्न हैं। वेतन की मांग की थी वह वापिस ले ली है। तो अब उनकी ये उचित मांगें हैं।' मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनसे बात-चीत करके जल्दी फैसला कराया जाय।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): अोन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, 'मांग किया' यह क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मैं हर सम्भव कानूनी कार्यवाही करने को तैयार हूँ। हम कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य हमसे मिले थे, हम कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य हमसे फिर मिल लें। हम यह चाहते हैं कि शान्ति रहे, पर माननीय सदस्यों को गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना चाहिये। हम हर सम्भव कानूनी कार्यवाही करने को तैयार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यूनियन के सेक्रेटरी को यूनियन के ऑफिस पर जाने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने नहीं रोका है, मैं बता चुका हूँ आप समझते नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यूनियन के सेक्रेट्री को ऑफिस पर जाने से रोका है। आप कैसे रोक सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज.....

श्री मुरलीधर व्यास : यह शर्म की बात होती है...आप कैसे रोक सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं रोका है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप समझते नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : रोका। कैसे नहीं रोका है ? यह शर्म की बात है.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। इस तरह बहस नहीं करें। अब दूसरे आइटम्स हैं एजेंडा पर....

श्री लच्छूराम (मंडावा) : जमादार ने उन्हें पीटा है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कहते हैं कि सरकार ने नहीं रोका है।

(१२.२३ म०प०)

राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १९६१

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल, १९६१; क्लॉज ४ पर बहस हो रही थी। श्री जगदीशप्रसाद माथुर कृपया अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में मेरा संशोधन है कि यह जो प्रोविजो है :

'Provided that no aid shall be given to an old or established industry unless the State Government is satisfied that special reasons exist for giving such aid.'

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस प्रकार का प्रोविजन जोड़ा गया है, उस प्रोविजो को हटा दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में जिन जिन उद्योगों को हम सहायता देना चाहते हैं, उन उद्योगों का वर्गीकरण किया है। यह जो वर्गीकरण किया गया है वह विधेयक की मूल भावना के पूर्णतः विपरीत है। इस प्रकार का विधेयक बनाने की प्रेरणा हैन्डी क्राफ्ट बोर्ड से मिली है कि इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों को राज्य सरकारें किस किस प्रकार सहायता दें, इसके लिये सारे देश में कानून बनने चाहिये। उसी प्रेरणा से यह विधेयक बनाया गया है। पर इसे बनाते वक्त सरकार ने इस चीज को छोड़ दिया है। जो छोटी इन्डस्ट्रीज हैं, रूरल इन्डस्ट्रीज हैं उनको सहायता देनी चाहिये पर इस विधेयक के अन्दर जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, या आगे स्थापित होने वाले हैं, या पुराने काम कर रहे हैं उन सारे उद्योगों को इसकी परिभाषा में ले लिया गया है और सरकार ने बहुत बड़ा हथियार अपने हाथ में ले लिया है। पुराने उद्योगों के लिये यह नहीं लिखा है कि किस प्रकार के होने चाहिए, जो बड़े उद्योग हैं उनको सरकार सहायता नहीं देना चाहती होगी पर जो पुराने उद्योग हैं वे फिर छोटे हों या बड़े उद्योग, उनको सरकार सहायता देगी या नहीं, पुराने उद्योगों को सहायता देने का प्रावधान है, इसकी क्लॉज (डी) में आता है :

"an old or established industry"

ओल्ड इन्डस्ट्रीज में ऐसे सारे उद्योग आ जाते हैं जो चाहे छोटे हों या बड़े उद्योग हों, सारे उद्योग आ जाते हैं। उन उद्योगों को सरकार सहायता दे या नहीं इसके डिस्क्रिशनरी पॉवर्स सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। इतना ही नहीं, इस विधेयक की धाराओं पर अच्छी तरह से विचार किया जाय तो पता चलेगा कि सरकार ने इससे आगे भी अधिकार लिये हैं। इसके सब-क्लॉज २ में लिखा है:

"Provided further that no aid shall be given to a company unless it conforms to such rules as may be made by the State Government from time to time and".

जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार नियम बनायेगी उन नियमों के अनुसार जो इन्डस्ट्रीज काम नहीं करती हैं तो सरकार उनको सहायता नहीं देगी। यदि पुरानी इन्डस्ट्रीज भी उन नियमों के अनुसार काम नहीं करती हैं तो सरकार उनको सहायता नहीं देगी, इसमें हमें आपत्ति नहीं, पर पुराने उद्योग सारे सरकार के नियमों का पालन करते हैं, तो फिर सरकार कैसे मना कर सकती है कि सहायता नहीं देगी? क्लॉज ५ में सहायता निर्धारित है वह सरकार की इच्छा पर रहेगा कि जिसको चाहे उसको सहायता, सब्सिडी, लोन, अनुदान दे और जिसको नहीं चाहे, उसको न दें। मर्जी आये उस उद्योग का सरकार बैंक के द्वारा सहायता या ऋण दे सकती है, यह सारी सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, इसके लिये सरकार पर किसी प्रकार को रोक नहीं। यह प्रोविजो हटा देने पर सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, सरकार को कम से कम रूल्स को तो कम्प्लाई विथ करना पड़ेगा। जो उद्योग रूल्स के माफिक काम नहीं करता है तो उसे सरकार कह सकती है कि हम सहायता नहीं देते। सहायता देना, न देना, यह तो सरकार के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया; पर रूल्स का

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कम्प्लाई जो उद्योग करते हैं, रूल्स को कम्प्लाई करते हुए भी उन उद्योगों को सहायता देना न देना सरकार के डिस्क्रिशन पर छोड़ना, रूल्स को वे उद्योग कम्प्लाई करते हैं या नहीं इसके अन्तिम निर्णय को सरकार के डिस्क्रिशन पर छोड़ना, यह उचित नहीं है। इसकी सब-सेक्शन (२) है, उसमें लिखा है।

"The decision of the State Government as to whether conditions of this section are fulfilled shall be final and shall not be called in question in any court of law."

तो सरकार डर क्यों रही है ? यदि प्रश्न यह आता है कि किसी व्यक्ति ने सरकार के नियमों का पालन किया है या नहीं किया है तो इसका निर्णय कौन दे ? हमारे अभी जो मन्त्री महोदय हैं वे इसका निर्णय दे दें तो ठीक है क्योंकि वे वकील रहे हैं और कानून को जानने वाले हैं, वे इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं कि किस उद्योग ने नियमों का पालन किया है या नहीं किया है। दुर्भाग्य से ६२ में होने वाले चुनावों में आपका नम्बर नहीं आये और आप मन्त्री न रहें और आपके स्थान पर इस प्रकार के मन्त्री आ जायं जो कानून नहीं जानते हों, क्योंकि कानून जानना किसी मन्त्री के लिये जरूरी नहीं है, कानून नही जानने वाले भी मन्त्री बन सकते हैं, तो ऐसे कानून नही जानने वाले मन्त्री बन जायं और वे मन्त्री इस प्रकार का निर्णय लें कि इस इन्डस्ट्री ने नियमों की मन्शा के अनुसार काम नहीं किया है तो उस उद्योग को अदालत में जाने से आप क्यों रोक रहे हैं ? लोन दें या नहीं दें यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, पर उस इन्डस्ट्री ने कानून के नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, इस चीज का निर्णय आपने किया है उसके लिये कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहता है तो उसको आप क्यों रोकते हैं ? आप इसलिये रोकना चाहते हैं कि आप वहां पर भी मनमानी करना चाहते हैं। आज किसी कानून के अन्तर्गत रुपया दिया जाता है उसके लिये कोई आपत्ति नहीं उठाई है आज तक आपत्ति नहीं उठाई गई कि कितना रुपया किस कानून के अंतर्गत राज्य सरकार को देने का अधिकार है या नहीं। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यही आपत्ति उठाई कि किस प्रकार से रुपया दिया जाता है जो सब्सिडी और लोन के रूप में होता है। इस देने के तरीके पर आपत्ति है, कानून पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मगर जिस प्रकार से रुपया दिया जाता है उस तरीके पर आपत्ति है। इस धारा पर वही बात आती है कि सरकार एक तरफ किसी को रुपया देना चाहती है, किसको देना चाहती है, किसने नियमों का पालन किया है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा ? उद्योग मंत्री कानून जाने या न जाने, मगर जब वे इसका उत्तर देंगे, अवश्य जवाब देंगे। कल उद्योग मंत्री ने बताया था कि छोटे उद्योगों को देते हैं, बड़ों को नहीं देते हैं। मगर आपने कानून में किसी प्रकार की रोक नहीं रखी है। आप सर्वाधिकार सम्पन्न बने हैं। जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा उसको भी स्वीकार किया जावे और यह जो प्रोविजो जोड़ा है कि गवर्नमेन्ट तय करेगी कि इसको रुपया दिया जावे या नहीं : " delete the first proviso to sub clause (1)"इस प्रकार का मेरा संशोधन है। इसको डिलीट किया जावे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है कि इस क्लॉज के रहने से पुरानी जो एस्टेब्लिश्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनको स्पेशल रीजन्स से इस एक्ट की तहत सहायता मिल सकेगी। अगर वे इस संबन्ध में क्लॉज ४ सब-क्लॉज (१) को मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा कि जिन जिन इन्डस्ट्रीज को सहायता देने का बताया है उसमें ओल्ड एन्ड इस्टेब्लिश्ड इन्डस्ट्रीज भी हैं। इसको ज्यादा सहायता जब तक कोई खास कारण नहीं उत्पन्न हो जावे, नहीं दी जा सकती। यह हो सकता है कि पुरानी इन्डस्ट्री है, धन के अभाव में उसको कुछ मदद चाहिये, इसके लिये स्पेशल रीजन्स होने चाहिये। नई इन्डस्ट्रीज को पूरा सहयोग नहीं दे सकेंगे अगर उनको देंगे तो इसलिये यह रेस्ट्रिक्शन रखा है। पुरानी इन्डस्ट्री ठीक तरह से चल रही ह तो उसको नहीं दिया जावे। इस कानून की मन्शा यह है कि हम उसकी फाउन्डिंग स्टेज में मदद कर सकें और उसको ठीक तरह से एस्टे-ब्लिश करने में मदद कर सकें। इसलिये यह कहना कि ओल्ड इन्डस्ट्रीज को जिनको सरकार की मर्जी होगी उसको सहायता देंगे, यह कहना उचित नहीं है। इसके लिये रीजन्स तो होने ही चाहिये। अगर वह इन्डस्ट्री बन्द हो गई है तो उसके बन्द होने के कारण क्या हैं, किस कारण से बन्द हुई यह तो मालूम होना ही चाहिये। अगर इस एक्ट की तहत में सहायता देकर चला सकते हैं तो उनको सहायता देंगे। यह निर्णय करने का सरकार को अधिकार हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे ओल्ड इन्डस्ट्रीज को मदद देने की जरूरत पड़े तो हमने इसमें यह प्रोविजन रखा है। जो इन्डस्ट्रीज चल रही हैं उनको सहायता नहीं दी जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे और जो उन्होंने अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है उसको विथड्रॉ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : दोनों संशोधन मतदान के लिये एक साथ प्रस्तुत करता हूँ।

प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने जो संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I have also got an amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल प्रस्तुत किया है उसमें क्लॉज ५ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सहायता किस किस प्रकार की दी जावेगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप दिये गये हैं उसमें यह भी है, इसलिये मेरा संशोधन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का प्रस्ताव इस प्रकार है :

" Delete the words "free of charge or" appearing in part (I)."

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रावधान के संबन्ध में संशोधन रखा है कि हम उद्योगों को सहायता दें, लेकिन उद्योग को सहायता देने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्राइवेट पार्टीज को उनके उद्योग में सलाह देने के लिये राज्य के कर्मचारी और टेक्नीकल एक्सपर्ट्स व जो राज्य की सेवा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं की मदद दी जावे। मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था की गई तो इस प्रकार की गड़बड़ियाँ पैदा हो जावेंगी जिनको मुझे सदन में बताने की आवश्यकता नहीं। यह हो सकता है कि अमुक व्यक्ति बाहर से राजस्थान में आए और नया उद्योग खोलना चाहे और उसको अगर इन्डस्ट्री खोलने के लिये इन्डस्ट्रियल एक्सपर्ट्स राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार के अधिकारी होंगे जिन लोगों को सब्सिडी या कर्जा लेना होगा वे यहां आकर....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपका लास्ट (ए) और (बी) पर संशोधन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ऊपर और पढ़ लीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपके दो पर ही अमेन्डमेंट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा संशोधन है और यह लिस्ट नं० २ में है। यह छपा हुआ है। आपके पास दूसरी कॉपी आ गई होगी। आप देख लें, मिली या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am just looking into it.

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसमें मांग की है और सदन उसे स्वीकार करेगा कि औद्योगीकरण में हम किसी को सहायता देने से वंचित नहीं रखना चाहते, मगर हम यह भी नहीं चाहते कि सहायता देने वाले और लेने वाले उद्योग हैं उसका घरेलू संबंध इस प्रकार का हो जाए कि हमारे कर्मचारी उद्योगपतियों के कर्मचारी हो जाएं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इससे सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है और इसके कारण ही कठिनाइयाँ पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बोर्ड की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था है कि सलाह देने के लिये वे जा सकते हैं और सलाह दे सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि राज्य सरकार के कर्मचारी उद्योगपतियों या उद्योग चलाने वालों के यहां डाइरेक्टर हों या सेक्रेट्री हों और वे अमेरिका, जर्मनी या रूस जाकर आये हुए इन्डस्ट्रियल एक्सपर्टस, हों उनकी सर्विसेज को हम उन इण्डस्ट्रियलिस्टों को दें। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। किसी फैक्ट्री के स्टार्ट करने के बारे में आप उनको सलाह दे सकते हैं, किसी के फाउन्डेशन के लिये सहयोग दे सकते हैं

Page No.46

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन क्या आप उनको ऐसी सेवा देना चाहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, यदि कोई व्यक्ति उद्योग के संबंध में राज्य सरकार के सरकारी व्यक्तियों की सेवा लेना चाहता है तो राज्य सरकार नहीं देगी। मुझे आश्चर्य तो जब हुआ इसको पढ़कर, शायद मिस प्रिन्ट है या क्या है, लिखा है:

'By granting free of charge or on favourable terms, the services of officers and experts in the service of the State Government......"

यानी राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सेवायें उद्योगों को देंगे और बिना चार्ज किये देंगे, उनसे आप पैसा नहीं लेंगे। फिर माननीय मंत्री कहते हैं कि आशंकाएं इस प्रकार की क्यों करते हैं। इस प्रकार का प्रावधान करते हैं जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और उद्योगपतियों में एक प्रकार का संपर्क स्थापन करना है ? स्टेट के अधिकारियों का और उद्योगों के पूंजीपतियों का एक कोलोब्रोरेशन करना चाहते हैं। इसमें आगे जाकर बड़ी भारी और गंभीर चीजें पैदा होंगी, सदन उन पर आज ही स्वयं विचार कर सकता है। जब सरकार की ओर से इस प्रकार का प्रोविजन किया जाता है तो, मैं समझता हूँ कि सदन मेरी इस बात की पुष्टि करेगा कि सरकार की सर्विसेज और पूंजीपतियों में आगे जाकर किस प्रकार को एक व्यवस्था बन जायगी जिसको गंभीर रूप में देखना चाहिये और विचार गहराई से करना चाहिये।

दूसरा प्रस्ताव है। प्रावधान यह रखा गया है कि उन उद्योगों को लोकल टैक्सेज से और सेल्स टैक्स से एग्जम्प्ट करेंगे। मैंने इस प्रावधान को विलोपित करने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव रखा है। पिछले दिनों इन्डस्ट्रीज के सिलसिले में देखा यह गया है कि उनको सेल्स टैक्स का एग्जेम्पशन दिया गया था। फिर उसको विथड्रॉ कर लिया। इसलिए विथड्रॉ कर लिया गया कि आमदनी में कमी हुई। इलेक्शन के टाइम पर जब फिर वे डिमान्ड करेंगे तो आप उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे। सन् ६० में एक चीज दी थी, विथड्रॉ कर ली। फिर एग्जेम्पशन करेंगे, इलेक्शन पीरियड पर एग्जेम्पशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान की नगरपालिकाएँ, पंचायतें और राजस्थान की ये स्वायत्त शासन संस्थायें फिर किस प्रकार से जिन्दा रह सकेंगी जब कि पहले से ही उनकी आर्थिक हालत शोचनीय है। मैंने अखबार में समाचार पढ़ा कि चित्तौड़ जिले की बड़ी सादड़ी नगरपालिका चुनाव करना चाहती थी। चुनाव को केवल इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा कि नगरपालिका के कोष में इतना पैसा नहीं था कि जिससे बेलट पेपर छपवाये जाते, पोलिंग की व्यवस्था की जाती और जो भी इलेक्शन की व्यवस्था के सिलसिले में एक्स्पेन्डीचर किया जाना चाहिये था इतना पैसा भी नगरपालिका के कोष में नहीं था इसलिए राजस्थान में बड़ी सादड़ी की नगरपालिका को चुनाव स्थगित करने पड़े और इसलिए स्थगित करने पड़े कि इलेक्शन कन्डक्ट करने के लिए नगरपालिका के कोष में पैसा नहीं हैं।

राजस्थान में हम स्वायत्त संस्थाओं का विकास करना चाहते हैं, हम राजस्थान में पंचायतों, पंचायत समितियों का विकास करना चाहते हैं, राजस्थान में नगरपालिकाओं का

Page No.47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विकास करना चाहते हैं और इसलिए राजस्थान में हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है और इन संस्थाओं के द्वारा जनतन्त्र को पुष्ट करना चाहते हैं, हमने आर्थिक विकेन्द्रीकरण की बातें कीं, लेकिन आज राजस्थान में नगरपालिकाओं की क्या हालत है उसका एक नमूना अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज नगरपालिकाओं के पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपना इलेक्शन करवा सकें, लाखों की व्यवस्था करना नहीं था, कुछ हजार की ही व्यवस्था की बात थी, इतनी भी आज राजस्थान की नगरपालिकाओं की क्षमता नहीं रही और ऐसी स्थिति में बड़ी सादड़ी में यदि कोई इन्डस्ट्री खोली जाय तो वहां की नगरपालिका स्वभावतः सोचेगी कि लोकल टैक्स वह उन पर लगा सके, इलेक्ट्रीसिटी से कुछ ले सके और इस प्रकार से अपने लोकल टैक्सेज से वह अपनी हालत ठीक कर सकेगी क्योंकि राजस्थान सरकार आज उनको अपनी आर्थिक हालत ठीक करने के लिए कोई सब्सिडी देती नहीं। हालत सुधरे तो कैसे सुधरे, और इस प्रकार के फिर सरकार प्रावधान रख कर उन नगरपालिकाओं की और स्वायत्त शासन संस्थाओं की सरकार कमर ही तोड़ देना चाहती है। आज राज्य सरकार इस प्रकार के प्रावधान रख कर यह कोशिश कर रही है कि जो नगरपालिकायें टैक्स लगा कर अपनी हालत को ठीक करना चाहती हैं, वे चाहती हैं कि उनके क्षेत्र में इन्डस्ट्री चले और उनको उस दृष्टि से अपनी आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए कर भी आरोपित करने के हक हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी परवाह न कर उन उद्योगों का [illegible] टया है। उन करों को राज्य सरकार ने इस प्रावधान के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दिया है। स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स आदि से आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लोकल बॉडीज का सवाल है, आज जिस प्रकार की उनकी आर्थिक हालत है उसके लिए निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा करते हैं स्वायत्त शासन संस्थाओं को निकम्मी करना है, उनका दिवाला ही निकालना चाहते हैं क्योंकि इस प्रकार के टैक्स ही एकमात्र उनका आधार है, उनसे आप उनको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं। यदि उद्योगों से प्राप्त होने वाली चुंगी को एग्जेम्प्ट करते हैं तो नगरपालिकाओं और पंचायतों की आधी आमदनी रह जायेगी, यानी उनकी आधी आमदनी तो आपने ले ली, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था वह भी आपने उनसे छीन लिया इसलिए सदन को बड़ी गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि इन नगरपालिकाओं के आधार पर, इन स्वायत्त शासन संस्थाओं के आधार पर ही आप जनतन्त्र की नींव खड़ी करना चाहते हैं, यदि नींव में ही गड्ढे इकट्ठे कर देंगे तो ये क्या काम करेंगी ? यदि राजस्थान सरकार ने इन उद्योगों को इस प्रकार का एग्जेम्शन दिया तो नगरपालिकायें कभी भी पनप नहीं सकेंगी और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हो सकेगी। जहां तक उनको टैक्सेज से एग्जेम्प्ट करने का प्रश्न है, राजस्थान सरकार उनको सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट कर सकती है, इन्कमटैक्स में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात कर कमी कर सकती है और विशेष फेसिलिटी दे सकती है लेकिन जहां तक लोकल बॉडीज के रेवेन्यू का सवाल है, उनके रिसोर्सेज का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को राजस्थान सरकार को टैक्स नहीं करना चाहिये। इस-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है।

इसके अतिरिक्त इस क्लॉज ५ में अन्तिम उपखण्ड है उसको विलोपित करने के लिए मेरा संशोधन का प्रस्ताव है।

"By grant of any assistance in any other form which, in the opinion of the State Government, may be conducive for the promotion or development of industries in the State."

क्लॉज ५ में जो सहायता देने के भिन्न भिन्न रूप रखे हैं, या जो व्यवस्था की है, वह एक प्रकार से बहुत ही एग्जॉस्टिव है। वह भी चीज हमने छोड़ी नहीं है। हमने पैसे से लेकर बैंक गारन्टी, डिबेन्चर, कम्पनी, टूल्स पर्चेज और इतना हो नहीं राज्य कर्मचारियों की सेवायें भी उनके लिये निश्चित कर दी हैं, जितना हो सकता था वे सब कर दिये हैं। मैं नहीं समझता कि यह 'पी' क्लॉज रखने की क्या आवश्यकता है ? ऐसी कौन सी सहायता थी जो ऊपर लिखी हुई चीजों में नही आती थी और राज्य सरकार ने उनको देना उचित समझा जो कि इन्डस्ट्री के लिए आवश्यक हो और उनके लिए कोई बाधा न डाले ? ऐसी कौनसी सहायता हो सकती थी ? उस सहायता से शायद यह तो मतलब न हो कि कहीं फैक्टरी एक्ट में, लेबर का सवाल आ जाय, ट्रबल क्रियेट हो जाय तो माननीय मन्त्रीजी चाहते हैं कि कानूनी धारा के अन्तर्गत चूंकि श्रम मन्त्री लेबर का पक्ष लेंगे तो उस सूरत में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर उस भारी कम्पनी को सहायता देंगे और मजदूरों के हितों के खिलाफ देंगे जो कि उद्योगपतियों के फेवर में होगी। हमारे इन्डस्ट्रीज के मन्त्रीजी लेबर मन्त्रीजी से झगड़ा होने का अन्देशा समझते हैं। इसलिए सहायता देना चाहते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल के पास जायगा तो पहले से ही इसके द्वारा बांध देना चाहते हैं कि वह न जाय।

मैं तो अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब नहीं समझा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय किसी उद्योगपति को फैक्ट्रीज एक्ट के वायोलेशन करने के कारण उस पर किसी प्रकार का जुर्माना हो उससे उसको एग्जेम्प्शन देने का विचार रखते हैं ? आखिर कौन सा ऐसा सहायता का रूप बचा हुआ है जो इसमें नहीं आया ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्लॉज को विलोपित करने की मांग की है। इस तरह से मैंने तीन संशोधन क्लॉज ५ में रखे हैं। मैं समझता हूँ सदन के माननीय सदस्य उन पर गंभीरता से विचार करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। उसके साथ साथ (i) में जो मैंने संशोधन रखा है उस पर और (k) में भी जो संशोधन रखा है उस पर विशेष जोर देता हूँ और माननीय सदस्यों से आशा करता हूँ कि वे मेरे संशोधनों का समर्थन करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं वे In Sub-clause (c) delete the words "for the purchase of implements, tools, machinery.

This clause reads as: "by paying a subsidy for the conduct of research, for the purchase of implements, tools machinery or for any other specific purpose."

मैंने जो अमेंडमेंट रखा है it will stand like this "By paying a subsidy for the conduct of research or

(श्री पी. के. चौधरी)

for any other specific purpose"

दूसरा अमेंडमेंट सब-क्लॉज (ई) में है : "that sub clause (e) be deleted."

This clause (e) reads as : 'By guaranteeing a minimum return on the capital of a company.'

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्सिडी देने का सवाल है मैं समझता हूँ इन्डस्ट्री को मदद करने के लिये सबसिडी एक तरीका है वह तरीका इस बिल में जो इन्डस्ट्री को डिफाइन किया है it is not an industry in the ordinary sense. टैक्सटाइल इन्डस्ट्री, जूट इन्डस्ट्री, माइका इन्डस्ट्री; इस सेन्स में हमने डिफाइन नहीं किया है। हमने जो डिफाइन किया है उसके अनुसार इन्डिवीज्युअल युनिट्स और कन्सर्न को हम इसमें लेते हैं। Industry means an industrial concern-industrial factory.

आम तौर पर जो इन्डस्ट्री की डेफीनिशन है वह यहां लागू नहीं होती है। यहां पर इन्डस्ट्री जो एट लार्ज होती है जैसे ओटोमोबाइल इन्डस्ट्री, शुगर इन्डस्ट्री इनको सबसिडी गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है इसमें डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार का काम करने वाली इन्डस्ट्रीज या फक्ट्रीज हैं उन सब को समान हिस्सा मिलेगा। यहां पर जो सब्सिडी रखी है उसमें लेथ टूल इन्डस्ट्री, वायर गॉज मेकिंग इन्डस्ट्री, टूल्स इम्पलीमेंट परचेज के लिये इसमें यह है कि सब युनिट्स को सब्सिडी देंगे, यह बात नहीं है। केटर मेकिंग युनिट्स हैं पर्टीकुलर युनिट को सब्सिडी देने का हम यहां पर प्रावधान करते हैं। इस प्रकार का प्रावधान रखा है जिससे टूल्स, मशीनरी इम्पलीमेंट्स आदि परचेज कर सकते हैं अगर केटर मेकिंग इन्डस्ट्री, साइकिल पार्ट्स मेकिंग इन्डस्ट्री, मान लीजिये मोटर पार्ट्स मेकिंग इन्डस्ट्री; ये जो काम करने वाले युनिट्स हैं इनको सब्सिडी देते हैं टूल्स आदि खरीदने के लिये सब्सिडी की व्यवस्था रखते हैं तो इसका जो एडवान्टेज है वह मार्जिनल युनिट्स को होगा, उन्हीं को मिलेगा। वह एडवान्टेज हम उनको इसलिये देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पर्टीकुलर इन्डस्ट्री जो दूसरी जगह पर है हमारे राजस्थान में एस्टेब्लिश हो और दूसरी जगह की इन्डस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट करें। सब्सिडी देने का उद्देश्य केवल यह है कि जो नये तरीके से यहां इन्डस्ट्री इस प्रकार की शुरू करते हैं जो दूसरी जगहों पर मौजूद हैं उसके साथ कम्पीट कर सकें। कम्पीटीशन में स्टेन्ड करने के लिये हम कुछ सब्सिडी देते हैं। जिससे साल दो साल, तीन साल में जाकर राजस्थान में जो काम करते हैं दूसरे स्टेट्स में उस पर्टीकुलर फील्ड में काम करने वाली इन्डस्ट्री है उसको कॉम्पीट कर सकें. इसको ध्यान में रखकर हम सब्सिडी देते हैं क्योंकि यहां पर जो इन्डस्ट्री की डेफीनिशन दी हुई है वह इस तरह की रखी गई है कि उसमें ये सारी चीजें कवर नहीं होती हैं, सिर्फ पर्टीकुलर इन्डस्ट्री होती है; इसलिये मैंने टूल्स आदि को डिलीट करने के लिये रखा है।

इसके साथ साथ इन्डस्ट्री में रिसर्च कन्डक्ट करने के लिये भी प्रावधान है। मैं यह जरूरी समझता हूँ कि सरकार को चाहिये कि इन्डस्ट्रीज में रिसर्च युनिट्स एस्टेब्लिश करें। युनिवर्सिटीज वगैरह में उसकी व्यवस्था करें। हो सकता है, फंड की वजह से सरकार नहीं कर

Page No.50

(श्री पी. के. चौधरी)

पाये इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर इन्डस्ट्रियल युनिट, इन्डस्ट्रियल फर्म अपने यहां पर लेबोरेटरी लगा कर रिसर्च कन्डक्ट करता है तो उसको सब्सिडी देना जरूरी है; for specific purpose or for any other specific purpose टूल्स मशीनरी वगैरह के लिये सब्सिडी देना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ, इन्डिया की तरफ से इन्डस्ट्रीज को एक प्रकार की सब्सिडी मिलती है उनको हायर पर्चेज सिस्टम से मशीनरी मिलती है। कहीं एक लाख रुपये की मशीनरी लेनी हो तो वहां बीस हजार रुपया एडवांस देने पर एक लाख रुपये की मशीनरी ले सकते हैं इस तरह का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कर रखा है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ पर्टिकुलर युनिट को मशीनरी, टूल्स आदि की खरीद के लिये सब्सिडी का प्रावधान रखा है वह उचित नहीं है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन की इतनी गुंजाइश रहेगी, यह प्रावधान रखने के बाद इतनी शिकायतें आयेंगी; only administration of subsidy will become headache of the Government पब्लिक की कम्पलेन्ट्स आयेंगी। इसलिये पर्टिकुलर युनिट्स के लिये सब्सिडी की व्यवस्था रखी है उनको विलोपित करने का मेरा संशोधन है।

दूसरा मेरा अमेन्डमेंट है इन्डस्ट्रीज को एड देने का तरीका रखा है by guaranteeing a minimum return on the capital of a company इसके बारे में मैंने कल भी संशोधन रखा था। कम्पनी की सरकार ने डेफीनिशन रखी है :

" 'Company' means a company registered under the Act."

मेरा अमेंडमेंट है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होनी चाहिये। जिससे इसके shares and stocks become available to a public man for ownership. माननीय मंत्री महोदय ने समझाया कि कम्पनी में पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड दोनों आते हैं इसलिए मैंने पब्लिक लिमिटेड का अमेंडमेंट रखा था। कम्पनीज लिमिटेड एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड क्या होती है, यह उसमें रखा है प्राइवेट कम्पनीज के शेअर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। It is not open to purchase. ऐसी किसी इन्डस्ट्रियल युनिट के मिनिमम रिटर्न्स को गारन्टी करें; यह जो प्रावधान रखा गया है कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की इन्डस्ट्री लगाता है और उसमें एक लाख रुपया लगाता है वहां हम कहते हैं कि हम आपको पांच पर्सेंट रिटर्न्स की गारन्टी करते हैं यह डेन्जरस प्रोपोजीशन है। इस तरह से प्राइवेट इन्डस्ट्री अपने को लॉस में बता सकती है। जैसे मुझे किसी ने बताया, यहां की नेशनल बॉल बियरिंग इन्डस्ट्री है जो एशिया के अन्दर एक युनीक है उसका प्रोफिट नोमीनल प्रोफिट होता है उसका मैनेजमैन्ट इस तरह का करते हैं कुछ रिजर्व में कुछ अन्य बातों में बता कर इस प्रकार से वह प्रोफिट नहीं बताते।

(१.०० म० प०)

तो एक प्राइवेट फर्म के लिए प्रोफिट को लॉस शो करना आसान बात है। It is merely by changing of heads. लॉस बताना या थोड़ा प्रोफिट बताना is a very easy job for them.

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है सन् ४५-४६ के आस-पास में अहमदाबाद का एक केस

(श्री पी. के. चौधरी)

लेबर ट्रिब्यूनल में पेश था। उसके सामने वहां की टैक्सटाइल इन्डस्ट्री ने अपनी हिसाब की किताबें पेश करके यह बता दिया कि सारी टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लौस में चल रही है। During that period their actual profits were 200 crore ; जब कि उनका वास्तविक लाभ करोड़ों रुपयों का उस वक्त था, कपड़े में बहुत तेजी चल रही थी और ब्लैक में कपड़ा काफी ऊंचे दामों में बिक रहा था। पर किताबों में बता दिया कि हमारी तो इन्डस्ट्री लॉस में है। कोई पांच करोड़ का ही सारी इन्डस्ट्री ने मिलकर प्रोफिट कमाया है। तो ये अपने हिसाब को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। इसलिये कैपिटल इन्वेस्टमेंन्ट पर मिनिमम रिटर्न की गारन्टी सरकार को कभी नहीं करनी चाहिये। Always the Government will stand to lose.

गवर्नमेंट जो यह कह रही है कि फाइव परसेन्ट या एक निश्चित परसेन्ट एक लाख पर नहीं होता हो तो गवर्नमेंट उसकी कमी की पूर्ति करेगी; जैसे आज राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर उसको चार परसेन्ट या ५ परसेन्ट, सही सही मुझे इस समय याद नहीं है, तो इतना अगर रिटर्न इन्वेस्टमेन्ट पर कॉर्पोरेशन को नहीं मिलेगा तो उसमें जितनी कमी रहेगी वह राजस्थान सरकार को पूरी करनी पड़ती है और इस साल भी हमने बजट में इसके लिए चार लाख का प्रावधान रख रक्खा है। तो जहां तक राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का सम्बन्ध है मुझे इसमें कोई ओब्जेक्शन नहीं है कि इसकी कमी की पूर्ति राजस्थान सरकार करे क्योंकि वह जो पैसा है कॉर्पोरेशन का वह खुद उसको इस्तेमाल नहीं करता पर दूसरों को लोन के बतौर देता है। लेकिन यह जो डेफीनिशन कम्पनी की रक्खी है और इसको जो आप मिनिमम रिटर्न की गारन्टी करते हैं और हरेक कम्पनी को सरकार अगर करती है तो सरकार के लिये यह एक निश्चित तौर पर घाटे का सौदा रहेगा क्योंकि जिन जिन कम्पनियों के लिये सरकार इस तरह की गारन्टी कर देगी, मैं कह सकता हूँ उनमें से एक-आध को छोड़कर एक-आध भले ही ईमानदार उनमें मिल जावे जो अपना सही प्रोफिट बतावेंगे, नहीं तो सारे के सारे ९९ परसेन्ट घाटा बतावेंगे।

It is not a question of loss, but of minimum return. It is a very dangerous clause. तो इसको रखना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक हिन्दुस्तान में भारत सरकार ने भी जो भी उसकी स्ट्रैटेजिक इन्डस्ट्रीज हैं बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं; जैसे वायर, इलेक्ट्रिक या स्टील इन्डस्ट्रीज जिनके बगैर हमारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा डिफेन्स भी खतरे में पड़ सकता है, ऐसी ऐसी इन्डस्ट्रीज को भी मिनमम रिटर्न कैपिटल पर गारन्टी नहीं किया। उनको हमने कन्सेशन्स जरूर दिये हैं; दूसरी दूसरी तरह के जैसे टैक्सेज में कन्सेशन दिये हैं, पॉवर सप्लाई में कन्सेशन दिये, रॉ मैटीरियल में फ्रैट का कन्सेशन दिया। हिन्दुस्तान में किसी इन्डस्ट्र को, इन्डस्ट्रीज एज सच को, हमने कैपिटल पर मिनिमम रिटर्न की गारन्टी कभी नहीं दी। इसमें आप किसी इन्डिविजुअल यूनिट के लिए प्रावधान कर सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक प्रावधान कर रहे हैं। फिर भले ही आप इसलिए करते हों कि हमारा इन्टेन्शन अच्छा है, हम इन्डस्ट्री को पनपाना चाहते हैं। It will be a claues

(श्री पी. के. चौधरी)

which will be utilised in 99 per cent cases for deceiving the Government for cheating the Government.

आज का इन्डस्ट्रियलिस्ट कभी अपने सही आंकड़े नहीं बतावेगा । हमेशा मेनिपुलेशन करके, अपने फण्ड्स को इधर उधर करके कहीं परचेज दिखा देगा । जैसे बैलेन्स क्लोज करने का समय आया तो रॉ मैटीरियल परचेज करके,एडवान्स परचेज करके रख लेगा, स्टॉक में परचेज कर लेगा, प्लान्ट या मशीनरी के परचेज करने में रकम खर्च कर देगा,पास में अमाउन्ट रहने नहीं देगा । तो यह जो क्लॉज है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ । हां,मान लीजिये कोई स्ट्रेटेजिक महत्व की इन्डस्ट्री है, जैसे टंगस्टन है या ऐसी कोई दूसरी इन्डस्ट्री है जैसे क्ले इन्डस्ट्री है और इसके लिए अगर आप यह महसूस करते हैं कि मिनिमम रिटर्न गारन्टी किये बगैर आयेगो नहीं तो इसके लिये हम पर्टिक्युलर एग्रीमेंट कर सकते हैं । सरकार पर इसके लिये कोई मुमानियत नहीं है कि किसी पर्टिक्युलर यूनिट में इन्डिविजुअल एग्रीमेंट नहीं कर सके । पर इसके लिए भी एक तरीका होना चाहिए । बाकी जनरल रूल बनें, यह ठीक नहीं । दूसरी सहलियतें आप दे सकते हैं; जैसे आपने इसके लिए नियम बनाये भी हैं कि बिग इण्डस्ट्री होगी तो इतने किलोवाट तक खर्च करने पर दो या तीन या चार पैसा यूनिट आप पॉवर देंगे । स्माल स्केल वाली को दो या तीन आना से सप्लाई करेंगे । तो ये जनरल रूल्स आपने बना दिये हैं । ये काफी हैं । तो जिस बेसिक इण्डस्ट्री को स्ट्रेटेजिक समझकर आप लगाना जरूरी हो मानते हों तो उसके लिए सेपरेट एग्रीमेंट आप कर सकते हैं और मेरी दृष्टि से ऐसे बहुत रेयर ओकेजन में हो सकता है । ऐसे एक्सेप्शन केसेज में अगर कहीं आप कुछ करें तो इसके लिए स्टेचुटरी प्रोविजन कर लेना चाहिए । एक जनरल लॉ बना देना ठीक नहीं होगा । अगर एक बार आपने जनरल रूल बना दिया तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते कि फलां इण्डस्ट्री को क्यों दिया, और फलां को नहीं दिया । आप किसी भी इण्डस्ट्री को दे सकते हैं जिसको ऑथोरिटी कन्सर्न्ड महसूस कर ले ।

तो मैं समझता हूँ कि ऐसा क्लॉज जनरल तरीके से नहीं रखना चाहिए । ऐसी कोई विशेष परिस्थिति हो जाये तो इन्डिविजुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं ।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह क्लॉज इसमें नहीं रखा जाये और इसको डिलीट कर दिया जाये ।

जहां तक दूसरे क्लॉजेज इसमें हैं, वह मैं समझता हूँ कि सारे क्लाजेज जरूरी हैं । अगर आप राजस्थान में इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेन्ट चाहते हैं तो उनको कन्सेशनल रेट से बिजली देनी पड़ेगी और टेक्सेज में भी कन्सेशन देने होंगे और इसका जो प्रावधान यहां रखा है जिसका माननीय सदस्य ने विरोध किया है, मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान रहना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि जो आज हमारी नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेन्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने भी उनको कन्सेशन्स दी हैं । हम देखते हैं कि vis-a-vis industries in other States, पंजाब में इन्डस्ट्रीज हैं और हमारे यहां की इन्डस्ट्रीज हैं तो हमारे यहां इन्डस्ट्रीज में पंजाब की तरह एक्सपर्ट्स नहीं होने की वजह से यहां कोस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ती

Page No.53

(श्री पी. के. चौधरी)

है। अगर हम टैक्सेज में यहां भी रिलीफ दे दें तो हमारी इन्डस्ट्रीज भी पंजाब के साथ और बॉम्बे के साथ कम्पीट कर सकती हैं। इस लिहाज से हमें इन्डस्ट्रीज में टैक्सेज के अन्दर भी रिलीफ देनी पड़ेगी और इसका जो इसमें प्रावधान रखा गया है यह कोई नई चीज हो ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज हैं; मिसाल के तौर पर, आज एम्बेसेडर कार है, आज हमने हमारे यहां की आटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बाहर से आने वाली कारों के इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स लगा रखे हैं। क्या है कि बाहर से आने वाली कारों के उपर हमने सेन्ट परसेन्ट ड्यूटी लगा रखी है। अगर आज उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दें तो हमें वे सब चीजें जो बाहर से आती हैं आधी कीमत में मिलने लगें। हमने सेन्ट परसेन्ट ड्यूटी लगा रखी है तब ही तो फियेट कार ११००० की पड़ती है। अगर हम यह ड्यूटी नहीं रखते तो वह हाफ प्राइज में मिल जाती। वह हमने इसलिए किया है कि पांच-दस साल में हमारे प्रान्त में भी, हमारे हिन्दुस्तान में भी जो आटोमोबाइल इन्डस्ट्री है वह काफी प्रगति कर ले, ताकि दूसरों के बराबर कोस्ट आ जाये। उसी एनोमोली पर हमने टैक्स के बारे में पर्टीक्यूलर इन्डस्ट्री के लिए टैक्सेज में रिलीफ देने का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान ठीक ही है। जहां तक "by granting free of charge or on favourable terms, the services of officers and experts in the service of the State Government, for starting or advising an industry" इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स जहां तक रखा है वह समझ में नहीं आता कि सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स क्यों दी जाये ? जहां तक एक्सपर्ट्स की सर्विस का ताल्लुक है वह भी मैं समझता हूँ कि केवल इनीशियल स्टेज के ऊपर दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि हो सके तो इसमें अमेन्डमेन्ट कर दें ताकि एक्सपर्ट्स की सर्विस इनीशियल स्टेज के ऊपर ही उनको मिले। लेकिन आज जिस ढंग से इसका कम्पोजीशन है, सेन्टेन्स का, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स की सर्विस देना और दूसरी सर्विसेज देना उचित नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ एक्सपर्ट्स की सर्विस भी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके लिए जो माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की है कि गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स नौकरी में लग जायेंगे, इस प्रकार की शंका जो कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में आती है, इस प्रकार की शंका भी नहीं रहेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं। बस इन शब्दों के साथ में मैं मेरा अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ के अन्दर उन तरीकों का वर्णन दिया गया है जिनके द्वारा हम सहायता देना चाहते हैं। इसकी जो सब क्लॉज (सी) है उसमें इस प्रकार है : "(c) by paying a subsidy for the conduct of research, for the purchase of implements, tools, machinery or for any other specific purpose"

तो इसके द्वारा हम इन उद्योगों को सब्सिडी देना चाहते हैं और सब्सिडी देने का जो वर्णन किया गया है कि किन किन कार्यों के लिए सब्सिडी देंगे उसके अन्दर यहां तक लिखा गया है कि हम किसी को भी

Page No.54

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रिसर्च करने के लिए सब्सिडी देंगे। तो कुछ समझ में नहीं आता। हमारे प्रान्त में बड़े उद्योग हैं वे विकसित नहीं हो रहे हैं और किस क्षेत्र में कौन से उद्योग पनप सकते हैं,कोई भी आदमी अपने क्षेत्र में या बाहर जाकर किसी उद्योग की सम्भावना के बारे में कोई भी परीक्षण करना चाहे तो उस कार्य के लिए यदि राज्य सरकार समझती है, सब्सिडी देना, तो वह समझ में आ सकता है लेकिन आगे बढ़कर जो सहायता देना चाहती है औजार खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए या और किसी प्रकार के इम्प्लीमेन्ट्स खरीदने के लिए और इसके उपरान्त भी "...for implements, tools, machinery or for any other specfic purpos-" किसी भी उद्योग को आज राजस्थान सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है वह स्पष्ट नहीं है और इस कारण इस क्लॉज का दुरुपयोग हो सकता है और जिसकी सम्भावना कल भी सदन के अन्दर उपस्थित की गई थी और माननीय मन्त्रीजी ने कहा था कि सब जगह बेईमानी ही नजर आती है। लेकिन इस क्लॉज के होने की वजह से जैसे आपने सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को लोन दिया था तो लोन देने के बजाय अगर आप सब्सिडी भी दे देते तो कौन आपके हाथ को रोक सकता है ? आपकी मर्जी है। आपने उदयपुर की स्वदेशी कॉटन मिल को लोन दिया,उन्होंने मशीनरी खरीदी है, इम्प्लीमेन्ट्स खरीदे हैं, टूल्स खरीदे हैं और उसके बाद में "any spesific parpose" में बिल्डिंग भी हो सकती है। तो सारे के सारे उद्योग राजस्थान सरकार के दिये गये पैसों से खुलते हैं। तो यह क्लॉज एक ऐसा मार्ग खोल देती है कि जिसके द्वारा बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं। अभी अभी क्लॉज४ पास किया गया। हालांकि इस पर अब बहस का कोई समय नहीं है; क्लॉज ४ के अन्दर नये उद्योग, पुराने उद्योग, कॉटेज इन्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज सारे उद्योगों के लिए सरकार इस प्रकार की सहायता देगी तो नये उद्योगों के लिए जिस प्रकार माननीय मन्त्री महोदय ने कल कहा था कि सब्सिडी का जो प्रश्न है वह तो केवल कॉटेज इन्डस्ट्रीज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए है। यानी इस प्रकार के जो गृह उद्योग हैं उनको सब्सिडी देकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ही सब्सिडी का प्रावधान रखा है। लेकिन इस क्लॉज के अन्तर्गत यदि उदयपुर की स्वदेशी कॉटन मिल को आप सब्सिडी देना चाहें तो कौन रोक सकता है ? क्लॉज ४ के अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो रूल्स की आपको चिन्ता नहीं, नियमों का इन्डस्ट्रीज पालन करती है या नहीं, उसके निर्णायक हैं उद्योग मन्त्री। तो निर्णायक स्वयं उद्योग मन्त्री महोदय होने के बाद वे चाहें जिस उद्योग को जिस प्रकार की सहायता दें, उसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम यह अपेक्षा करें कि इस क्लॉज के लिए राज्य सरकार की नीयत अच्छी है और राज्य सरकार राज्य में छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए इस क्लॉज का प्रयोग करेगी तो इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। आज भी राजस्थान सरकार के ऊपर जिन उद्योगपतियों का आधिपत्य है,वह हम जानते हैं, सब जानते हैं। हम अपने यहां बॉम्बे और कलकत्ता से उद्योगपतियों को बुलाते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है, ऐसा कहा गया। वहां के उद्योगपति आयें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार

Page No.55

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के ऊपर किन उद्योगपतियों का प्रभाव है, कौन ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो राज्य सरकार के ऊपर छाये हुए हैं। अभी पिलानी का झगड़ा हुआ, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है वह बिड़लाजी हैं जो राजस्थान सरकार के ऊपर छाये हुए हैं। उनकी मर्जी नहीं थी इसलिए झगड़ा बढ़ा।

जो राजस्थान के बड़े उद्योगपति हैं उनको हम जानते हैं वे हैं सोमानी, टाटिया, धानाणी, नेमाणी और कितने ही। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको नाम गिनाऊं, सारे के सारे आज एम० पीज० बने हुए हैं। १६६२ के चुनावों में भी सारे के सारे सेठों ने कांग्रेस से सीटें ली हैं। किशनगढ़ में एक कपड़े की मिल खुली है जिसे सेठ भागीरथमलजी कानोडिया ने स्थापित की है। राजस्थान जल-बोर्ड के अन्दर जितने भी घोटाले हुए, यदि उनके लिए कोई जिम्मेदार हो सकता है तो वह भागीरथमलजी कानोडिया हो सकते हैं क्योंकि वही जल बोर्ड के इन्चार्ज थे। उन्होंने किशनगढ़ के अन्दर एक मिल की स्थापना की और उनके लिए सुना जा रहा है कि उन्होंने झुंझुनू जिले से पार्लियामेन्ट के लिए टिकट मांगा है। उन भागीरथमल जी को यदि सरकार १५–२० लाख की सब्सिडी दे और सरकार कह दे कि हमने तो फोर इम्प्लीमेंट्स, फोर टूल्स, फोर मशीनरी, फोर अदर स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए भागीरथमलजी को इतना रुपया दिया है तो अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बिगाड़ इसलिए नहीं सकता कि सरकार ने इस प्रकार के कानून के द्वारा इस प्रकार के अधिकार ले लिए हैं। और फिर यह कहते हैं कि सरकार समाजवादी सरकार है और शोषण को मिटाने वाली सरकार है। आज राजस्थान के जितने पूंजीपति हैं, वे पूंजीपति ऐसे हैं कि सारे हिन्दुस्तान में पूंजीपतियों को देखा जावे तो राजस्थान के पूंजीपतियों का पहला नम्बर आता है और राजस्थान के पूंजीपति सारे कांग्रेस के अन्दर आ गए हैं। वे कांग्रेस के अन्दर घुस गए हैं और घुसकर इस धारा का उपयोग ये सारे के सारे बड़े पूंजीपति उठायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर यह कह देते केवल कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज और कॉटेज इण्डस्ट्रीज को सब्सिडी देंगे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि सरकार की नीयत कुछ ठीक हो सकती है। लेकिन जिन इण्डस्ट्रीज का वर्णन इसमें कर दिया हैं वे ४ प्रकार की इण्डस्ट्रीज हैं, उनको देंगे। इन चार प्रकार की इण्डस्ट्रीज को सारी की सारी आर्थिक सहायता देंगे। तो इनमें चार प्रकार में सारी की सारी बड़ी इण्डस्ट्रीज आ गई हैं। आखिर में सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए ज्यादा राशि तो है नहीं। बहुत कम राशि है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर, विशेष रूप से कॉटेज इण्डस्ट्रीज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिए राशि का प्रावधान किया गया है वह पैसा कम है। पहले ही कम होने के कारण सरकार शायद उसको नहीं बांटेगी और वह सारे का सारा धन बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति ले यंगे। शायद आप कहेंगे कि मैं राजस्थान के अन्दर उद्योगों की स्थापना का विरोध करता हूँ, मैं उद्योगों की स्थापना का विरोध नहीं करता हूँ लेकिन जो मन्शा यहां बताई जाती है और जो इस विधेयक में लिखी है, इस विधेयक के अन्दर उद्देश्यों में सरकार ने

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लिख दिया है कि ऑल इण्डिया हेन्डीक्राफ्ट बोर्ड ने सुझाव दिया है । ऑल इण्डिया हेण्डीक्राफ्ट बोर्ड ने बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लोन और सब्सिडी देने के लिए कहीं भी संकेत नहीं किया है। हेण्डीक्राफ्ट बोर्ड की मंशा यह थी कि छोटे उद्योगों को राजस्थान में पनपाया जाना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से बैकडोमर से पूंजीपतियों को सहायता देने के लिए इस प्रकार का क्लॉज रखा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन इस खण्ड के उप-खण्ड (ई) के अन्दर है जहां पर यह किया है वहां पर केवल इतना सा रखें "by paying a subsidy for the conduct of research"

राजस्थान में कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई पूंजीपति रिसर्च करना चाहता है ? बम्बई से आकर उदयपुर के अन्दर, किशनगढ़ के अन्दर या ब्यावर के अन्दर कहीं बैठकर रिसर्च करना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार रिसर्च करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। रिसर्च कोई भी करना चाहता है राजस्थान के अन्दर, तो कोई आपत्ति नहीं है। इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल इतना बढ़ें कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज को सब्सिडी और लोन देना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि क्लॉज ४ हम पास कर चुके हैं। क्लॉज ४ पास करने के बाद जिस प्रकार का उप-खण्ड यहां पर वर्णित की गई है वहां उस धन का दुरुपयोग होगा। बड़े बड़े पूंजीपति उस सारे धन को खा जायेंगे और इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इसके बाद में जो दूसरा सब-क्लॉज (f) है उसको डिलीट करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन रखा है। उसके अन्दर इस प्रकार से लिखा है :

"(f) by providing at concessional rates supply of land, raw material, fire wood or water,"

तो इसके अन्दर इतनी बातें लिखी हैं जिससे इस प्रकार का दिखाई देता है कि मंत्री महोदय को जिस पैसे का मालिक बनाकर बैठाया है उसको दोनों हाथों से लुटाना चाहते हैं। आप कन्सेशनल रेट्स पर बिजली देना चाहते हैं। राज्य सरकार कन्सेशनल रेट पर बिजली देती है और बिजली के लिए सब-क्लॉज (h) में लिख दिया है, उसके अन्दर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक वाटर सप्लाई का प्रश्न है वह राज्य सरकार के बूते का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार का पानी नहीं,पानी तो स्वायत्त शासन मंत्रीजी जो अभी आकर बैठे हैं इनके विभाग से सम्बन्धित है।

दो-चार शहर राजस्थान में हैं जहां कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी दोहरी प्रणाली जारी कर चुके हैं, जहां पर वाटर वर्क्स राजस्थान सरकार चलाती है और कहीं पर म्युनिसिपैलटी चलाती है,मेरा विश्वास है कि स्वायत्त शासन मंत्रीजी इस दोहरी प्रणाली को समाप्त कर देंगे और सारे के सारे वाटर वर्क्स को म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिया जायेगा; जिन जिन स्थानों पर नये वाटर वर्क्स की स्थापना होती है और म्युनिसिपैलिटी लोन लेकर वाटर वर्क्स बनाती है। किसी उद्योग को पानी देना है,कन्सेशनल रेट पर, तो आखिर इस बात का निर्णय कौन करेगा ? जिस की चीज़ है, तो उस चीज

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

का मालिक है वह या राजस्थान सरकार ? राजस्थान सरकार का उस पर क्या अधिकार है कि किसी म्युनिसिपैलटी को लिखें। राज्य सरकार पक्षपात कर सकती है, जैसा कि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी के साथ किया गया है जयपुर म्युनिसिपैलिटी की तरफ बिजली का रुपया बकाया है उसके लिये कुछ नहीं करती है और ऐसी म्युनिसिपैलिटीज में जैसे कि कोटा की म्युनिसिपैलिटी है क्योंकि वह जनसंघ के हाथों में आ गई और जिस दिन से जनसंघ के चेयरमैन ने चार्ज लिया है माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने नोटिस दे दिया कि ३३ लाख का बकाया है वह या तो अदा करो, नहीं तो सस्पेन्ड कर देंगे। उसी प्रकार से उद्योग मंत्रीजी किसी भी म्युनिसिपैलिटी को कह सकते हैं कि अमुक इन्डस्ट्री को इस रेट पर बिजली देनी पड़ेगी, अमुक इन्डस्ट्री को इस रेट पर पानी देना पड़ेगा। अगर वह म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की है और कोई इन्डस्ट्री गैर कांग्रेसी की है तो उसको कह देंगे कि यह इन्डस्ट्री जो इस नगर में बनी हुई है इस इन्डस्ट्री को इस प्रकार से कन्सेशनल रेट्स मत दो। अगर राज्य सरकार को देना होता तो राज्य सरकार सब जगह दे सकती थी। क्योंकि अब राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, वाटर सप्लाई करने का वह म्युनिसिपैलिटी के हाथ में रह गया है इसलिए यह धारा रखी है कि वाटर की सप्लाई कन्सेशनल रेट पर राज्य सरकार करायेगी। वह किस प्रकार से कार्यान्वित होगा, यह मेरी समझ मे नहीं आता है। अगर म्युनिसिपैलिटी से राज्य सरकार कन्सेशनल रेट पर दिलाना चाहती है तो बीच का डिफरेन्स, यानी जो पैसा अधिक लगेगा उस घाटे की पूर्ति वह करे, यह वह म्युनिसिपैलिटी से कहेगी कि वह यह घाटा भुगते। इस बारे में इस क्लॉज के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस खण्ड को पास करने से पहले म्युनिसिपल एक्ट में जो धाराएं पास की हैं उनके अन्दर झगड़ा उत्पन्न होगा। इसलिए इस खण्ड के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिये कि वाटर सप्लाई को बात राज्य सरकार को अपने हाथ में नहीं लेकर म्युनिसिपैलिटीज पर छोड़ना चाहिए। अगर कन्सेशनल रेट्स पर दिलाना चाहती है तो स्वयं उनको सब्सिडी दे कि इतना पानी इस रेट पर अमुक इन्डस्ट्री को दिलाना चाहते हैं और उसके देने में इतना घाटा पड़ेगा जो वह इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट भुगतेगा।

इसी तरह से इस क्लॉज के अन्दर कन्सेशनल रेट पर रॉ मैटीरियल देना चाहते है यह और भी अजीब बात होगी। जो रॉ मैटीरियल हमारे पास है, जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को कहते हैं कि रियायती दर पर देंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रकार का अधिकार कि किसको कितना दें, किसको दें और किसको नहीं दें; ये सारे अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास में ले लिये हैं। उसके बाद में सरकार यह भी अधिकार लेना चाहती है कि किसी भी उद्योग को कच्चा माल रियायती दरों पर देंगे। राज्य सरकार पर कोई शक मत करो। शक तो कहां करते हैं लेकिन मानव स्वभाव खराब है। मानव स्वभाव की यह कमजोरी माननीय उद्योग मंत्रीजी नहीं कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। उसकी क्या गारन्टी है ? कोई वैधानिक गारन्टी होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी यह कहें कि वे ईमानदार रहें, उन पर विश्वास करो। हम आपकी ईमानदारी पर विश्वास कर सकते हैं कि आप

Page No.58

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बड़े ईमानदार हैं और आप बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं और इस चुनाव में आप हार गये और हारने के बाद दूसरे मंत्रीजी आ गये तो उनकी ईमानदारी की गारन्टी कौन देगा कि जिस नेकनियति से माननीय मंत्रीजी किसी इन्डस्ट्री की सहायता करने के लिये दे रहे हैं उसी नेकनियति से काम आगे आने वाले मंत्रीजी भी करेंगे, आगे आने वाले कर्मचारी भी बदलेंगे वह भी इस प्रकार से करेंगे। नेक-नियति इस प्रकार से कानून में नहीं हो सकती है। नेकनियति घर में हो सकती है, लेकिन यहां पर कानून जहां बनाना होता है तो कानून के अन्दर ईमानदारी और नेकनियति दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। किसी उद्योग को चाहे जितना रॉ मेटीरियल दें इस प्रकार का जो प्रावधान इस बिल में रखा है इसलिए, अध्यक्ष महोदय यह संशोधन मैंने रखा है कि इस उपखण्ड को विलोपित कर दिया जाये। अगर नहीं करेंगे तो उसका भयंकर रूप से दुरुपयोग होगा।

इसके बाद में सब क्लॉज (के) के अन्दर लिखा है : "(के) yb granting concessions in or exemptions from State or local taxes and duties where the law relating thereto authorises such concessions or exemptions,"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि म्युनिसिपल कानून बनाया है उस कानून के अन्दर नगरपालिकाओं को इस प्रकार से अधिकार दिया है कि किसी भी चीज पर वह चाहे तो वह टेक्स माफ कर सकती है।

लेकिन इस कानून के द्वारा राज्य सरकार ने अधिकार किस प्रकार लिया है कि सरकार की मर्जी हो तो टैक्स माफ कर सकती है। लेकिन इसके अंदर कोई डिसिक्रिमिनेशन नहीं हो, सरकार को करना है तो एक साथ करे। लेकिन जिन नगरपालिकाओं को टैक्स लगाने या माफ करने का अधिकार दिया है उसको राज्य सरकार दूसरे कानून से ले रही है तो उस कानून में और दूसरे में झगड़ा होगा क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत पड़ता है और नगरपालिका कानून के विपरीत है। इसलिये राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि कोई नगरपालिका चुंगी लगा सकती है, उसको राज्य सरकार यहां बैठे बैठे ही माफ कर दे और यह कह दे कि जयपुर में टिन शीट्स पर टैक्स नहीं लगेगा या कोटा नगर में नहीं लगेगा। यहां बैठे कोटा नगरपालिका को या जोधपुर नगरपालिका को टैक्स लेने से रोक दें या उद्योग मन्त्रीजी यहां बैठकर उन नगरपालिकाओं के अधिकार को छीन लें। यदि वहां को नगरपालिका देखती है कि हमारे यहां उद्योग को किसी प्रकार की रियायत देनी चाहिए, यदि वह चाहे तो रियायत दे सकती है लेकिन नगरपालिका को जो स्वायत्त शासन के अधिकार हैं उनको आप वापिस लेना चाहते हैं, यह व्यर्थ की बात होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सब-क्लॉज (के) को विलोपित किया जाय।

इसके बाद सब-क्लॉज (P) आती है। इसमें इस प्रकार से कर दिया है कि जिसका कोई अन्त नहीं है। कानून विभाग व उद्योग विभाग ने सारे एवेन्यूज और सारी व्यवस्था पर अधिकार करने का सोचा है और यह कर दिया है कि राज्य सरकार उचित समझे उनको सहायता दे सकती है; जिसका कोई अन्त नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। राज्य सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

पर कोई चेक नहीं हो सकता। (श्रो) तक जो धाराएं निर्धारित की हैं उनके विपरीत राज्य सरकार जावे तो अदालत में जावे तो अदालत में जाने पर अदालत कह सकती है कि राज्य सरकार ने किसी इन्डस्ट्री को रास्ते से बाहर जाकर भी सहायता दी है। राज्य सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो कानून बनाया है वह इसलिए बनाया है कि उसका दायरा मुकर्रर हो। लेकिन राज्य सरकार स्वयं कानून के दायरे को तोड़ कर आगे जाना चाहती है। जहां राज्य सरकार इस तरह कानून के दायरे से बाहर जाना चाहती है वहां विधान सभा को इस तरह का अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिये। इस विधेयक की मंशा के उपरांत जिस प्रकार से राज्य सरकार चाहे उतनी सहायता दे, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि उप धारा (पी) को विलोपित किया जाये। इस प्रकार से चार धाराओं के बारे में मैंने निवेदन किया है उनको विलोपित किया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट इस धारा में रखा है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा। धारा (आई) इन्डस्ट्री स्टार्ट करने में सहायता दिये जाने के बारे में है। इसमें लिखा है :

"(i) by granting free of charge or on favourable terms, the services of officers and experts in the service of the State Government, for starting or advising an industry,"

इसके लिए कहा गया है कि राज्य सरकार के नौकरों को बगैर पेमेन्ट के इन्डस्ट्री को चलाने के लिये इस प्रकार की सहायता देना अच्छा नहीं होगा और ऐसी सहायता नहीं देनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने स्टार्टिंग में एडवाइजिंग ऑफ इन्डस्ट्री की सहूलियत देना चाहा है, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग जगह कायम की हैं जहां उनके एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो इन्डस्ट्रीज को स्टार्ट करने में मदद देते हैं। स्टार्टिंग का मतलब यह है कि उस इन्डस्ट्री की शुरुआत कराने में मदद देना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अफसरों को कह दें कि वहां जाकर नौकरी करो। It is not the intention of this clause.

किसी इन्डस्ट्री को स्टार्ट करने के लिये एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल सके, वह स्टार्ट हो सके उस हद तक उनको मदद दी जाय। इसके लिये कोई शुल्क उनसे चार्ज नहीं करेंगे। यह आज भी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे प्लेस में अलग अलग जगह इन्स्टीट्यूट खोले हैं जो सर्विस इन्स्टिट्यूट के नाम से एडवाइस देते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो एप्रीहेन्शन माननीय सदस्य के दिमाग में है वह नहीं है, ऐसी मंशा नहीं है कि हमारे ऑफिसर नौकरी वहां करें, काम वहां करें और उनको वेतन हम दें, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको स्टार्ट करने के लिये ठीक एडवाइस मिल सके ताकि इन्डस्ट्री तुरन्त स्टार्ट हो जाय। स्टार्ट हो जाने के बाद उसका वहां पर काम नहीं रहेगा। इसलिये उनको फेसिलिटी देने का प्रावधान किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Then you can have the wording as, "for advising the industry".

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

किया कि स्टार्टिङ्ग इन्डस्ट्री का मतलब यह है कि शुरुआत करने के लिये उसको डिफिकल्टी न हो। जैसे हमारे पास मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हैं और इन्डस्ट्रियेलिस्ट चाहता है कि हमारी मशीन ठीक तरह से काम कर सके तो वह एडवाइस नहीं होगी वह तो स्टार्ट करना होगा। यह प्रोविजन केवल हमने ही किया हो, ऐसी बात नहीं है। मद्रास के एक्ट में मौजूद है, मैसूर के एक्ट में मौजूद है। ऐसे एक्सपर्ट्स को छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज एम्पलोय नहीं कर सकतीं, छोटा काम करने वालों के पास टेक्निकल सहायता होती नहीं है इसलिये उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाय ताकि इन्डस्ट्री तुरन्त चल जाय इसलिये यह रखा गया है।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार का प्रोविजन और कहां कहां पर है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया था कि मद्रास के एक्ट में मौजूद है, मैसूर के एक्ट में मौजूद है।

इसके बाद दूसरा संशोधन (के) के बारे में है जिसके बारे में कहा गया कि लोकल टेक्सेशन या ऑक्ट्रोय से एग्जेम्प्शन करेंगे तो इसके लोकल बोडीज के फाइनेन्सेज पर असर पड़ेगा। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कुछ इन्डस्ट्रीज इस प्रकार की हैं जो प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज होती हैं। कुछ गुड्स बाहर से आता है म्युनिसिपल लिमिट में, और उसका फिनिश्ड आर्टिकल बन कर वापिस जाता है तो उस पर ऑक्ट्रोय चार्ज कर लिया और फिनिश पर फिर कर लिया तो इससे बचाने के लिए है। यह नहीं है कि हरएक इन्डस्ट्री को इस तरह की छूट दी जायेगी। ऐसी इन्डस्ट्री जिसके यहां माल आता है और एक बार ऑक्ट्रोय चार्ज कर लिया है और फिनिश होकर माल बाहर जाय उस पर भी चार्ज कर लें तो यह उनको एग्जेम्प्ट करने की मंशा है; यह मंशा नहीं है कि लोकल बोडीज को स्टार्व करेंगे। हमने उनको फेसिलिटीज भी दी हैं. ऑक्ट्रोय वगैरह की। हद से ज्यादा रियायतें दी हैं, We dont' want to starve the local bodies. लोकल बोडीज पर इस प्रकार का उनके फाइनेन्सेज पर असर पड़ेगा तो वह तो आखिर राज्य सरकार पर ही पड़ेगा। ऐसे केसेज हमारे पास आये हैं जिनमें ऐसा मेटीरियल मौजूद है, बहुत सारी एप्लीकेशन्स आई हैं फिर भी उनको कन्सेशन नहीं दिये। तो फिर ऐसे केस के अन्दर उसे एक्सेप्ट करने का सवाल कहां पैदा होता है ?

तीसरा अमेंडमेंट आपका (पी) के अन्दर यह था, जिसमें यह बताया गया है :

"(p) by grant of any assistance in any other form which, in the opinion of the State Government, may be conducive for the promotion or development of industries in the State"

मैंने आपसे निवेदन किया कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेटर्न है, वह ऐसा है कि जो चेंज हो रहा हो और उस चेंजिंग पेटर्न के अन्दर आज हम किस प्रकार ऐसा इनेक्टमेंट, जो स्टीरियो टाइप्ड हो, स्टेटिक हो, या इस प्रकार का है जिसमें आगे जाकर कोई चेंज करने की जरूरत हो। मैंने कल भी निवेदन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेफीनिट डाइरेक्शन्स आते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ स्माल स्केल इन्डस्ट्री के डाइरेक्शन्स आते हैं That the

Page No.61

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

State Government shall do this or that for promotion of industries आज हम उसको एनविसेज नहीं कर सकते कि क्या डिसीजन्स हो सकते हैं और किस प्रकार उन्हें इम्प्लीमेंट करें। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कन्डीशन्स दे रहे हैं, उसके तहत रूल्स बनेंगे और वे आपके सामने आयेंगे। उस समय आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि हर एक इन्डस्ट्री को स्पून फीडिंग करें, स्पून फीडिंग किसी हद तक कर सकते हैं, उनको हेल्पिग हैंड्स दे सकते हैं। यही एक्ट की मन्शा है कि हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिव स्टेज के अन्दर कम से कम इस प्रकार की मदद उन्हें मिल सके जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और इसी हद तक हम मदद देना चाहते हैं। इसलिए न तो किसी मन्शा की बात है और न किसी मन्शा से ऐसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब नीयत खराब होने की भावना रहेगी, नीयत खराब होने का वातावरण रहेगा तब तक राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रीज पनप नहीं सकेंगी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हम नेकनीयती से ही सब कुछ करना चाहते हैं, नेकनीयती से ही इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं। हम लोगों की मन्शा दरअसल में यह है और इसी मन्शा से बात कर रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज चलें और वाजिब तौर पर रीजनेबल तौर पर जो मदद उनके लिए हो सकती है, वह मिल सके ताकि हमारे यहां हम इन्डस्ट्रीज को कायम कर सकें। फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने इस क्लॉज के पार्ट (सी) में यह संशोधन रखा है:

"for the purchase of implements, tools, machinery......"

ये शब्द डिलीट कर दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, दरअसल में इसका मतलब और क्लॉज का मतलब यह है कि रिसर्च को कन्डक्ट करने के सिलसिले में अगर कोई इम्प्लीमेंट्स, टूल्स और मशीनरी की खरीद करें तो उसके अन्दर हम कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन अगर इसकी लेंग्वेज से कोई इस प्रकार मिसगाइड होता है कि हम किसी भी इन्डस्ट्री को मशीन की खरीद करने में, चाहे बिड़ला हो, चाहे कोई भी बहुत बड़ा आदमी हो, केपिटलिस्ट हो, वह मशीनरी खरीदे, तो इसके अन्दर सब्सिडी देंगे, कोई इम्प्लीमेंट खरीदेगा तो उसमें सब्सिडी दे देंगे। ऐसी न तो मन्शा है, न ऐसा करना ही चाहते हैं। कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसा नहीं करना चाहेगा। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर ऐसी मन्शा नहीं है, फिर भी इस प्रकार की धारणा बनती है तो मैं उस अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ: "by paying a subsidy for the purchase of implements, tools or machinery in order to conduct research" क्योंकि यह हमारा मकसद है कि रिसर्च को कन्डक्ट करने के अन्दर मदद करने को तैयार हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Please repeat it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : "By paying a subsidy for the purchase of implements, tools or machinery in order to conduct research"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होना ही यह चाहिए था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

निवेदन किया कि यही मन्शा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट की रिकमन्डेशन्स और मैसूर एक्ट की रिकमन्डेशन्स, में भी यही है, but the meaning is this. मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ....

श्री अध्यक्ष : What about, "or for any other purpose" ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : They are deleted.

मैं अर्ज करूं कि मद्रास एक्ट अमेंडमेंट नम्बर १०, १९५६ है, इसके अन्दर ये अल्फाज लिखे हुए हैं :

"by way of a subsidy for the conduct of research or for the purchase of implements or machinery or for any other specified purposes"

मैं समझता हूँ कि दरअसल में मन्शा यह है और अगर इसमें कोई गलतफहमी होती है कि कोई दूसरा मन्शा हो सकती है तो मैं यह अमेंडमेंट मंजूर करता हूँ।

इसके बाद में सीकर से आये हुए माननीय सदस्य का जो (एफ) के अन्दर अमेंडमेंट है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, उसके लिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी इसमें जमीन को सस्ती दर से दिये जाने का सवाल, वाटर को दिये जाने का सवाल, या फायर वुड को या किसी अन्य रॉ मेटीरियल को सस्ते मूल्य में दिये जाने का सवाल है, वह इस वास्ते रखा है कि किसी बैकवर्ड एरिया के अन्दर अगर हम समझते हैं कि वहां रॉ मेटिरियल उपलब्ध नहीं है, तो हम वहां रॉ मेटिरियल कुछ कन्सेशनल रेट के ऊपर दे सकते हैं। अगर वहां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज नहीं हैं, तो कोई आदमी वहां जाकर इन्डस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा क्योंकि अन्डर डेवलप्ड एरिया है। तो ऐसी शक्ल के अन्दर अगर हम कन्सेशनल रेटके ऊपर रॉ मेटिरियल को सप्लाई करना चाहते हैं, कन्सेशन देकर इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें नीयत के अन्दर खराबी की बात बताई जाती है। इस एक्ट के तहत जितनी बातें हैं, उनमें नीयत खराब बता दीजिये। वैसे यह आज भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया हो। बांसवाड़ा में एक फैक्टरी है, वहां पर वुड देने का सवाल आया क्योंकि वहां पर उसके बिना कोई आदमी जाकर इन्डस्ट्री नहीं लगा सकता। वहां पर हमने वुड सप्लाई की। इसी तरह सीकर में जाकर कोई इन्डस्ट्री नहीं लगा सकता, जब तक कि उसे कोई कन्सेशन ग्रान्ट नहीं करेंगे, These are backward areas, जहां दरअसल में कुछ इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कुछ फेसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं, तो कभी भी वे लोग जाकर वहां इन्डस्ट्री नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें कोई दूसरी मन्शा वे नहीं समझें, इसकी मन्शा बहुत साफ है कि जो उचित और उपयुक्त किसी को कन्सेशन दिया जाना चाहिए, उसको दिया जायगा। जहां तक लोहे का सवाल है, उसके लिए पॉलिसी निर्धारित की है कि सस्ती दर पर, कन्सेशनल रेट्स पर, जो ग्रान्ट की है, देंगे। हर एक के लिए अलग अलग शर्तें निर्धारित की है, उसके अनुसार देना चाहते हैं उस रेट पर। सब की रेट्स निश्चित की हैं, सबको उसी रेट पर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

देना चाहते हैं और जो कन्सेशन है, वह रूल्स में आयेगा, आपके सामने आयेगा और आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और उसके अन्दर कोई ऐसी बात हो तो डिस्कशन के बाद में निर्धारित करके तय की जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से यह अमेंडमेंट मंजूर किया जाय। इसलिए निवेदन करूंगा कि जिन महानुभावों ने इस क्लॉज के अन्दर अमेंडमेंट प्रस्तुत किये हैं वे वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of clarification. With regard to part (i) the Minister-in-charge said that the services of State Government servants will not be placed at the disposal of the industrialists, I would like him to state unequivocally in the House that they will have only advisory functions.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already told that we want to render assistance to them for starting of industry and not for running of industry.

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why not put the words "for advising them ?"

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I will give an instance. If some machine of an industry goes out of order and our Mechanical Engineer goes there and sets the machinery in proper working order, what is wrong in it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have objected to the words, "free of charge. If a technical man from Government renders some service to an industry, there must be some charge for it.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) आप भी वापिस ले रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With regard to the granting of exemption from taxes of local bodies I would like to know whether the State Government will consult the local bodies before doing it ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Government have already formed a standing committee consisting of officers to examine very carefully whether a particular industry should be granted an exemption or not. This is examined very thoroughly and then a decision is taken.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : My question is whether the Municipal Board will be consulted in regard to exemptions from their taxes.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Municipalities and local bodies are to be consulted. We have to invite the Chairmen and then find out how it is going to affect their revenues. Then we will give a decision whether to grant the exemption or not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Will the Minister give some compensation to the Municipal Boards in lieu of such exemptions? Whether the Government will be reimbursing the Municipal Boards for the loss.

श्री रिखबचंद धारीवाल : It is a hypothetical question. If the revenues of the Municipal Boards are very much affected, then the Government will certainly examine their cases on merits that they should be compensated.

श्री दयाकृष्ण विजय : It is not a hypothetical question. The Kota Municipality is undergoing losses because big Sethias are not paying taxes. They are exempted.

श्री रिखबचंद धारीवाल: But there are other advantages which are likely to accrue to that area if industries are set up. We have to examine the overall position.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ५ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में सब-क्लॉज (सी) में जो संशोधन मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

क्लॉज ६, श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लाँज ६ में मेरे २ अमेंडमेंट्स हैं । एक है :

In sub clause, (1) delete the words "or to produce such books of accounts and other documents for inspection"

The other is, tdelete sub clause (2).

अध्यक्ष महोदय, क्लाँज ६ में पॉवर ऑफ इन्स्पेक्शन के पॉवर्स रखे हैं : "(1) The

(श्री पी. के. चौधरी)

State Government or any officers authorised by it in this behalf may, by order require any person in charge of the industry to which aid under the provisions of this Act has been given to furnish such information or to produce such books of accounts and other documents for inspection......"

इसमें अध्यक्ष महोदय मेरा यह अमेंडमेंट है : "Delete the words 'or to produce such books of accounts and other documents for inspection."

Sub-clause (2), I want it to be deleted altogether.

अध्यक्ष महोदय, यह जो पॉवर ऑफ इन्स्पेक्शन है वैसे तो हम महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट जब लोन या सब्सिडी देती है तो उसे कुछ अधिकार जरूर देने चाहिये कि सब्सिडी का, लोन का, ग्रान्ट का बराबर इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इस बात का इन्स्पेक्शन करें, पर उनकी बुक्स और अदर डाक्युमेंट्स के इन्स्पेक्शन का सिलसिला जारी कर दें तो आज इसका प्रावधान नहीं होते हुए भी इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का हेरेसमेंट होता है, after all they are not Government employees न वे कन्सर्न्ड गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं, अपने इनीशियेटिव पर केपिटल लगाते हैं और रिस्क लेते हैं। They are called "enterpreneurs" because they take a risk, they launch an enterprise.

इसलिये उनको इन्टरप्रिन्योर कहते हैं। वे इन्डस्ट्रीज चलाते हैं तो वे अन्नेसेसरिली गवर्नमेंट इन्टरफियरेंस टोलरेट नहीं करते क्योंकि इस तरह से उनके इन्ट्रेस्ट्स डाइवल्ज होते हैं, सीक्रेट्स लीक आउट हो जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि पॉवर ऑफ इन्स्पेक्शन में यह प्रोविजन रखेंगे तो उनके प्रोडक्शन ओपरेशनल सीक्रेट्स लीक आउट होंगे...

(१. ५३ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष,पदासीन)

प्रोडक्टिविटी की या नहीं की, यह तो पता चला सकते हैं पर उनकी बुक्स और दूसरे डॉक्युमेंट्स के इन्स्पेक्शन का सवाल आता है तो वे लोग ज्यादा सेंसेटिव रहते हैं। हम कुछ दिनों पहले एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट में गये थे तो वहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्फोर्मेशन प्रोक्योर करने जाते तो वे लोग महसूस करते कि उनके प्रोडक्शन ओपरेशनल सीक्रेट्स नहीं हो जायं, इसका उनको डर रहता। एक कन्सर्न के यहां हम गये, मैं उस कन्सर्न का नाम नहीं दूंगा, उस कन्सर्न ने गवर्नमेंट के आदमी को अन्दर नहीं जाने दिया, उसने अपने ऑफिसर्स के पास शिकायत की कि फलां व्यक्ति कारखाने के अन्दर हमें घुसने नहीं देता। हमने पूछा कि क्यों नहीं घुसने देते तो उन्होंने कहा कि पहले यहां पर्टिक्युलर मोटर पार्ट्स बना रहे थे, इन्स्पेक्टर आता है और उस प्रोसेस को देख जाता है और उसने दूसरी इन्डस्ट्रियल एस्टेट को वह सीक्रेट बता दिया, पहले हमको जितना कोटा देते थे उससे चार गुना ज्यादा कोटा उस इन्डस्ट्री को दे देते हैं सिमिलरली फ्लेक्सिबल ट्यूब बनाते हैं, टेबल लेम्प देखा होगा, उसको जिधर चाहे घुमा सकते हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबल ट्यूब बनाते हैं। हिन्दुस्तान में एक ही कम्पनी है जो फ्लेक्सिबल ट्यूब

Page No.66

(श्री पी. के. चौधरी)

बनाती है। इस पर झगड़ा हो गया। इन्स्पेक्टर्स आते हैं तो बुक्स और अदर डोक्युमेंट्स देखने का नाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोडक्शन ओपरेशनल सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं। इसलिये हम इनको अन्दर नहीं आने देते। उनको नहीं आने दिया तो उन्होंने उसका कोटा बंद कर दिया। प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर है उसके कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ओपरेशनल सीक्रेट्स हैं, उनको वे लोग लीक करना नहीं चाहते।

पॉवर ऑफ इन्स्पेक्शन वैसे तो ठीक लगते हैं कि हम लोन देते हैं तो देखना चाहिये कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही हैं या नहीं, पर इसका साइकोलोजिकल असर होता है कि ये लोग इसको हेरेसमेंट मानते हैं। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के सबोर्डिनेट ऑफिसर्स जाते हैं तो हेरेसमेंट ज्यादा होता है।

(२ म० प०)

चाय पीना क्या उसका बिल भारी पड़ जाता है और बात बात पर अगर वह नाराज हो गया तो तकलीफ देता है। हम इन्डस्ट्रीज खोलने वालों को कन्सेशन, लोन और सब्सिडी देना चाहते हैं जो उद्योग लगाने की हिम्मत करते हैं, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। जिससे वे दूसरे धन्धों को छोड़ कर उद्योगों में पड़ जावें। लेकिन इससे हम उनके दिमाग में psychological barrier create करेंगे जिससे उनको वह महसूस होगा कि यदि सरकार का लोन लेंगे तो इस प्रकार की कठिनाइयां होंगी और इन्सपेक्टर आकर अन्नेसेसरी इन्टरफियरेन्स करेगा। मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आपने यह बिल पेश किया है और पास कराना चाहते हैं, यदि पॉवर ऑफ इन्सपेक्शन का रखेंगे तो इसमें इस प्रकार से वे पिन प्रिक्स देंगे जिससे उन पर साइकोलोजिकल इफेक्ट होगा। और वह साइकोलोजिकल इफेक्ट ही इसमें बाधक हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। इन्सपेक्टरों को पॉवर्स दें, मगर आज हमने जो लोन दिया है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं यह देखें, उन्होंने उसका क्या किया या उसका क्या ऑपरेशन हो रहा है या किस तरह से बना रहे हैं; अगर इन सारी बातों में जावें तो उनके इनिशियेटिव में रुकावट हो सकती है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूँ कि इन्डस्ट्रियेलिस्ट्स इसमें रेजिस्ट करेंगे और करते हैं। इसलिये मैंने पॉवर ऑफ इन्सपेक्शन के रेस्ट्रिक्शन के लिये यह संशोधन रखा है। इसको मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

दूसरी तरफ यह है कि जो लोन हमने दिया है उससे प्रोडक्शन करते हैं या नहीं उसको देखने के लिये दूसरे भी बहुत से तरीके हैं। उसका कितना पॉवर कन्जम्प्शन होता है उसको देख कर पता लगाया जा सकता है। उसके यहां पर कितने आदमी काम करते हैं उनको देख कर पता लग सकता है। इसलिये डिटेल्ड स्क्रुटिनी की जरूरत नहीं रहती है। इसलिये जिस व्यक्ति को हम डेप्यूट करते हैं वह बोसिंग करता है और अपनी दादागिरी जमाता है। वह अपनी इम्पोर्टेन्स को बताने के लिये कोशिश करता है और इसके लिये आज जयपुर के इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वहां भी इस प्रकार की शिकायत हुई है। इसलिये जो व्यक्ति सरकार से मदद लेगा वह दस दफा सोचेगा कि आया सरकार से मदद लेकर काम करना है या नहीं क्या कि सरकार की तरफ से

Page No.67

(श्री पी. के. चौधरी)

यह दिक्कत होने वाली हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जो अमेन्डमेंट मैंने रखा है उसको स्वीकार किया जाए, ताकि लोग आगे बढ़ सकें और इन्फोर्मेशन लाने का तरीका रखा है उसके जरिये इन्फोर्मेशन भी ला सकें। इन शब्दों के साथ में अपना अमेन्डमेंट पेश करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज६ पर संशोधन है,उसको मैं प्रस्तुत करना नहीं चाहता; लेकिन जो संशोधन का प्रस्ताव अभी अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The amendment was the same, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Amendment in clause 6 ?

श्री पी. के. चौधरी : A similar amendment was mine.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I don't persist that. I am not moving that.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इससे पहले मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। यहां इसलिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री पी. के. चौधरी : He does not get his turn now. He wants to take his opportunity to speak, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I don't want to move that.

श्री उपाध्यक्ष : Whether he wants to move it or oppose it ? He should avail that opportuniy.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मन्त्री) : I don't think, he can do both things at a time.

श्री उपाध्यक्ष : Not two things at a time.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I do one thing at a time. उपाध्यक्ष महोदय, धारा ६ में जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, मुझे उसे देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का संशोधन रखा है। उन्होंने यहां पर जो पूंजीपति और उद्योगपति हैं उनकी वकालत की है। पूंजीपति और उद्योगपतियों के यहां उनके हिसाब की जांच करने के लिये जब सरकारी इन्सपेक्टर्स जाते हैं और हिसाब की जांच करते हैं तो सरकारी अधिकारी वहां अपनी दादागिरी लगाते हैं, इसकी शिकायत पेश की। हो सकता है कि उनकी शिकायत ठीक हो, उनका अनुभव सही हो सकता है। मैं इस बारेमें कुछ नहीं कहना चाहता। अगर ऐसी बात है तो इसकी सरकार के पास शिकायत होनी चाहिये। मगर हमको यह देखना है कि छोटे २ मजदूरों की स्थिति क्या होगी जब सरकारी अधिकारी बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां उन्होंने इस बात के लिये संशोधन रखा है वहां उन्होंने यह

Page No.68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं सोचा कि जिन उद्योगों को राज्य सहायता मिलती है, जिनका विकास करने और चलाने की दृष्टि से राज्य के कोष से सहायता देते हैं उनकी स्थिति क्या है, वह नफे में चल रही है या नुकसान में, उनकी वास्तविक स्थिति का पता तब तक नहीं चला सकते जब तक उनके हिसाब की जांच न हो। जब वे सरकार से सहायता लेते हैं तो राज्य के सामने सारी स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिये। यदि राज्य जनता और सरकार के सामने सारी बातें नहीं आवेंगी तो कैसे मालूम होगा कि जो लोन दिया गया, या जो सब्सिडी दी गई है उससे क्या लाभ हो रहा है और मजदूरों का क्या हाल है; वहां के मजदूरों को बोनस मिलता है या नहीं या पी० एफ० मिलता है या नहीं ? मजदूरों की हालत किस प्रकार की है ? मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि जब तक यह मालूम नहीं होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की चल रही है आप किस प्रकार से उनको सहायता देते रहेंगे।

आज बॉलबियरिंग इन्डस्ट्री है जो हमेशा नुकसान दिखाती है, वहां के मजदूरों की हालत क्या है उसकी तरफ ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि वे सदन में उनकी वकालत करते हैं जो पूंजीपति हैं। जो इन्डस्ट्रीयलिस्ट ५० लाख रुपया लेकर इन्डस्ट्री को चलाता है और हमेशा घाटा ही घाटा दिखाता है। वे यहां पर वकालत करने के लिये खड़े हुए हैं पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की, बड़े बड़े सरमायेदारों की। आपको मजदूरों की वकालत करनी चाहिये। उनके हिसाब-किताब की देख रेख होती रहनी चाहिये। आज दादागिरी करते हैं उसके लिये शिकायत करते हैं। वे कांग्रेस में काम करते हैं, मजदूरों के हित की रक्षा करनी चाहिये। मजदूरों का हित पूंजीपतियों की वकालत करने से नहीं होगा। उद्योगपतियों की तरफ से जो खर्चा करते हैं और सरकार उनको सहायता देती है इसलिये उनका हिसाब-किताब सबके सामने आना चाहिये। हम सदन में शिक्षा के बारे में जानते हैं। आज खादी बोर्ड की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं आवे तो आपको कैसे मालूम होगा कि बोर्ड में कितना घाटा है। आपको कैसे मालूम होगा कि इसमें धन का दुरुपयोग हुआ है। अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगी और इन्सपेक्शन का अधिकार उनको नहीं होगा तो सारी वस्तुस्थिति आपके सामने कैसे आवेगी; जैसा खादी बोर्ड में हुआ। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का अधिकार अवश्य होना चाहिये। अगर हमारे अधिकारी किसी प्रकार की दादागिरी करते हैं तो इसके लिये राज्य सरकार को शिकायत कर सकते हैं।

माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार की आशंका प्रकट की है कि इस प्रकार के सीक्रेट आउट हो जावेंगे, उद्योगपतियों के हिसाब-किताब देखेंगे तो, जो गुप्त बातें हैं वे आउट हो जावेंगी, गुप्त बातें खुलेंगी। कितना नुकसान होगा ? यदि उद्योगपतियों की गुप्त बातें नहीं खुली तो वे राजस्थान सरकार को और जनता को उद्योग में घाटा दिखा कर मजदूरों का गला काटेंगे। दोनों में आप देख लीजिये कि कौन सी बात ठीक है। सीक्रेट इस बात के हो सकते हैं कि १० लाख रुपये की सरकारी सहायता ली लेकिन उद्योगपति प्रोडक्शन में घाटा दिखाकर सरकार से कहेंगे कि हम तो मर रहे हैं, लिक्वीडेशन में जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम जिन्दा तब ही रह सकते हैं जब कि हमको सेल्स टैक्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में एक्जेम्प्शन दे दो, हम जिन्दा तब ही रह सकते हैं जब कि तीन पैसा युनिट हमको बिजली दे दो, जिन्दा तब ही रह सकते हैं जब कि हमको बाकी टैक्सेज से एक्जेम्पट कर दो। अकाउन्ट्स का पता नहीं, इन्फोर्मेशन ले नहीं पाते, सूचना मिलती नहीं, फिर सरकार चाहेगी कि उनको सेल्स टैक्स में, ऑक्ट्रोय में एग्जम्पशन दे दें। सस्ती दरों पर बिजली दे दें। उन उद्योगपतियों को दे दें, जिनके वे अधिकारी नहीं हैं। सरकारी अधिकारी को यदि ऑडिट करने का अधिकार रहता है तो उससे अनेक बातें नजर में आ सकती हैं कि अमुक उद्योगपति, अमुक फैक्ट्री, अमुक एन्टरप्राइज में इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रहा है, उनके आंकड़े इस प्रकार के हैं। यह पता लग सकता है कि ऑक्ट्रोय में गलती है, इन्कम टैक्स का इवेजन हुआ है, आमदनी गलत दिखायी है, घाटा गलत दिखाया है। आज हम देखते हैं कि इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और जो अन्य टैक्सेज हो सकते हैं उनका इवेजन होता है। यदि इस प्रकार का प्रावधान रहेगा तो उनके अकाउन्टस प्रोपरली चैक हो सकेंगे। माननीय सदस्य उनको इससे बरी कर देना चाहते हैं कि उनके अकाउन्ट ऑडिट नहीं होने चाहिये यदि अकाउन्ट्स ऑडिट होते हैं तो गुप्त बातें प्रकट हो जावेंगी।

मुझे अफसोस है कि लेबर में वर्षों से काम करने वाले, मजदूरों में काम करने वाले प्रमुख और जिम्मेदार माननीय सदस्य आज पूंजीपतियों की वकालत करने के लिए सदन में खड़े हो गये। बाकी के संशोधन मंजूर करें या न करें, वे मंजूर हों अथवा नहीं, लेकिन में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूंजीपतियों को मजदूरों के हितों के खिलाफ प्रोटेक्शन देने का, मजदूरों के खिलाफ संरक्षण देने का संशोधन रखा है वह उसको कभी भी स्वीकार न करें। मैं सदन से भी निवेदन करूंगा कि मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने वाला और राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता की खून की गाढ़ी कमाई का पैसा जो टैक्सों के रूप में वसूल होकर सरकारी कोष में जाता है उसका दुरुपयोग न हो और राजस्थान में सही ढंग से इन्डस्ट्रीज का विकास हो; इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आवश्यक नियंत्रण और रेगुलेशन्स रखे चाहिये और जिस प्रकार की विधेयक की धारा है वह उसी प्रकार से रहनी चाहिए और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सीक्रेट आउट होने का सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने ३ और ४ क्लॉजेज नहीं देखे हैं। सीक्रेट आउट करेगा तो ६ महीने की सजा और ५ हजार रुपया जुर्माना होगा। उस पर यह नियंत्रण रख दिया गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी इन्डस्ट्री के हिसाब-किताब का ऑडिट करेगा और यदि उसके सीक्रेट को आउट करेगा तो उसको छः महीने की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा। यह चैकिंग नहीं तो क्या है ?

इन शब्दों के साथ, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, वह मजदूरों के हितों के खिलाफ है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उसको ठुकरा दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मैं भी विरोध करता हूं। सबसे बड़ी खुशी की बात

Page No.70

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तो यह है कि सरकार ने क्लॉज बनाया है। विरोधी दल के प्रमुख सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने सरकार की नीयत का स्पष्टीकरण दिया है उसके लिए। मैं समझता हूँ, आज उनको मौका मिला, हालांकि उनके भी संशोधन इस प्रकार के हैं। लेकिन उनको उस गाड़ी में चढ़ते देर नहीं लगती कि उस प्रकार का संशोधन करें। जब पहली दफा मौका मिला तो बगैर क्वलिफिकेशन के पहली दफा सरकार को बधाई दी कि सरकार यह क्लॉज लाई जो पूंजीपतियों पर नियंत्रण रखने वाला है और मजदूरों की हिमायत करने वाला है।

मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को पास करने में इससे ज्यादा तारीफ की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती जिसके लिए विरोधी दल के लोग भी, जो कभी भूले-भटके तारीफ नहीं कर सकते थे, वे आज कर रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार न करें। अगर मंजूर करने की मंशा होती और सरकार केपिटलिस्टों के हाथों में खेलने वाली होती तो उनको भी मौका मिलता। सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है और सरकार उसको करने जा रही है। खादी के अन्दर चीजें चलीं और सदन में जिस तरह के मामलात रखे गये और फैसले कोर्ट्स से आये उनके बाद सरकार ने निश्चित रूप से कदम उठाये कि खादी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करने दिया जावेगा। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को समझना चाहिये, आप समझें कि जहां सब्सिडी दी जाती है वहां प्रोडक्शन भी नहीं होता और उसके बावजूद भी खाली कागज, कोरे कागज फाड़ फाड़ कर सरकार से रुपया लिया जाता है। इस प्रकार से उस पर नियंत्रण किया गया है। सरकार ने महसूस किया और यह निश्चय किया कि जिस इन्डस्ट्री को उद्योग चलाने के नाम से कोई पैसा दें तो उनके अकाउन्ट्स भी देखे जावें। सब्सिडी देने से वे उसके मालिक हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। लाखों रुपया इन्डस्ट्री को देते हैं और जब इन्डस्ट्री बढ़ने लगें तो इसमें सरकारी ताल्लुक न हो कि किस प्रकार का खर्चा हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों में छूट, जो पूंजपति हैं, और सहायता प्राप्त करने वाले लोग हैं, वे लेते हैं सरकार से, लेकिन प्रोडक्शन नहीं करते हैं यह कहा जाता है जब कि ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। जिस प्रकार से बार बार कहा जाता है और यहां कहा गया कि कोटा कच्चे माल का भारत सरकार से मिलता है लेकिन वह पंजाब में चला जाता है, ब्लैक मार्केट में चला जाता है। सरकार ने महसूस किया है कि जो माल आया उसका सही रूप से यूज होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कच्चा माल क कोटा भारत सरकार से आया और उसको ब्लैक मार्केट में पंजाब में भेज दिया और सरकार को महसूस करना पड़ा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन सा ऐसा केस है जिससे कि सरकार को महसूस करना पड़ा ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There are so many cases.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन केसेज

Page No.71

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

से आप मुझे लाइन से उकसाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी है, कानून का राज्य है, सुबूत नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसी-लिए सुबूत मिलने के लिए ही तो सरकार ने क्लॉज डाला है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज का बड़ा सिग्नीफिकेन्स है कि सरकार इस तरह का क्लॉज लायी है। कानून नया नहीं है। सर-कार इन्डस्ट्री में इसी प्रकार काम कर रही है। जो काम कर रही थी उसको कोडिफाइ किया है। सदन के माननीय सदस्यों ने सदन में इस विषय में सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया था,इसलिए माननीय सदस्यों की आकां-क्षाओं की दृष्टि से यह कानून लाया गया है। कड़ाई के साथ भी उसका पालन कराना है। वह जादू नहीं, चमत्कार नहीं जो सिर चढ़ कर न बोले। सतीशचन्द्रजी को भी आज पांच साल में पहली बार इस प्रकार से सुना है कि सरकार ऐसा कर रही है, सही कर रही है। सरकार मजदूरों की है और मजदूरों के हित में बेईमानी को रोकना चाहती है। इस-लिए मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने रखा है, उसको अस्वीकार करेंगे। फुलेरा से आने वाले माननीय मेम्बर ने मजदूरों के हित की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ औद्यो-गीकरण के लिए यह क्लॉज रखा है। अगर माननीय सदस्य के सामने किसी प्रकार का मामला हो तो वे मिनिस्टर साहब के सामने लायें तो उस पर विचार हो सकता है। लेकिन आपकी जो शब्दावली है उससे यह जाहिर होता है कि कहीं पूंजीपतियों ने ब्रीफ तो नहीं किया है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने संशोधन को वापिस ले लें और जो मूल क्लॉज है उसे उसी प्रकार से पास करें। मैं आपके संशोधन का विरोध करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया था, जिन बातों को लेकर उन्होंने इस संशोधन का विरोध किया उनसे शायद नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के दिमाग में कुछ सन्देह सा पैदा हो गया ······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सफाई की जरूरत नहीं, मैं खुद जानता हूँ। सन्देह किसको है !

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूँ कि आपके मस्तिष्क में जो खराबी है, वह दूर हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन यह जानता है कि आपके दिमाग में कितनी खराबी है।

श्री भैरोंसिंह : एक दूसरे की खराबी को जानते हैं, इसलिए सफाई करने की चेष्टा करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इन्स्पेक्टिंग का जो क्लॉज यहां रखा गया है वह कोई सरकार की तारीफ हो ऐसी बात नहीं या सरकार पूंजीपतियों की हामी नहीं इस बात का कोई सर्टिफिकेट नहीं·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सतीशजी जानें, उनको कहें।

Page No.72

श्री भैरोंसिंह : वे इसको सर्टिफिकेट मान बैठे हैं। मैं यह समझता हूँ कहीं वे इस प्रकार के सर्टिफिकेट को लेकर पूंजीपतियों में चले गये तो उनका काम बनने वाला नहीं। प्रश्न यह है कि इन्सपेक्टिंग क्लॉज की आवश्यकता क्यों है। इस सदन में सन्देह प्रकट किया गया था कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। यह बात सही है। इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट की दृष्टि से यह कानून जो सरकार द्वारा इस मौके पर प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रत्यक्ष में क्या असर होगा यह तो बाद में सामने आयेगा इसका किस प्रकार से दुरुपयोग होगा यह तो बाद में पता चलेगा। उस दुरुपयोग की स्थिति के अन्दर अगर इन्सपेक्टिंग का क्लॉज नहीं रहता है तो हमारी सरकार की नीति है इन्डस्ट्रीज के लिये, हमारी सरकार नीति बनाती है उसके अन्दर सरकार भी आती है अन्य सरकारी अधिकारी भी आते हैं। सरकारी अधिकारी राजनैतिक लाभ की दृष्टि से नहीं देखते वे इस बात का विचार नहीं रखते कि इस प्रकार किसी इन्डस्ट्रीज को मदद देने से राजनैतिक लाभ क्या हो सकता है लेकिन इस बात का सरकार विचार नहीं रखती। ऐसी हालत में जहां सरकारी अधिकारियों को यह मालूम हो या उनके पास कोई शिकायत करे कि अमुक इन्डस्ट्री को सरकार द्वारा जो सहायता दी गई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। चूंकि उसको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। इस पर भी सरकारी अफसर के सामने इन्सपेक्शन के लिए कोई प्राइवेट आदमी अप्रोच करता है, उसको जाकर रिक्वेस्ट करता है अमुक इन्डस्ट्री के अकाउन्टस में गड़बड़ी है, सरकार को गलत बातें बताकर रिलिफ मांगने की कोशिश की जा रही है वैसी हालत में वे अधिकारी जाकर उस इन्डस्ट्री का इन्सपेक्शन कर सकते हैं। सही बात को मालूम करने के लिए यह इन्सपेक्टिंग क्लॉज रखा गया है जो बहुत आवश्यक है। इसका यह मतलब नहीं होगा कि सरकार की जो पूंजीपतियों को संरक्षण देने की नीति है उसमें किसी प्रकार की बाधा होगी। लेकिन सरकार के सामने इस क्लॉज द्वारा यह स्थिति जरूर पैदा की जा सकती है यदि किसी इन्डस्ट्री के बारे में शिकायत हो तो इन्सपेक्टिंग स्टाफ जाकर उसको चैक कर सकता है और उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट हो वह दे सकता है। उसके बाद सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि वह उसके खिलाफ कार्यवाही करे। इसलिये यह इन्सपेटिंग क्लॉज बहुत आवश्यक है। इसके लिए यह कहा जाय कि यह तो इन्टरफिअरेंन्स है, इन्डस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सिद्धान्त रूप से देखा जाय तो इन्डस्ट्रीज की ग्रोथ में इससे किसी प्रकार की रुकावट आने वाली नहीं, उसमें सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। इस क्लॉज के होने पर अगर कोई इन्डस्ट्री सरकार से मदद लेती है उस सरकारी सहायता का किसी प्रकार से भी दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। अब सवाल आता है इन्डस्ट्रीज खोलने वाले हैं उनका, उनको हैरान किया जा सकता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा। इससे इन्सपेक्टिंग ओथरिटी उनको हैरान कर सकती है। यदि यह मान भी लिया जाय तो आज इन्डस्ट्रीज विभाग में इन्सपेक्टर्स मौजूद हैं, वे समय समय पर इन्डस्ट्रीज की देखभाल करते हैं। इसके लिए सरकार की एक एजेन्सी होगी। इसके लिए अलग विभाग होगा। वैसी हालत होने पर भी यदि किसी को उसके कार्यों में अविश्वास है तो उसको चाहिये कि वे उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लावें....

श्री श्रीभानसिंह: (बयाना) are you

(श्री श्रीभानसिंह)

giving an assurance that the Goverment will have the inspection Department ? How do you know it ?

श्री भैरोंसिंह: Inspestion authority...

श्री श्रीभानसिंह : You said inspection department.

श्री भैरोंसिंह : Take assurance from the Hon'b● Minister ऑनरेबल मेम्बर को मालूम होना चाहिये, अभी भी इन्स्पेक्टिंग ऑथोरिटी इस विभाग में है।

श्री श्री भानसिंह : There is no such thing as department.

श्री भैरोंसिंह: इस वक्त भी ऑथोरिटी है। वे जाकर देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अगर ऑथोरिटी नहीं होती है तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से इन्डस्ट्रीज के ग्रोथ के अन्दर रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिये इस प्रकार का जो इन्सपेक्शन का अधिकार है वह दिया जाना चाहिये।

पिछले दिनों हमने राजस्थान में रिलीफ एक्ट पास किया था उसमें व्यवस्था की थी कि जिन इन्डस्ट्रीज को सरकारी सहायता दी जाती है वहां सारे लेबर लॉज एप्लाई नहीं होते हैं। इसलिये सरकार ने जो सारी व्यवस्थायें रखी हैं वैसी स्थिति के अन्दर आज जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें सरकारी पैसा लगा हुआ है या सरकार द्वारा लोन लेकर जो इन्डस्ट्रीज चलती हैं उस स्थिति के अन्दर अगर इस प्रकार का क्लाज नहीं रहता है, लेबर पोइन्ट ऑफ व्यू से भी हमें सारी परिस्थिति को जानकारी होना आवश्यक होता है वैसी स्थिति में इन्सपेक्टिंग क्लॉज को हटा दें तो मजदूरों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे रुपयों का दुरुपयोग होता रहेगा। आज जब कि इस प्रकार का क्लॉज रहता है तो सरकार के पास कोई भी व्यक्ति एप्रोच करके राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होते हुए भी अगर कोई पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसको रुकवा सकते हैं। इसलिये यह क्लॉज बहुत आवश्यक है और इस पर जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है वह रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, जो माननीय सदस्य फुलेरा से आये हैं उनके अमेंडमेंट के मैं सपोर्ट में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और इसलिये मुझे बड़ा अफसोस लगा कि जो माननीय सदस्य शायद नसीराबाद या कहां से आये, कॉन्स्टिट्यूएन्सी का मुझे ठीक नाम याद नहीं, उन्होंने एक आक्षेप लगाया और वह यह लगाया कि यह जो संशोधन रक्खा है वह इसलिये रक्खा है कि किसी कैपिटलिस्ट को खुश करना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैंने ऐसा चार्ज नहीं लगाया है, उन्होंने उनको डिफेन्ड किया है; अगर ऐसा कुछ मैंने कहा हो तो मैं उसे वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : There was an expression. Whether he was briefed or not ? But there was a word used by him as 'brief'

श्री श्रीभानसिंह : ब्रीफ का मतलब मैं

(श्री श्रीभानसिंह)

यही समझा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अगर वकील नहीं हैं और यह समझें तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री श्रीभानसिंह : तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां कोई माननीय सदस्य किसी ग्रीफ की वजह से या किसी को खुश करने की वजह से कोई बात नहीं रखते हैं। पर वे जो सिंसियरली सोचते हैं वही रखते हैं या जिस मकसद को हम पूरा करना चाहते हैं उनको अच्छी तरह से अचीव करने के लिये रखते हैं। पर जो इस तरह के क्रिटिसिज्म में दूसरे जनसंघी मित्र थे वे तो कुछ समझने की कोशिश नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप स्वयं बिना समझे बोलते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : "Or to compoud such books of accounts and other documents for inspection"

सिर्फ इस लाइन को डिलीट करने का लिखा है। अगर इसको डिलीट कर दिया जावे तो स्टेट गवर्नमेंट के पॉवर डिलीट नहीं होते।

"...any person in charge of the industry to which aid under the provisions of this Act has been given, to furnish such information or to produce such books of accounts and other documents for inspection at such time and place as may be specified in the order and such person shall comply with such order."

अब इसके डिलीट होने से सरकार के अधिकार कैसे कर्टेल हो जावेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह रिडन्डेन्ट है उनका आग्युमेंट यह है। आपने स्पीच नहीं सुनी है, आप बाद में आये हैं इसलिये ऐसा कह रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आप पहले सुन तो लें। मैं भी वही कह रहा हूँ। यह रखना बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। कोई भी डॉक्युमेंट सरकार मांग सकती है ग्रान्ट या सब्सिडी वगैरह देते वक्त, पर इसमें जो माननीय सदस्य ने नहीं देखा सबसे बड़ा डेन्जरस क्लॉज ४ है। इसमें क्या पॉवर दी हैं। एक तरफ इन्सपेक्टर के लिए एतराज करते हैं, इन्सपेक्टर इन्सपेक्शन कर सकता है, ऑडिट बुक को देख सकता है, दूसरी तरफ फर्म का आनर है, अकाउन्ट्स अपने नहीं दिखाना चाहता। अब क्वेश्चन यह आता है कि वह मालिक अगर नहीं दिखाना चाहता है तो वह थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे देता है और वे सूचनाएं फर्म के बारे में पब्लिश हो जाती हैं। अब इसका क्लेम किस पर है ? चूंकि मालिक इन्सपेक्टर से नाराज है वह उस पर क्लेम करेगा कि इसने मेरी फर्म के सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर दिये। ऐसे केस में इन्सपेक्टर की नीयत बोनाफाइडी होते हुए भी The Inspector is liable for fine upto five thousand rupees and certain imprisonment.

सो बताइये इस क्लॉज के रहते हुए कौन इन्सपेक्टर हिम्मत करेगा कि उस अनविलिंग आदमी के अकाउन्ट्स को चैक करें क्योंकि आपने यह रखा है कि एक तरफ तो पॉवर

(श्री श्रीमानसिंह)

चैक करने की दी है, दूसरी तरफ डिटेरेन्ट क्लॉज रख दिया कि किसी सोर्स से अगर फर्म के सीक्रेट्स डिस्क्लोज होते हैं तो only two persons are responsible, either the Inspector or the Proprietor and it is obvious... अब यह ओब्वियस है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करें और इसमें मालिक उस पर ब्लेम करने में सक्सीड हो जावेगा और इस तरह से कोई इन्सपेक्टर आपके इस इन्सपेक्शन के पर्पज को फुलफिल नहीं कर सकता। अगर आप इन्सपेक्शन जरूरी समझते हैं तो इन्सपेक्टर को प्रोटेक्शन भी दीजिये। इन्फोर्मेशन लीक किसने की, इसको प्रूव करने का बर्डन प्रोप्राइटर पर रखिये। तो क्लॉज ४ में जो पीनाल्टी आपने इन्सपेक्टर के लिये रखी है यह बर्डन प्रोप्राइटर पर रखना पड़ेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन शब्दों को डिलीट कर दिया जावे तो क्लॉज का मकसद अचीव हो जाता है। माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है वह बहुत सोच-समझ कर रक्खा है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will please make a reply.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इस क्लॉज के उपखण्ड (२) का अमेंडमेंट मैंने पढ़ा और फिर उपखण्ड (६) का अमेन्डमेन्ट जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य का पढ़ा तो कुछ देर तक उन पर विचार करने का मौका मिला। क्योंकि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह मत हो सकता है कि जब कि वह इस सब-क्लॉज (२) का अमेंडमेंट आया था कि इसे डिलीट कर दिया जावे तो इसका मतलब यह था........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I have not moved any amendment.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am not speaking on that. मैं सोच रहा था कि यह वर्डिंग डिलीट कर रहे हैं, तब सब-क्लॉज (२) डिलीट हो सकता है। पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसे मूव नहीं किया और फुलेरा से आने वालों का जो अमेंडमेंट था उसको अॉपोज किया। फुलेरा से आने वालों ने जिस मंशासे इसे प्रस्तुत किया उसका जवाब मैं यह समझ रुका हूँ कि किसी हद तक उनका एप्रीहिन्शन ठीक हो सकता है कि इन्सपेक्टर द्वारा अकाउन्ट्स का निरीक्षण करने में खतरा हो सकता है, पर जिसको अनुदान सरकार देती है उसका उचित उपयोग हो रहा है या नही इसके निरीक्षण का प्रावधान अगर नहीं रखते हैं, ऐसा कानून उचित नहीं होता। अब यह हो सकता है कि जो एड दी गई उसका सही सही उपयोग हुआ या नहीं इसके लिये दो तरीके हो सकते हैं एक तो यह कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे मांग लें। पर हो सकता है जो इत्तिला उसने दी वह सही है या नहीं तो इसको देखने का क्या तरीका है? अब इसके टैली करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम जाकर खुद वहां इन्सपेक्शन करें या उसको यह कहें कि वह अपनी अकाउन्ट्स बुक्स हमारे सामने प्रोड्यूस करें।

तो इस बारे में इतना ही निवेदन करना

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

चाहता हूँ कि इसके अन्दर जो कुछ भी सरकार की मंशा है वह स्पष्ट है और जो सहायता सरकार ने दी है उसके सही उपयोग को सरकार देख सके। मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर बहुत ज्यादा कन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये। यह निर्विवाद है कि जो कन्सेशन या सहायता सरकार दे उसको देखने का सरकार को अधिकार होना चाहिये। अब बात यह है कि हम उसके ट्रेड सीक्रेट्स को भी आउट नहीं होने दें तो इसके लिये भी हमने प्रावधान किया है। हम इससे न मालिक को और न इन्सपेक्टर को हैरेस होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सहायता दी जावे उसकी ठीक देख-रेख हो कि वह उसी काम में उचित रीति से उपयोग में लायी जा रही है या नहीं? इसके नहीं होने से बुरे परिणाम होंगे। हमारी मंशा है कि हम सहायता दें और इन्डस्ट्री जो लगाना चाहें वे लगा सकें, पर उसका दुरुपयोग हो यह भी नहीं हो सकेगा।

इसलिए मेरा बस यही निवेदन है कि फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसको वापिस ले लें और इसको पारित करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I would like to say a few words.

जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर भाषण दिया, खास करके जौहरी बाजार से जो माननीय सदस्य आये हैं और श्री माधोपुर से आये हैं

श्री भैरोंसिंह : राइट ऑफ रिप्लाई है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : This is a matterof explanation, I presume.

श्री पी. के. चौधरी : As a matter of explanation, Sir.

श्री भैरोंसिंह : Is there any personal charge ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes. There was one from Hon'ble member from Nasirabad.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I have already explained.

श्री श्रीभानसिंह : I will request the Chair to call for the proceedings and look into his peech.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : No,there is no personal charge. I had advised...

श्री उपाध्यक्ष : Speeches delivered before do carry some impression which need some clarification and, therefore, I allow him.

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा था मेरी मन्शा यह थी कि इन्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अच्छा एटमोस्फियर क्रियेट हो और जो लोग मेरे अमेन्डमेन्ट के खिलाफ बोले उसका कारण यह दिया था कि इन्कम टैक्स की चोरी होती है तो अब तक हम उनके बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स को चैक नहीं करेंगे तो यह कैसे मालूम हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : There is no personal explanation, Sir.

Page No.77

श्री पी. के. चौधरी : I am coming to that.

दूसरी, यह कहा कि लेबर्स को तनख्वाह कम देते हैं, उसकी चोरी हो जाती है इसलिए बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स चैक करना इस कानून के अन्दर जरूरी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनकी जानकारी बहुत हो सकती है लेकिन जहां इन्कम टैक्स का सवाल आता है इन्कम टैक्स वसूल करने के लिए इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट का इन्सपेक्टर उनकी बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स को चैक करता है। This is open to the Income-tax officer under the Incometax laws.

जहां तक लेबर के वेजेज का सवाल आता है जब आर्बिट्रेशन में या ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स वहां चैक होती हैं। तो मैं कह रहा था कि लोन लेने के बाद किसी आदमी ने १ लाख रुपया का इन्वेस्टमेन्ट किया है और उसने १० हजार रुपया लोन लिया तो इतने से रुपयों के लिए बुक्स का चैक कराना कोई पसन्द नहीं करेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १ लाख के अन्दर ५० हजार रुपया जो लगा हुआ है वह जनता का लगा हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : वह तो शेयरहोल्डर्स हैं। Shareholders have their own rights to check it.

उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट आती है, it is a printed document available to all. उनकी जो शंका है कि चोरी हो सकती है वह नहीं है लेकिन इससे हैरेसमेन्ट हो सकता है और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इन्डस्ट्रीज का डेवेलपमेन्ट चाहता है उसको चाहिए कि इस प्रकार का एटमास्फियर क्रियेट करें न कि इस प्रकार से भाषण देकर इन्डस्ट्रियल ग्रोथ के अन्दर रुकावट पैदा करें। मैं तो समझता हूँ कि राजस्थान के हित के लिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा था और जो माननीय सदस्य ने विरोध किया वह अपनी जानकारी की कमी वजह से किया है। अगर वह लेबर में काम करते तो जरूर मालूम होता। ट्रिब्यूनल के सामने उनका केस जाता है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउन्ट्स वहां पर चैक कराने पड़ते हैं। तो एक कहावत है, कम जानकारी बहुत डेंजरस होती है। जिस तरह माननीय सदस्य चाहते हैं वही कह देते है। बस इतना ही कहकर I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट श्री पी० के० चौधरी ने मूव किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

क्लॉज ७, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : Not moving ?

श्री पी० के० चौधरी : Not moving.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Now he has understood the oint, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ७ के अन्दर जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जो कि फीस लेवी करने के बारे में है उस संबंध में संशोधन रखा है कि किन किन परिस्थितियों में फीस चार्ज की जायेगी। उस दृष्टि से मैंने इसमें माननीय मन्त्री महोदय से क्लेरिफिकेशन चाहा है कि जो ऑडिट के बारे में कहा गया है; इन्सपेक्शन एण्ड ऑडिट, तो क्योंकि ऑडिट के बारे में कहीं भी ऊपर जिक्र नहीं आया तो फिर ऑडिट के बारे में फीस चार्ज करने का क्या सवाल है ?

श्री पी० के० चौधरी : Whether the Hon'ble member is moving the amendment or not ? That I will like to know.

श्री उपाध्यक्ष : That is treated as moved.

श्री पी० के० चौधरी : But how far this amendment s consistnte with the speech which he has given previously ?

श्री श्रीभानसिंह : He has never been inconsistent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is absolutely a different matter. One can plead that there should be fees and simultaneously he can also plead for the......

श्री पी० के० चौधरी : There is no co istency in it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is no inconsistency My learned friend should understand first and should not try to get support or rather his friends' support.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें जो फीस लगाने का प्रावधान है धारा ७ में, मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया कि फीस नहीं लगानी चाहिए। आप फीस लगा सकते हैं जो आप सर्विसेज रेण्डर करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में जो ऑफिसर्स होंगे उनकी सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज इन्डस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, इन्डस्ट्रीज को एडवाइज करने के लिए ले सकते हैं, उनके काम को रेगुलेट करने की दृष्टि से कोई इन्सपेक्शन करते हैं तो आप स्पष्ट कीजिए कि जितना भी व्यय इन्सपेक्टोरेट में लगेगा वह इन्डस्ट्रीज के ऊपर लैवी होगा या जब कभी भी इन्सपेक्टर्स इन्सपेक्शन के लिए जायेंगे तो जैसे कि डॉक्टर की फीस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होती है, छोटे डाक्टर १० रुपये, बड़े डाक्टर की २५ रुपये, उसी तरह से इन्सपेक्टर यदि इन्सपेक्शन करेगा तो उसकी परविजीट के हिसाब से इन्सपेक्शन फीस प्रेस्क्राइब करें। क्योंकि यह एम्बीगुएटी सारे क्लॉज में है इसलिए मैंने पहले भी स्पष्टीकरण चाहा था। माननीय मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि इन्सपेक्शन और ऑडिट की फीस क्या है और ऑडिट जो है वह ए० जी० के जरिये करायेंगे या लोकल ऑडिट फण्ड से करायेंगे? इन्डस्ट्रीज को जितनी हैवी ग्रान्ट दी जाने वाली है उसके लिए जरूरी है कि प्रोपर अकाउन्ट का चैकिंग रहे। अगर ऑडिट की फीस चार्ज करना चाहें तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि ए० जी० को रखना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल में कुल ८ खण्ड है और उन आठों खण्ड को मैंने पढ़ा है उनमें किसी भी खण्ड में सब्सटेन्शियली यह नहीं आया है कि आप ऑडिट भी करा सकते हैं और जब कि 'ऑडिट' नाम का शब्द ही ऊपर कहीं नहीं आया तो फिर ऑडिट की फीस चार्ज करने का सवाल पैदा नहीं होता है। आपने इन्सपेक्शन एण्ड ऑडिट कहीं नहीं लिखा है। अगर ऑडिट की व्यवस्था नहीं है तो फिर ऑडिट के लिए फीस चार्ज करने का सवाल खड़ा नहीं होता है। So those words 'Inspection and audit' are redundant, so far as this particular clause is concerned. With these words, I move my amendment.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऑडिट के बारे में कहा गया है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, क्योंकि दूसरे किसी भी क्लॉज के अन्दर इसका जिक्र न आया है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इन्सपेक्शन और ऑडिट; ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं और मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि किस तरह से ऑडिट हो सकता है। एक दृष्टान्त उदाहरण के रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि किसी को लोन दिया है या और कोई दूसरी भी फेसिलिटी हमने दी है, लेकिन उसका हमने इन्सपेक्शन करवाया और उसके एकाउन्ट्स ऑडिटेड नहीं हैं और उससे पता नहीं चलता है कि दरअसल में यह स्थिति है कि किस प्रकार से कहां से आया और किस प्रकार की स्थिति है तो खुद ऑडिट करा सकते हैं, इन्सपेक्शन करा सकते हैं और उसका ऑडिट भी करा सकते हैं। जहां पर ऑडिटेड एकाउन्ट्स, मान लें कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या दूसरी ऐसी संस्थाओं से, जो कि मान्य संस्थाएं हैं उनसे, ऑडिटेड एकाउन्ट्स होंगे तो मन्जूर कर सकते हैं। अगर मान लिया जाये कि ऐसी परिस्थिति है कि ऑडिटेड एकाउन्ट्स नहीं हैं तो हम किसी भी आदमी को ऑडिटर मुकर्रर कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पॉवर्स कहां हैं? एक एक क्लेरिफिकेशन आप कर दें कि आपने जो यह एक्ट बनाया था, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक्ट उस एक्ट में इस तरह का प्रोविजन रखा था और बाद में उसको बदल दिया है और बदल कर यह प्रोविजन रखा है :

"The accounts of the Board shall be audited by the Chartered Accountant or by a person as the State Government may direct."

जब तक आप इसमें इस प्रकार का प्रोवीजन नहीं रखते हैं तो आपको ऑडिट कराने का अधिकार कहां से मिलेगा? आखिर अधि-

(श्री भैरोंसिंह)

कार मिलेगा तो इस कानून के जरिये ही। इस एक्ट में ऑडिट कराने के पॉवर्स नहीं है उस वक्त तक the word Audit' is redundant। इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एप्रिहेन्शन आपने बताया कि ऑडिट करवाने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है और सरकार किसी को नियुक्त करके ऑडिट वगैरह करायेगी तो किस खण्ड के मातहत ? कोई भी आदमी उसको बन्द कर देगा कि आप नहीं कर सकते हैं। आपने प्रोविजन रखा है इन्सपेक्शन का, तो इन्सपेक्शन पर्पजेज के लिए वह अलाऊ कर देगा लेकिन ऑडिट पर्पजेज के लिए अलाऊ नहीं करेगा, अपने एकाउन्ट्स नहीं देगा, स्टेटमेंट पेश नहीं करेगा। वैसी स्थिति में कठिनाई पैदा होगी। उस कठिनाई को रिमूव करने के लिए ऑडिट करवाने के पॉवर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए एक अलग क्लॉज में। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑडिट करवाने के लिए अधिकृत होगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जो माननीय सदस्य ने तर्क दिया है; मैं समझता हूँ कि इंडियन कम्पनीज एक्ट की तहत बनी हुई संस्थाएं हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी विचार किया जाता तो मैं समझता हूँ कि यह तर्क उठता ही नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इंडियन कम्पनीज एक्ट में यह है कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज की जितनी भी कन्सर्न्स हैं उनको बैलेन्स शीट भेजनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, but what about those which are not registered under the Indian Companiss Act? में इसका विरोध नहीं करता हूँ लेकिन जब तक पॉवर नहीं होगी, जब तक पॉवर राज्य सरकार अपने हाथ में इस बारे में नहीं लेगी, तब तक ऑडिट फीस का सवाल नहीं खड़ा होता है। आप पॉवर लें उसका विरोध नहीं करता हूँ। जब तक पॉवर नहीं है तब तक यह फीस कैसे लगा देंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि इन्सपेक्शन उसका किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : These are two different things.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि इन्सपेक्शन और ऑडिट दोनों चीजें हैं अलग अलग। इन्सपेक्शन मान लें कि अकाउन्ट्स बुक्स का किया जाता है और वह उसका ऑडिट करना चाहें तो There is no difficulty.

श्री भैरोंसिंह : करने नहीं देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सब-क्लॉज (२) में लिखा है :

"The State Government or such officer may inspect such books of accounts or documents produced and take extracts therefrom......"

और आप यहां पर लिखते है :

'and get the accounts audited."

आप देख लें कि, you cannot get the accounts audited. You can simply take the extracts.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : To err is human but to persist an error is...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें ऑडिट कराने की दृष्टि से उनकी बुक्स ऑफ अकाउन्टस होंगी वे सही तौर पर हैं या जो सहायता दी गई है वह ठीक इस्तेमाल की गई है या नहीं, अकाउन्टस बुक्स ठीक नहीं हैं तो ऑडिट करा सकते हैं और फीस चार्ज कर सकते हैं, we shall have power to audit also.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This clause refers to that......

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि इन्सपेक्शन और ऑडिट में कोई अन्तर नहीं है। इन्सपेक्शन के नाम पर पॉवर्स दी हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्सपेक्शन और ऑडिट के बीच अन्तर मैं जानता हूँ और आपसे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस क्लॉज के रहने से दूसरी जरूरत नहीं है कि दूसरे क्लॉज के अन्दर पॉवर्स लेना चाहिए। सरकार को अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ७ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ पर जो मैंने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं वे इसलिए रखे हैं कि क्लॉज ८ में रूल मेकिंग के बारे में सरकार को अधिकार दिये हैं। इसमें एक तो सब क्लॉज (१) में लिखा है कि "or may be made;" इसको डिलीट किया जाय। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का यह क्लॉज बनाया गया है उसमें इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है और इतना मात्र पर्याप्त है :

"The State Government may from time to time make rules consistent with this Act, for the purpose of carrying out generally the provisions thereof and regulating any particular matter thereunder which requires" to be prescribed or in respect of which rules are required to be made"

मैं समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त है और "or may be made" जो शब्द लिखे हैं वे बिल्कुल रिडन्डेन्ट हैं। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, रूल मेकिंग के बारे में जो क्लॉज है मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसमें यह जो लिखा है, for the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

purposes of carrying out general provisions thereof... इस प्रकार की परिभाषा का प्रयोग हमें उस खण्ड में नहीं करना चाहिए जो खण्ड रूल मेकिंग के लिए राज्य सरकार को पॉवर्स देती हो। यह मैं क्यों कहता हूँ ? इसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है जो कि ४ मार्च, १९६१ को सदन में प्रस्तुत की गई है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पृष्ठ २ पर लिखा गया है :

"The Committee have noted that the Government has generally taken power to frame rules and regulations of far reaching importance by inserting a general provision in the Act to the effect that the Governnent may make rules to carry out the purposes of the Act."

इस प्रकार से जो ये पॉवर्स ली जाती हैं जैसा कि उन्होंने क्लॉज ८ में लिया है, "The State Government may from time to time make rules consistent with this Act, for the purposes of carrying out generally the provisions thereof..." यह जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां किया गया है, मैं समझता हूँ कि कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने जो सारे रूल्स एग्जामिन किये हैं उसको अच्छे ढंग से विचार करने के बाद यह निश्चित राय प्रकट की गई है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग राज्य सरकार को जो रूल मेकिंग पॉवर्स दिये जाते हैं उन क्लॉजेज में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इन शब्दों के बारे में निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस क्लॉज में नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार से रूल्स मेकिंग के बारे में क्लॉज रखा है उसके संबन्ध में जो भाषा है उसके लिए कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने अपनी रिपोर्ट मे यह कहा है :

"To give effect to the views expressed adove, a reference was made to the Government and the matter is reported to be under its active consideration. The Committee feel that the Government will be well advised to consider the following model clause for incorporation in the Bills to be introduced in future :"

And that recommendation of the Subordinate Legislation Committee with regard to the power to make rules under the clauses that are to be introduced in the bills reads as under :

"All rules made under this section shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature, as soon as possible, after they are made and shall be subject to such modifications as the State Legislature may make during the Session in which they are so laid or the Session immediately following".

इस प्रकार का एक मोडल क्लॉज रूल मेकिंग पावर के सम्बन्ध में कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने सजेस्ट किया है। मैं समझता हूँ कि उस क्लॉज में किसी प्रकार का प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती और क्लॉज ८ में जो रूल मेकिंग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पॉवर राज्य सरकार को दी गई है मैं समझता हूँ कि कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने सिफारिश की है उसी प्रकार का मोडल क्लॉज ८ की जगह पर सब्स्टीट्यूट कर लेना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri P.K.Chaudhry. Not present. the Hon'ble Minister will please make reply.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने क्लॉज ८ में may be made के लफ्ज हटाये जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन आपका संशोधन इन दो लफ्जों के हटाने के बारे में था लेकिन इसके साथ साथ सारी क्लॉज में एक दो इस प्रकार का जिक्र किया गया है उसके बारे में बहस की है। मैं समझता हूँ कि न तो ऐसा कोई संशोधन था कि जिसमें इसका प्रावधान करने की बात हो। आपका जो संशोधन है वह सिर्फ इन दो लफ्जों को हटाये जाने के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस एक्ट में केवल क्लॉज को देखने से साफ तौर पर प्रतीत होता है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दरअसल में पेटर्न ऑफ एसिस्टेन्स जो आज की चेंजिंग कन्डीशन्स के अन्दर हैं जिसके अन्दर हम कोई भी जितने भी कन्सेशन्स दे रहे हैं कल और भी कुछ कन्सेशन्स दिये जा सकते हैं।

(३ म. प.)

ये इस प्रकार की बातें हैं जिनके लिये हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे या उनमें समय समय पर परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। इसमें इस प्रकार की जो बातें लिखी हुई हैं उनसे 'may be made' रहना आवश्यक है। हो सकता है कि सेशन न हो और हमें रूल्स बनाने पड़ें तो ये शब्द जरूरी होंगे। मैं समझता हूँ :

'which require to be prescribed or in respect of which rules are required to be or may be made......'

और फिर उसके बाद हो जाय तो उसका प्रोसीजर है कि रूल्स को इतने समय में हाउस की टेबल पर रखना पड़ेगा और फिर हाउस उस पर विचार कर सकता है और जिस प्रकार से हाउस तय करे वैसे लागू होगा। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसे वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ८ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, there is no quorum

Page No.84

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

in the House. I suppose, if we pass a clause without quorum it will have no meaning.

श्री उपाध्यक्ष : The point should have been raised before if the Hon'ble member had the knowledge. Nobody else had this knowledge. The defect is curable now and if it exists as a defect. Yes please, proceed.

(विराम)

क्लॉज १.

Please ring the quorum bell.

(गणपूरक घण्टी)

क्लॉज १, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १ जो इस विधेयक का है उसमें मेरा एक संशोधन प्रस्ताव है और वह संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :

"Substitute the words 'atonce' by the words 'on 25th of April, 1962.'

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कानून हम सदन में पारित करते हैं उसमें जो सबसे बड़े महत्व की बात है वह यह है कि वह कानून कब से लागू होता है । हम कोई भी कानून पारित कर दें लेकिन वह कानून यदि जल्दी या देरी से लागू होगा उसी प्रकार से उसका महत्व होगा । इस सदन में जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया और जब इस पर विचार हुआ सदन में तो सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए नाना प्रकार की बातें कहीं और उनमें सबसे बड़ी बात कही गई और सरकार पर आरोप लगाया गया, जो सही था, वह यह था कि उद्योगों की सहायता के नाम पर राजस्थान सरकार चुनाव के समय पर अपने चुनाव कोष में पैसे लेना चाहती है । जो चार्ज लगाया गया वह बिना प्रमाण के नहीं होगा । इसके संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यह बात सही है । जैसा कि कल माननीय मंत्रीजी ने सदन में विचार रखते हुए कहा था कि हम पिछले ९ साल से काम करते आ रहे हैं, पर कोई कानून नहीं था और बिना कानून के उद्योगों को सहायता देते चले आ रहे हैं । मैं उनसे पूछूंगा कि बिना कानून के उनको सहायता देते चले आये, उनकी मदद करते चले आये, गैर-कानूनी ढंग से सहायता देते रहे तो उसी प्रकार से आप और ५-६ महीनों तक देते जाइये । अभी उस पर सदन की छाप क्यों लगाना चाहते हैं, उस पर कानून का पर्दा क्यों डालना चाहते हैं, सदन की मोहर क्यों लगाना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार समझती है कि सन् ६२ में आम चुनाव आ रहे हैं । राजस्थान में १० साल से सुनते आ रहे हैं कि यहां पर इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की विशेष योजना है । कोई भाषण या उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं होता जिसमें कि यह बात नहीं कही जाती हो । मैं विधान सभा में पिछले चार साल से सुनता आया हूँ हर बार, चाहे राज्यपाल का भाषण हो, चाहे राजस्थान की पंच वर्षीय योजना पर विचार करते हों, हर समय राज्य के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री

Page No.85

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस बात की चर्चा किया करते हैं कि राजस्थान ने १० साल में प्रगति की है, औद्योगीकरण में प्रगति की है, औद्योगिक विकास बहुत बड़ा हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राजस्थान में आमंत्रण दिया गया है, उनको सहूलियतें दी हैं, रियायतों की घोषणा की है, उनको करमुक्त करने का प्रावधान किया है। इस प्रकार के विचार सुनते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ, इस सब के बावजूद भी जिस प्रकार के उद्योग यहां पनपाने चाहिये थे वे नहीं पनपे। बावजूद सब बातों के क्यों नहीं पनपे, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता।

हम कलकत्ता गये, मुख्य मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी कलकत्ता गये, राजस्थान के जितने पूंजीपति हैं उनसे मिले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की औद्योगिक नीति कहां तक स्पष्ट है, इन्डस्ट्रियलाइजेशन की पोलिसी कहां तक वाजिब है, कहां तक वह इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को आकर्षित कर सके हैं, यह पता नहीं है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पूंजीपति राजस्थानी हैं। एक एक शहर और एक एक कस्बे की जानकारी और सूचना मिली है. अकेले नवलगढ़ में १६ करोड़पति हैं, अकेले कस्बे में १६ करोड़पति हों और पूरे राजस्थान में सैकड़ों करोड़पति हैं, जो सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी मशहूर हैं और जिनकी छाप है, सारे उद्योगों का नियंत्रण उनके हाथ में है, आप हिन्दुस्तान के उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक चले जायं, बंगाल में, मद्रास में, कन्याकुमारी तक मैं समझता हूँ, हिन्दुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां राजस्थानियों का उद्योग नहीं चलता हो। लाखों रुपयों का धन्धा चलाते हैं, करोड़ों रुपये उन्होंने धंधों में लगा रखे हैं, किसी ने हिन्दुस्तान मोटर्स जैसे कारखाने खोल रखे हैं, किसी ने और फैक्ट्रीज खोल रखी है, पेपर मिल्स खोल रखी हैं। बिड़लाजी ने आज जितनी इन्डस्ट्रीज बाहर लगा रखी हैं उनका दसवां हिस्सा भी राजस्थान में नहीं है। जिसके लिए जयपुर की भूतपूर्व सरकार ने इतने कन्सेशन्स दे रखे थे, उसके बावजूद भी उनकी एक जो इन्डस्ट्री जयपुर में चलती है वह भी उनके हिसाब से घाटे में चलती है। तो मैं कहूँगा राजस्थान सरकार ने उद्योगपतियों को ज्यादा रियायतें देने की इच्छा जाहिर की है लेकिन उन्होंने भी मांग की है, शिकायत की है, मांग उनके पास होगी लेकिन शिकायतें हमारे पास भी हैं, वे कहते हैं कि राजस्थान में उद्योग या फैक्ट्रीज लगा कर क्या करें.......

श्री उपाध्यक्ष : I think this could have been appropriate on the third reading. we are discussing the clause.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस दृष्टि से भूमिका बनाई है। आखिर संशोधन क्या रहा है, इतना छोटा संशोधन एक तारीख के बारे में है; at once के बजाय २५ अप्रेल को लागू करने का सवाल है। सारी बात इस दृष्टि से शुरू हुई कि उद्योगपति इस बात की शिकायत करते हैं। राजस्थान में जो सरकार से कर्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं; सहायता लेते हैं. राजस्थान सरकार उसके सम्बन्ध में कुछ पर्सेन्टेज अपने इलेक्शन फन्ड की दृष्टि से उनसे डिमान्ड करती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, I challenge

Page No.86

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इस तरह के स्टेटमेंट बराबर इस हाउस में दिये जा रहे हैं बगैर प्रूफ दिये, यह गलत है, सब्सटेन्शियली गलत है, मैं उनसे इस बात........

श्री उपाध्यक्ष : I invite your attention that this point raised is not a point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Whatever it may be. उसे अनचैलेंज्ड नहीं जाने देना चाहता। इस तरह की बात जब कभी लाई जाय, इस तरह के चार्ज जब लगायें पार्टी के ऊपर, तो उसको मय सुबूत के लगायें। उसकी हाउस में इन्क्वायरी हो और अगर कोई माननीय सदस्य झूठ बोले तो उसे सजा दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि नाथद्वारा के मामले की जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, आप सुन लीजिये, जल्दी क्यों करते हैं, ५० वर्ष के आदमी को जोश आता है

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक लफ्ज का अमेंडमेंट है और गाना इतना लम्बा हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वह मैं अपनी बात नहीं कहता, किसी गवाह की बात नहीं कहता, किसी साधारण आदमी ने नहीं कहा, लेकिन राज्य के मुख्य मंत्री ने कहा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अभी की बात कर रहे थे। अभी क्या किया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९५७ में चुनाव हुए थे, उस समय डालमिया को सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए राज्य के कोष मे ६० लाख रुपया कर्ज दिया गया और उन्होंने स्वीकार किया है कि आम चुनाव के समय चुनाव के लिए उनसे ढाई लाख रुपया लिया। यह उन्होंने स्वीकार किया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई) : Is it relevant ?

श्री उपाध्यक्ष : I will not treat this part of the speech as relevant to the issue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने कहा है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उन्होंने कहा है कि उसके बेसिस पर बोलना चाहता हूँ, दूसरे मैं यह कहना चाहता हूँ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is only on account of his excitement Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रुपया कांग्रेस को दान ...

श्री उपाध्यक्ष : I have disallowed that portion of that speech.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sorry. Sir उसके सम्बन्ध में नहीं है। नाम के लिए कहा है, इसको तो राजस्थान की सारी जनता जानती है

Page No.87

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उस घटना पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि सदन के सदस्य उस सारी बात को जानते हैं। मैंने इन सारे वातावरण, सारी परिस्थितियों में इस दृष्टि से सुझाव प्रस्तुत किया था कि हम कानून लागू ही करना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है कि हम उस कानून को २५ अप्रैल, १६६२ से लागू कर दें ? २४ अप्रैल, १६६२ को इस विधान सभा की जिन्दगी कानून के हिसाब से, कॉन्स्टीट्यूशन के हिसाब से खत्म हो जायगी। उसके बाद नई सरकार बनेगी, नया मन्त्रि-मंडल बनेगा, नई विधान सभा बनेगी, नया सब कुछ होगा और उसके बाद नया कानून भी लागू हो जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अब ये सपोर्ट कर रहे हैं। अपना XXXX अभी विरोध कर रहे थे. अब कह रहे हैं ६२ में लागू हो जाय, क्या बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: The Hon'ble member has, of course, been degraded from the Parliament to the Assembly, but he should not be degraded so much as regards the language.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is not unparliamentary.

यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं लगेगा कि आप अपने शब्दों से फिर रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We can have friendly retorts but we should not go to that length.

श्री उपाध्यक्ष : I treat this expression as unparliamentary.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : explanation ?

श्री उपाध्यक्ष : The expression XXXX which you have made is not parliamentary.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उसको विद्ड्रा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is the language to be used by legislators but by Tongawalas.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : How about this language, Sir ? "Tongawalla's language' which the Hon'ble member is using ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस दृष्टि से शब्दों से प्रेरित होकर इन सारी परिस्थितियों में मैंने यह संशोधन रखा है। राजस्थान में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं ही और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही नौ साल तक गैर-कानूनी ढंग से करते आये हैं, तो जिस तरह से काम चला है वह चलता रहेगा, और २५ अप्रैल १६६२ को यह कानून लागू हो

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये

Page No.88

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जायगा। उसका यह असर होने वाला है कि इस कानून के तहत जिनको प्रोमिसेज देने की बात हो सकती है, जिनको शैल्टर और प्रोटेक्शन देने की बात हो सकती है, चुनाव के कन्सीडरेशन से इन्डस्ट्रियलिस्ट और कैपिटेलिस्ट्स द्वारा पार्टी के फंड में पैसा देने की बात हो सकती है, तो वे कह सकते हैं किन्हीं भी सम्बन्धित अधिकारी को, किन्हीं भी सम्बन्धित व्यक्तियों को कि यह कानून लागू नहीं है, सन् ६२ के अप्रैल में लागू होगा। विधान सभा ने पास कर दिया है कि ६२ के अप्रैल में लागू होगा। उस वक्त आपके प्रोमिसेज एनकेश हो सकेंगे या नहीं, या आप आ सकेंगे या नहीं ? इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इन्डस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट्स आपकी कांग्रेस पार्टी को एक्सप्लोइट कर सकेंगे, जिसकी आशंका व्यक्त की गई है, मैं उस सम्बन्ध में समझता हूँ कि इससे आप बच सकेंगे। इस आशय के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है। जो सहायता आज जिस ढंग से दी जा रही है, उसमें अड़चन नहीं आने वाली है, वह दी जा रही है और दी जा सकेगी और कुछ समय बाद, नया चुनाव होने के बाद ६२ में नया मंत्रिमंडल गठित होगा, नये उद्योग मंत्री आयेंगे, उनके संरक्षण में नया कानून राजस्थान में लागू होगा, नये उद्योगों की स्थापना हो जायगी। इस दृष्टि से ६२ से यह कानून लागू हो, इस प्रकार के संशोधन प्रस्ताव को मैंने रखा है और इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। इस संशोधन को रखते हुए जहां यह कहा गया है कि सिर्फ कुछ शब्दों का मैं हेर फेर करना चाहता हूँ और उसका मकसद यह है कि जो विधान सभा इस तरह के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये उसको कोडीफाई करके, सिस्टेमाइज करके उद्योगों के लिए प्रयत्न कर रही है, उस कानून को १९६२ में लागू कर दिया जाय। यह एक ऐसी कल्पना है जो कल्पना कभी किसी असेम्बली में नहीं आयी है, ऐसा संशोधन किसी असेम्बली में नहीं आया है कि हम महसूस करते हैं और सरकार या विधान सभा यह महसूस करती है कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो कानून है, वह अच्छा कानून है यह हमारे इन्डस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ायेगा और हम लोग उद्योग के क्षेत्र में औद्योगीकरण की ओर दुगुने कदम से चलेंगे, राजस्थान बढ़ेगा, उसके एक सदस्य इस तरह का संशोधन सदन में पेश करें और वह भी किसलिए ? क्या ऐसा संशोधन देकर राजस्थान की जनता की प्रगति को रोका जा सकता है ? मैं समझता हूँ, इस बिना पर उन्हें कुछ कहना था सरकार को, उनको कुछ चर्चायें चलानी थीं और उसके लिए कुछ विचार-विवेक पैदा करना था। उनका मकसद यह है कि यहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन न हो, राजस्थान सरकार इस तरह का कदम न उठाये जिससे जनता की अपनी माली हालत सुधरे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा कर दूसरे प्रान्तों के आगे बढ़ जाये।

आॅल इंडिया

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रिकमन्डेशन्स हैं, उनके अनुसार राजस्थान सरकार अपने इस कानून को लाई है और हमें खुशी है कि इस जरूरी कानून को यहां पास करके राजस्थान में लागू करने के लिए इस सदन का हर सदस्य चाहता है कि अपनी ड्यूटी को आखिरी वक्त में इस तरह अन्जाम दें। वहां एक सदस्य इस तरह का संशोधन लाता है। मैं समझता हूँ कि आपकी जिस तरह की नीयत है, वह राजस्थान की जनता को पसन्द नहीं आयेगी। मैं बतलाऊंगा कि उनका पर्दा-फाश हो गया है। जिस तरह की उनकी प्रतिक्रियावादी बातें हैं उनसे पता चलता है। वे यह समझते हैं कि हम इस तरह रोड़े बनते जायं, आगे बढ़ने नहीं दें। आज जो इन्डस्ट्रीज हैं, जिनकी हम जांच नहीं कर सकते, उनकी जांच के लिए कुछ कानून लागू कर रहे हैं तो वे चाहते हैं कि इस तरह का नियंत्रण और बन्धन नहीं लगाया जाये। वे उनके केस को प्लीड करते हैं और उससे पहले कहते हैं कि जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह केपिटलिस्टस के फेवर में था। जहां इस तरह का संशोधन रखना चाहते हैं वहां दूसरी तरफ संशोधन रखते हैं तो लगता है, इससे बड़ी उनकी हिमायत नहीं हो सकती, ये कोकोडाइल टीअर्स हैं। आज इस तरह की बात आती है, तो जनता उसको समझती है, जनता के पास इस तरह सोचने का दिमाग है कि आपने पांच मिनट पहले क्या कहा, दस मिनट बाद में क्या कहा। आपने एक ही पेशा बना रखा है कि किसी तरह से भी जनता में इस तरह का विचार विवेक पैदा किया जाय कि वे आंखों में मिर्चें डाल कर सिर फोड़ लें। पर आप कभी उम्मीद मत करिये कि राजस्थान की जनता कभी इस तरह की चीजों से आगे बढ़ सकती है। आप सचाई की बात करें तो कम से कम आपकी भी सुनवाई हो जायगी, पर आपकी नीयत साफ हो, ईमान साफ हो तभी जनता पर असर हो सकता है।

इस तरह इस सदन में चाहे जब, चाहे जितने लोग एग्जामिन करेंगे, जब इस संशोधन की बात जनसंघ की तरफ से रखे जाने की आयेगी तो जनता का एक एक व्यक्ति कहेगा कि ये लोग प्रतिक्रियावादी आदमी थे, जो राजस्थान की जनता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, जनता के पैरों में बेड़ियां डालना चाहते थे। लेजिस्लेशन तो हम पास करें और आने वाले इसको लागू करें, यह आज तक कहीं हुआ है? जिसको हम सही समझते हैं उसको उसी वक्त करते हैं....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपका "Khadi, thy name is scandal." क्या है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह भी बताता हूँ, वह भी सुनाता हूँ। तो आज यह है कि एक काम करते हैं तो उसका विरोध करते हैं, स्केन्डल कह कर विरोध करते हैं, उसी को कोडिफाई करते हैं, स्केन्डल को खत्म करते हैं; तो हम ही कांग्रेस वाले कहते हैं कि स्केन्डल किया और हम उसको ठीक करते हैं तो उसका ये विरोध करते हैं। क्या आप उस स्केन्डल में शामिल होना चाहते हैं? आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सदन की बेइज्जती है कि हम दिन भर मेहनत करके जिस कानून को पास करना चाहते हैं उसके लिये आप कहते हैं कि सन् १९६२ में लगाइये। इसमें कोई शुबहा नहीं कर सकता कि इस कानून से इन्डस्ट्रीज बढ़ने वाली हैं, इसके लिये कुछ लोगों ने आपके पास डेपुटेशन पेश किया होगा क्योंकि इसके सिवा और कोई काम आपके पास नहीं, आपके पैर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इलेक्शन में जम नहीं रहे हैं अपने पैरों को जमाने के लिये लोगों को गुमराह करें इसके सिवाय और कोई काम आपके पास नहीं। ऐसे लोगों की इस तरह वकालत करना चाहते हैं, न आप छुपे आते हैं और न पर्दे में बैठते हैं, हम आपको उससे निकालेंगे और पर्दा-फाश करेंगे। यह एक्ट लागू होगा और सारा सदन उनके अमेंडमेंट को गिरायेगा। ये वापिस नहीं लेंगे, यह भी मैं जानता हूँ। यह सदन इस अमेंडमेंट की खिलाफत करके इसको गिरायेगा और राजस्थान की इन्डस्ट्रियल प्रगति है उसको आगे बढ़ने में सहयोग देगा।

श्री भैरोंसिंह : यह भाषण ड्रामेटिक पर्फोर्मेंस बिल पर था या इस बिल पर ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके भाषण ड्रॉमेटिक पर्फोर्मेंस बिल पर होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Minfster tincharge to reply.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं तो यह अर्थ समझता हूँ कि इस आने वाले चुनाव के बाद में इसका अमल किया जाना चाहिये और इसकी दलील जो दी गई वह यह है कि इस एक्ट के लागू कर देने से कांग्रेस मजबूत बनेगी, कांग्रेस को चुनावों में ज्यादा सहायता मिल सकेगी और इसी वास्ते यह विधेयक यहां लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनावों के होने में अभी ६ महीने बाकी हैं, कांग्रेस पहले चुनाव में विजयी हुई, दूसरे चुनाव में विजयी हुई और तीसरे चुनाव भी आने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस विजयी होने वाली है, इसमें दो राय नहीं, आपका दिमाग भी साफ होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : राजा-महाराजाओं को ले रहे हैं, इसीलिये जीत रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : वे आ गये तो ये बैंचेज सूनी पड़ी रहेंगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो सहायता इस विधेयक से दी जा रही है उस प्रकार की सहायता सरकार पहले से दे रही है। यह भी कहा गया कि जब इस प्रकार का काम हो रहा है तो इसको विधेयक के रूप में लाने की क्या आवश्यकता हुई ? मैं अर्ज करूं कि यह तो हमारे खिलाफ पड़ता है, हम बगैर किसी कानून के गैरकानूनी तरीके से काम कर सकते थे, उसको हम रेगुलर वे में, कानूनी रूप से करना चाहते हैं तो इससे हमारी स्पष्ट मंशा है कि किसी तरह का अनुचित लाभ कांग्रेस गवर्नमेंट उठाना नहीं चाहती। यह आपका भ्रम है, आपका भ्रम स्वाभाविक भी हो सकता है, इसमें मैं कोई ताज्जुब नहीं समझता क्योंकि इसके सिवाय आपके पास और कोई कार्यक्रम भी तो है नहीं। देश को आगे ले जाने का विचार नहीं है, आप ऐसी ही बातें ला सकते हैं। पर मैं निवेदन करूंगा कि मैंने आज तक इस प्रकार का संशोधन नहीं देखा है। इस प्रकार का तो देखा कि या तो एक्ट उसी समय लागू हो जाता है जब पास होता है, एक्ट बन जाता है या डेट ऑफ़ नोटिफिकेशन गजट में शाया हो जाती है तभी से लागू हो जाता है। यह नहीं देखा कि आज से ६ महीने बाद की तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं

Page No.91

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

समझता हूँ, यह न तो इस सदन की परम्परा के अनुकूल होगा और न कहीं ऐसा देखा ही गया है, यह बड़ी अजीब चीज नजर आयेगी।

जहां तक कांग्रेस की सहायता का सवाल है, जो इसकी नीति में विश्वास करते हैं वे बराबर सहायता देते रहे हैं और देते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। न किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट से कांग्रेस चुनाव लड़ने के सिलसिले में सौदेबाजी करती है। ऐसा कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है न करेगी, न अनुचित लाभ उठाना चाहती है। जिसको कांग्रेस के सिद्धान्तों में विश्वास होगा वे कांग्रेस को सहायता देंगे और देते आये हैं। इसलिये मेरे मित्र इस संशोधन को वापिस ले लें, क्योंकि यह अजीब सा संशोधन रखा है जो पहले कभी नहीं हुआ है और न देखने में आया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकर किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, और प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। यह जो बिल सदन के सामने लाने की सरकार ने मेहरबानी की है कि किस किस किस्म की इन्डस्ट्रीज को राज्य की तरफ से इस बिल द्वारा सहायता दी जाय और श्री सतीशचन्द्रजी ने संशोधन रखा था उसको लेकर काफी गरमागरम बहस सदन में हुई और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में काफी दिलचस्पी ली और इस बारे में उनसे काफी टकराये और धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य के बारे में मैंने कुछ सुना नहीं। मैं कुछ सुन नहीं सका, इस बारे में वे कुछ बोले या नहीं बोले......

श्री उपाध्यक्ष : धौलपुर के माननीय सदस्य तो इस तस्वीर में आते ही नहीं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : कौन कौन सदस्य बोले, यह भी आपको बताया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहीं संदेह हो तो बता दें।

श्री किशनाराम : तो माननीय सदस्य सतीशचन्द्र ने जो बातें कहीं उन पर नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने काफी कटु नजर उठाई और कहा कि इस तरह के आप लांछन लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में पैसा लेने के हिसाब से कुछ करती

(श्री किशनाराम)

है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूँगा कि राजस्थान की जनता जानती है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हमेशा अधिवेशन में भाषण सुनने के लिये आते हैं और स्पीचेज सुनते हैं और जो भी कानून पास करते हैं उनको भी देखते हैं। कुछ लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं और कुछ लोग राजपत्र में छपते हैं जब देखते हैं और कुछ लोग उस कानून को जब जानते हैं जब वह जनता में जाकर अमल में आता है। तो इस बात पर नाराजगी प्रकट करना कि पैसे कहीं से लिये नहीं जाते, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। हम हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ती है। एक मन्त्री ने कहा कि उस तरफ बैठने वाले लोगों के पास पैसा कहां, उनके पास पैसा इकट्ठा करने का कोई चारा नहीं है। इसके लिये यह कहा गया कि इसकी तारीख निश्चित कर ली जावे और उसके पहले इस कानून को लागू नहीं किया जावे। मैं इसके बारे में कहूँ कि इस तरह के बिल कोई मामूली बिल नहीं हैं। मगर इसकी गहराई तक पहुंचना है और इसको देखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि ५ साल इस सैशन के हो गये और ५ साल पहले समाप्त हो गये, इतने अर्से में सरकार के कभी भी दिमाग में नहीं आया कि किस तरह से उद्योग-धन्धों को पनपाया जावे और आखिरी समय में जब ६२ का चुनाव सामने आ रहा है तब ऐसे बिल को लाना कहां तक उचित है? इस बिल के बारे में कई शंकाएं होती हैं। मैं यह कहूँ कि यह बिल खास मन्शा से लाया गया है। यह इस मन्शा से लाया गया है कि राजस्थान में उद्योग-धन्धों को सहायता देने के नाम पर धन कुछ ही लोगों के हाथ में पड़ेगा। सरकार की तरफ से उनको सहायता देने का जो रास्ता रखा है उससे बड़े बड़े लोगों को सहायता दी जावेगी और गरीब लोग धन्धा चलाने के लिये सहायता मांगेंगे तो उनसे बात तक नहीं की जावेगी। यह पैसा पार्टी के लोगों को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिये गवर्नमेंट की तरफ से एड देना, यह सभी सदस्य समझते हैं कि किनको मदद मिलेगी और दूसरे भी समझते हैं कि यह बिल इसलिये आया है कि आगे चुनाव लड़ने वाले लोगों की जमात है, मजमा है उसको फायदा पहुंचेगा। इन्डाइरेक्ट रूप से कौन नहीं समझता है। इसलिये यह लांछन लगाना कि हम डरने वाले नहीं हैं मगर मैं यह कहूँगा कि आपकी धमकियों से हम भी डरनेवाले नहीं हैं। आप चन्दा लेकर पैसा इकट्ठा करते हैं। जनता आपको देखती है। अब जनता आपको पहचान लेगी कि किस तरह से आप चुनाव जीतेंगे। आप चुनाव जीतेंगे या नहीं, यह तो भविष्य ही बतावेगा कि हम लोग यहां मिलेंगे या आप लोग यहां मिलेंगे।

राजा-महाराजाओं के बारे में, यह तो स्पष्ट चीज है कि स्वतन्त्र पार्टी का प्रश्न आया तो आपने राजा-महाराजाओं को......

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई): On a point of order, is it strictly relevant to the Bill?

श्री उपाध्यक्ष: मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य संदर्भ पर ही बोलें।

श्री किशनाराम: मैं संदर्भ पर ही बोल रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य: I don't think

(श्री माननीय सदस्य)

it is relevant to the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी समझ का प्रयोग किया है। आप विषय पर ही बोलिये।

श्री किशनाराम : सभी लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं। सारे अखबारों की देख लें, यह चीज हमारे सामने है। फिर भी यह कहना कि लांछन लगाया जा रहा है; आप बड़ी बड़ी दुकानों से और कारखानों से चन्दा लेते हैं, वह सभी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : गरीब से तो नहीं लेते हैं।

श्री किशनाराम : गरीब से तो नहीं लेते। गरीब जनता को न तो चन्दा लेना है न देना है। आपके राज्य में तो गरीबों को राहत मिलनी नहीं। आपके राज्य में तो जो ज्यादा बढ़े हुए थे वे ज्यादा बढ़ गये और छोटे लोग थे वे छोटे होते गये और पिसते गये।

हमेशा आपने इसी प्रकार के तरीकों को अपनाया है। किन किन लोगों से आपको सहायता मिली है वह तो हम सभी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समाप्त कर दिया।

श्री किशनाराम : समाप्त ही समझिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं समझता हूँ कि इस पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। हर क्लॉज पर बहस हुई है और कल से बहस होती आ रही है। मैं बराबर यह कहता हूँ कि यह बिल लाया गया है, इसमें सरकार ने जो कुछ नीति निर्धारित की है इसका प्रतिबिम्ब और इसको लेकर रेगुलर वे में व्यवस्थित ढंग से कार्य करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। इसको पास किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल, १९६१ को पारित किया जावे?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल, १९६१ पारित किया गया।

(३. ३५. म० प०)

राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१

(खण्डश : विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में मेरी असहमति है और इसलिए मुझको विरोध करना है। जिस समय सिलेक्ट कमेटी में यह बिल उपस्थित हुआ, मेरी लिखित असहमति भी है और उस समय मैंने अपनी असहमति प्रकट की थी। एक तरह से देखा जावे तो....

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, there were two motions for reference to the Select Committee. Are they not being moved?

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : (रावल श्री नरेन्द्रसिंह से) आपको बाद में अवसर मिल जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। इस बिल को जिस समय सदन में प्रस्तुत किया गया था उस समय इस बिल के बारे में चर्चा नहीं हो सकी। इसको पारित करने से पहले हमें सारे सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी करनी पड़ेगी। जिस समय जयपुर में माइनोरिटी पर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का माइनोरिटी रूल था और सर ग्लेन्स उसके प्रेसिडेन्ट थे उस समय नीम के थाने में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती थीं कि बाहर के लोग आकर या उसी क्षेत्र के लोग वहां डाकेजनी और हत्याएं व लूटपाट करते थे और आपस में इस प्रकार के झगड़े करने पर तुले हुए थे। लॉ एन्ड ऑर्डर को स्थति खराब हो गई थी।

सरकार ने कई बार इस बात की चेष्ट कि सरकारी स्तर के ऊपर इन सारी बुराइयों की रोकथाम की जाय। सरकार ने अपनी फोर्सेज भी वहां लगाई, आर्म्ड पुलिस को भी वहां पर अपोइन्ट किया गया। मिलिटरी भी जिस समय जिस प्रकार की थी वहां पर भेजी गई, लेकिन गांव वालों का या उस क्षेत्र के लोगों का कोओपरेशन सरकार को नहीं मिल पाया और उसके अभाव में जिस प्रकार की लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन सरकार वहां पर कायम करना चाहती थी वह ताकत के बल पर सरकार नहीं कर पायी। जब सरकार ताकत के बल पर लॉ एन्ड आर्डर की सिचुएशन कायम नहीं कर पायी तो फिर सरकार ने उस पर पुन : विचार किया, ताकि किसी भी प्रकार से लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके तो उसको लेने की चेष्टा की जाय। उस आधार पर सहयोग के सम्बन्ध में बातचीत हुई वहां पर सरकारी अफसरान कई गये। उस क्षेत्र के मुखिया लोगों से बात चीत हुई और निर्णय लिया गया कि जो लोग यहां पर ला एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करने में मदद दे सकते हैं उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट में सरकार की ओर से कुछ देने की व्यवस्था करें तो इस सारी व्यवस्था को लेकर शायद सरकार का साथ देने की चेष्टा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रसंग में सदन में यह भी कह देना चाहूँगा कि जागीरों के एवज में जो मुआवजा दिया गया तो कई इस प्रकार की जागीरें भी थीं जो इस प्रकार से कायम भी हुई थीं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं जागीरों में अन्तर करना चाहें। ये जागीरें उपरोक्त जो बातें मैंने अभी रखीं उन्हीं की दृष्टि से कायम हुई थीं। हमको यह भी देखना होगा कि इसका क्या इतिहास रहा है। यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिये कि जिसके लिए सुबूत मिलते हैं कि ये जागीरें इसीलिए कायम हुई थीं कि उस समय सरकार वहां की लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम करने में असमर्थ थी। इसीलिए जागीरें दी गईं।

कई बार स्थितिभी आयी कि डाकुओं की रियासतें थीं। टोंक रियासत थी। आपको मालूमहोगा कि पिंडारियों के सरदार थे, वे लूट मार करते थे और सारे राजस्थान में लूटमार करते थे। इसलिए उनको रोकने के लिए मालपुरा, टोंक को उन पिंडारियों के सुपुर्द कर दिया गया। उसी स्थिति में नीम के थाने के बारे में भी यह व्यवस्था कायम हुई। उस व्यवस्था में भी उस समय की सरकार ने यह व्यवस्था कर दी थी कि जितने भोमिये

(श्री भैरोंसिंह)

हैं; चाहे जागीरदार हैं या नहीं, परन्तु लगान के ऊपर कसर के नाम से दो आना य अधिक उनको छूट थी। पहले तो रियासत के साथ ही वहीं पर वसूल कर लिया करते थे: लेकिन जब राजस्थान सरकार ने जागीर रिजम्पशन

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Bhairon Singh, you will please hear me. The position is......

श्री भैरसिंह : That I was a member of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : परम्पराओं के अनुकूल ऐसा प्रस्ताव नहीं रख पायेंगे। आप ही के सम्बन्ध में यह पहले रूलिंग हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग न बतायें तो भी मैं मानता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : परम्पराओं की सहायता के लिए ही मैं इसका उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ और इसीलिए मैंने आपको आपके भाषण के दर्मियान में रोका है।

श्री भैरोंसिंह : बिना रूलिंग के कोट किये ही मैं रुक जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ने कहा मैं स्पष्टीकरण के लिए सपोर्ट करूंगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया :

"यह बात संसदीय परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत है। जो माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य हों, किसी प्रकार के नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दें और फिर स्पष्टीकरण के नाम पर उसका विरोध करें तो यह स्वस्थ संसदीय परम्पराएं नहीं रहेंगी। मैं इसके लिए आज्ञा नहीं देता।" So I take shelter of this observation.

श्री भैरोंसिंह : There is no question of taking shelter. Your order is enough for me. आपने आज्ञा दे दी थी इसलिए बोल रहा था। मैं दो-तीन मिनिट के लिए कहना चाहता हूँ। रूलिंग डिस्चर्ज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्वस्थ परम्परा है। आग्रह नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : केवल थोड़ा सा ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो केवल दो-तीन मिनट ही आगे उससे बोलने वाला था। यह परम्परा थी। सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर हूँ। मैं उन दिनों जब कि सिलेक्ट कमेटी की बैठकें हुई मैं बाहर गया हुआ था और रिपोर्ट भेजी उस समय भी राजस्थान से बाहर था, इसलिए मैं सिलेक्ट कमेटी में भाग न ले सका और नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दे सका। मैं मानता हूँ कि नोट ऑफ डिसेन्ट न दे दे तब तक किसी मेम्बर को इस प्रकार से वाद-विवाद में भाग नहीं लेना चाहिये........

श्री उपाध्यक्ष : I will give you 2-3 minutes.

श्री भैरोंसिंह : I don't take it as a precedent, Sir.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उनको जो कसर दी वह अब तक चली आ रही है। जागीर रिजम्पशन के बाद सरकार ने लगान वसूल करना शुरू कर दिया। सेटलमेन्ट में तो उस कसर के लगान का इन्द्राज आया नहीं। लेकिन पहले के सेटलमेन्ट की बकाया निकाल कर वसूल कर लिया। इसके लिए एक

(श्री भैरोंसिंह)

डेपुटेशन जयपुर आया। मैंने उनको माननीय राजस्व मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने इसको स्टडी करने के बाद रहे ऑर्डर इश्यू कर दिये और यह भी कहा गया कि ठीक प्रकार से केस सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाय। उसमें क्या हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन बीच में ही यह कानून आ गया। कसर लेने वालों में और जागीरी सिस्टम में अन्तर करना चाहेंगे, तो वह अन्तर नहीं हो सकेगा। उनको बँधी हुई रकम मिलती थी और जागीरदारों को पूरी रकम मिलती थी; यह प्रावधान रखा है कि तीन गुना मुआवजा दिया जायगा। सरकार से निवेदन करूंगा कि तीन गुना का प्रिन्सिपल रखते हैं, जब मुआवजा दे रहे हैं; तो जो प्रिन्सिपल जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए अपनाया था इसको भी उसी लाइट में विचार करें तो अच्छा होगा।

ये कोई बड़े जागीरदार नहीं हैं। किसी को पांच, किसी को दस, किसी को बीस; इस तरह से इसमें पांच छः हजार व्यक्ति आते हैं, इसमें सरकार का लाखों रुपया खर्च होगा, यह स्थिति नहीं। अगर इनका मुआवजा हम तीन गुना करते हैं, वे अब तक लगान वसूल करते रहे और मुकदमेबाजी में सरकार के साथ संघर्ष करते रहे उसका उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा और यह भी मानी हुई बात है कि यह सिस्टम रहने वाला नहीं है, इसका एबोलिशन होगा; इसलिये जिस प्रकार की व्यवस्था जागीरदारों के साथ की है उसी प्रकार की व्यवस्था इनके साथ भी करें। अगर तीन गुना मुआवजे को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो तो बहुत अच्छा है। यह तीन गुना मुआवजा जो दिया जा रहा है बहुत कम है। इस मुआवजे की बात में यदि सरकार कुछ रियायत कर सके, यह उनके लिए उचित होगा। इसके साथ साथ मैं यही भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बकाया के मामलों में सरकार की ओर से जितने भी आदेश निकल चुके हैं या जो भी इश्यू किये जा रहे हैं सरकार को चाहिये कि उन सबको मन्सूख कर इस सिस्टम को एबोलिश करें ताकि पिछले अकाउन्ट में उनको रिलीफ मिल सके। इससे जितनी भी बकायात उनमें होंगी उसमें भी रिलीफ मिल सकेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसके बारे में नोट ऑफ डिसेन्ट है। मेरी ओपीनियन मौजूद थी। मेरी इस बारे में लिखित ओपीनियन है, इसलिये मैं इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो सवाल उपस्थित किये गये हैं मैं खुद इस मामले में गवाह हूँ इस कारण निवेदन करना जरूरी हो गया है। यह सन् १९२३ में जिस समय माइनोरिटी गवर्नमेंट प्रारम्भ हुई उस समय की बात है, जयपुर के चीफ मिनिस्टर सर ग्लान्स थे उनके साथ साथ मैं भी उस समय मिनिस्टर था। उस समय वे मुझे साथ लेकर नीम का थाना गये। इस वास्ते वहां झगड़ा पैदा हो रहा था। बीस हजार आदमी इकट्ठा हो गये थे और दूसरे भी नागरिक या सदस्य होंगे जो उस समय के वाकेआत को जानते होंगे, उस समय की स्थिति बहुत विकट थी। उस समय मुझे याद है ९ या ११ कानून बनाये गये, उसके ऊपर वहां से डिक्लेरेशन हुआ था। वह एक तरह से देखा जाय तो काफी समय का मामला होने के सबब से उस समय के कानून को देखा जाय तो काफी सहायता मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि १९२३ से लेकर १९२८ तक के जो कानून हैं वे यहां की लायब्रेरी में न

Page No.97

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

... सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से देखे जा सकते हैं। उस समय क्या क्या नियम बने थे, उन सबको देखकर हमें इनके लिये कानून बनाना चाहिये। इससे ऐसा कहीं न हो जाय और कोई समस्या पैदा न हो जाय, इस वास्ते गवर्नमेंट को और जो भुक्त-भोगी है उनका सवाल पैदा हो जाता है। इस सबब से मेरा फर्ज है उन चीजों को आपके सामने उपस्थित करूं, अगर मैं उन सब बातों का इस प्रसंग में विशद रूप से विवेचन करूं तो वह मेरे को क्षम्य होगा। इस वास्ते मैं इसकी थोड़ी भूमिका नजर कर दूं।

यह प्रान्त राजाओं के वक्त; इसके अलावा मरहटों के वक्त में, क्या मुगलों के वक्त में या उसके पहले भी पठानों के वक्त में हमारा यह प्रान्त कारपिट ऑफ राजस्थान ही नहीं कारपिट ऑफ इन्डिया रहा है, बराबर वहां से यह झगड़ा चला आ रहा है। ये कौन लोग हैं जिन लोगों के वास्ते हम यह कानून ला रहे हैं? माननीय राजस्व मंत्री महोदय, कहेंगे क्योंकि यह प्रश्न उनके सामने आया है, उसके ऊपर सवाल उठा है; जब तक इनका पूरी तरह से विश्लेषण या तारतम्य न किया जायगा तब तक आपको उस प्रश्न को हल करने में सुविधा नहीं होगी। उस समय का वातावरण और हालात क्या थे, यह मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ से तंवर वंश वहां बसते थे लाखों की तादाद में, ये तंवर वंश परम्परागत से चले आ रहे हैं इनका कौरवों के वंश से ताल्लुक माना जाता है आगे जाकर ये कौरवों और पांडवों के वंशज रहे हैं। वहां दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर और उसके पास द्रोणाचार्य का गुड़गांव है, जिसको गुरू गांव कहा करते थे। इसके साथ दूसरे गांवों सहित उनको पट्टा दे दिया गया था इस वजह से वह गुरू गांव कहलाया। जिस समय पृथ्वीराज के पहले जब अनन्तराय तंवर बादशाह रहे उस समय उनके दो कन्यायें थीं। उनके औलाद न होने से एक के पृथ्वीराज और दूसरे के जयचन्द पैदा हुए। पृथ्वीराज को अपना टेदार बनाकर उसको राज्य दे दिया। उस समय यह ओलीवियन में आ गए, जितने भी तंवर थे उनका राज्य नहीं रहा, जमीन नहीं रही। आज जिस प्रकार का प्रश्न आया है पहले भी कार्य करने वालों, राज्य करने वालों की जिस प्रकार की स्थितियां हुआ करती थी, उससे भी बदतर स्थिति उस समय हो गई थी। भगवान का यह अटल नियम है, एक ही वंश का यहां राज्य नहीं रहा है, हर समय वह बदलता रहा है। उस समय ये काफी पद दलित हो गये, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। इस वजह से तंवर वंश गौड़ ब्राह्मणों का उपकृत रहा है। उन्होंने उस समय जो ३२ गांव उनके पास थे; उनके बाप-दादाओं को दिये हुए थे व उनको दे दिये और वे उनसे अपना निर्वाह करते रहे। सहस्त्रों की तादाद में नहीं वे लाखों की तादाद के अन्दर लोग हैं; अगर देखा जाय तो एक एक गांव के अन्दर दो दो हजार आदमी रहते हैं। चौकीदारी करते हैं, दो आने मिलते हैं, यह मामूली सी रकम है। जमीन की चौकीदारी करते हैं, चोरी चकोरी न हो, इसका इन्तजाम करते हैं। मैं तो यह मानता हूँ, आज की राज्य-सत्ता और पहले की राज्य-सत्ता सिवाय चौकीदारी के और क्या करती है। थोड़ा बहुत फर्क इसमें हो सकता है। जिस समय सेयह समस्या उपस्थित हुई, बीस हजार आदम नोम का थाने में इकट्ठे हुए। उस समयी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भयंकर संघर्ष का मामला उपस्थित हो गया। मेवाड़ के अन्दर जहां हजारों की तादाद में मीणे या भील बसते हैं ये दोनों मिल करके उनके साथ हो गये।

मेरा भी उस समय व्यक्तिगत हिसाब से प्रश्न आया, मैं भी इनके खिलाफ कार्यवाही करने में हर्ज नहीं समझता था। यह सदन को मालूम हो जाय कि वहां स्थिति क्या थी, उस समय की व्यवस्था करने का सवाल हो रहा था। जितने भी मिनिस्टर थे उनमें मैं अकेला राजपूत मिनिस्टर था। मुझे खुद को साथ लिया यहां के आई० जी० पी०, ठाकुर नारायणसिंहजी चांपावत रहे। पहले ऐसा था कि निजामत के अहलकार या नाजिम जो हुआ करते थे उनमें सरदारों को ही रखा जाता था क्योंकि उस समय होने वाले आन्दोलनों को दबाने के वास्ते प्रत्येक तरह से ताकत की आवश्यकता रहा करती थी।

(४. म. प.)

बराबर अगर यहां का २०० वर्ष पहले का रेकॉर्ड देखा जावे तो राजपूत और जागीरदार नाजिम ही रहे हुए मिलेंगे। तो उस वक्त विचार किया गया कि क्या व्यवस्था वहां की जावे, तो पीपले ठाकुर साहब रामनाथसिंहजी को नाजिम का पद न देकर मोतरिम बनाकर भेजा गया। साथ ही उनको नाजिम अहलकार बना दिया गया। वे आज भी जिन्दा हैं, मोतीलालजी नाजिम। ८०-९० वर्ष की उम्र में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उससे तो हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। –

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : दूसरा रेफेरेन्स भी आता है तो कह देने में क्या हर्ज है? तो उनको भी सिर्फ दो आने मिलते थे। मैं नहीं कहता कि वही दो आने लेने दिये जावें। पर जैसा कुछ कहा जाता है, मीणों में से जमींदार थे जो, भीलों में से जागीरदार थे तो साथ ही वे आगुवा और पालवा की चौकीदारी भी करते थे। गिरासिया, सिरोही आदि के हैं उनको और कहना मुनासिब नहीं होगा; उनकी मुलाजमत करने वाले भांड और गाने बजाने वाले और वालियों, सबको मुआवजा मिला है और २२ गुणा मिला है और उनको हजारों की तादाद में मिला है। तो उनको भी मिलना चाहिये। मैं नहीं कहता कि वही उनको दें। पर तीन गुना और मामूली पेन्शन का सवाल है। मेरे ख्याल में यह गवर्नमेंट की दातारी पर भी थोड़ा सा कटाक्ष आवेगा। यह 'दातारी' शब्द तो पहले की सरकारों में चलती थी, आज की गवर्नमेंट से दातारी की क्या बात की जावे, वह शब्द उनकी डिक्शनेरी में भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : संविधान में भी नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह :....हां, संविधान में भी नहीं है। यह हजारों वर्ष चलने वाली चीज है। इस इन्डिपेन्डेन्स के हासिल करने में आप लोगों में हम लोग भी शामिल हैं। यह कहा जाना कि इधर वाले नहीं करते, उधर वाले किया करते हैं तो यह तो हिस्ट्री नहीं तो पोस्टेरिटी बतलावेगी। खैर, इसे छोड़ा जावे। तो ऐसी परिस्थिति में उनको २२ गुना मिलना चाहिये। यहां जो भी पुराने जानकार सदस्य हैं वे जानते हैं और हिस्ट्री भी कहती है और इसके अतिरिक्त यहां की जनता को भी मालूम है कि यहां चार पांच भोमियां हैं जो भूमियार की हैसियत से रहे

(रावल श्री नरेंद्रसिंह)

थे । एक तो उदयपुरवाटी के, दूसरे तोरावाटी के, तीसरे अमरसरवाटी के भौमियें और एक दांता रामगढ़ के भौमिये । इन सब में चालीस पचास हजार के करीब ये लोग हैं । जब २२ गुना दिया गया है तो इनके साथ में डिस्क्रि-मिनेशन का किया जाना मेरे ख्याल में उचित नहीं है । उनकी आत्माओं पर भी असर पड़ेगा । ऐसी स्थिति में इस प्रकार का ऑर्डर निकाल दिया गया तो ठीक नहीं रहेगा ।

जहां तक मैं समझता हूँ खान बहादुर अल्ताफ हुसेन ऐरी साहब हैं वे खुद भी सेक्रेटरी थे । उनसे छिपा नहीं होगा और मेरे खयाल में तो सेक्रेटेरियट में पहले के वक्त की फाइल भी होगी, २४ से २७ तक की फाइल निकल जावेगी । ऐसी भी क्या शीघ्रता है कि यों ही ऐसे मामले को चला दिया जावे । मैं तो यह कहूँगा कि इस समय जब कि हिन्दुस्तान का ही नहीं दुनिया का वाता-वरण विषाक्त हो रहा है, दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों के दोनों इस समय तिमिरा-च्छन्न हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक बिना काम चिप्स ऑफ सिल्वर के लिये इस डेप्रिसियेशन के लिये दूसरे शेखावत हैं, वे तो हैं, तंवर भी हैं, वे सगे हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : शेखावतों का जोर ज्यादा है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो जैसे दोनों तरफ से सवाल आ रहा था तो यह सदनों के इतिहास के भी खिलाफ है, ये और चीजें जो आदमी इधर हैं या उधर के हैं और ज्यादा डींग मारते हैं वे ही अधिक नुक-सान उठावेंगे । आज का जमाना उनको भले ही बख्श दे, पर इतिहास नहीं बख्शेगा और इसके अलावा दुनियां की चीजें उनको कभी नहीं बख्शेगी । जिस वक्त गिरावट आती है तो आखिर दम तक भी उनको नहीं मालूम होता है कि हम भी गिरेंगे । वर्ल्ड में अंग्रेजों का राज्य था । सूर्यास्त उनके राज में नहीं होता था ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनट में समाप्त करता हूँ । पर आज उनका भी सूर्यास्त हो गया । इसी तरह से जो शक्तियां बड़ी इटलाती थीं वे आज भस्मी-भूत हो गईं; तो इन छोटी मोटी शक्तियां की तो बात ही क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप शेखावाटी के प्रश्न पर चल रहे थे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा यह निवेदन है कि इसको देख लिया जाय । यह जिन्दा आदमियों के समय की चीज है और अगर इस बारे में राजस्व मन्त्री महोदय सम्बन्धित कागज निकलवाकर देखने की कोशिश करेंगे तो सब मालूम हो जावेगा और चेष्टा करेंगे तो कागज भी मिल जावेंगे । फिर मैं तो गवाह हूँ उस समय का । कौंसिल का मिनिस्टर था उस समय और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के साथ उनका ले जाया हुआ गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : सर ग्लेंसी ही थे न ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जी हां, आई. एन. आर. ग्लेन्सी । उस समय मैं ही राजपूत मिनिस्टर होने के सबब से मुझे ही वे ले गये थे अपने साथ । मेरे खयाल से वह फाइल इतनी बड़ी है, उसको देखकर आप फैसला करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा । मैं तो अपने

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आपको गवर्नमेंट का ही नहीं, यहां के प्रबन्धक को हैसियत से भी समझता हूँ और हम लोगों को इधर के और उनको उधर के अपोजिशन और वह पार्टी मेरी विचारधारा से बिल्कुल गलत है और इसमें धरा ही क्या है ? इनके का जो देश की भलाई करने का सवाल है, सोते हुए जो लोग हैं वे फिर न जाग जावें इसके लिये सतर्क रहने की अत्यन्त आवश्यकता है। किसी आदमी के कमर के अन्दर, जोड़ में चोट लगावें तो बर्दाश्त कर सकता है। पर पेट की चोट बाज वक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पेट कटता है ? अपना निर्वाह इसी पर करते थे। आज की गवर्नमेन्ट को तो मैं थोड़ा सा न जानने का सवाल समझता हूँ पर जयपुर गवर्नमेन्ट ने भी उनके साथ ठीक वर्ताव नहीं किया, मुसलमानों ने उनका सत्यानाश कर दिया। मराठों ने उनको खत्म करने की कोशिश की। पर उनकी हिम्मत है कि राजपूत-मीणे दो मिलकर आज भी मांवडे के मीणे भारत-वर्ष के अन्दर झगड़ा करते हैं और बराबर अस्तित्व बनाये हुए हैं। मैं समझता हूँ शायद होम मिनिस्टर साहब को खुद को मालूम है कि वहां किस मुश्किल से लॉ और ऑर्डर बनाये हुए हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जैसे रेडियो और गाने-बजानेवालों को २२ गुना मिलता है उसी प्रकार से इनको मिलना चाहिये। भारतवर्ष की विशाल राजसत्ता के वास्ते, कांग्रेस के वास्ते भी अगर हिस्ट्री को ट्रेस आउट किया जावेगा तो गदर में भी और दूसरे अवसरों पर भी नीम का थाना खेतड़ी और जो कोटपूतली या इसके आसपास का हिस्सा है वह सारा इलाका पहाड़ी इलाका है, वहां के ये लोग स्ट्रगल करते रहे हैं। पाटन में जिस समय मराठों ने हमला किया और खूरेंजी हुई उस समय भी इस बात की आवश्यकता रही है तो इसको चार दफा सोचकर इस मामले को फैसला किया जाये, ऐसी क्या जल्दी है ? जैसा इधर के बैठे हुए लोगों के लिए कहा गया और उनके लिए लांछन लगा रहे थे और यह कहा गया था कि इस तरफ वाले प्रश्न उठा रहे हैं और सवाल चल रहा था कि इस प्रकार के जो मामले हैं ओन दी ईव ऑफ दी न्यू इलेक्शन क्यों उठाये जायें ? मैं तो यह समझता हूँ कि जैसा इन्होंने भी कहा था कि इसमें थोड़ा भारीपन है। मैं तो निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज को तो कम से कम सोच लेना चाहिए। हमारा तो सिद्धान्त है कि संयत सोचना, संयत विचार करना, संयत तौर पर ही आगे बढ़ना अत्यन्त आवश्यक है और इन कागजों को आप देख लीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो सुझाव श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किये कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये.....

श्री उपाध्यक्ष : वह सुझाव तो नहीं है, that is out of order.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पर मेरा तो है।

श्री उपाध्यक्ष : Your is within order.

श्री दामोदरलाल व्यास : परन्तु सदन में जो बातें कही गई और इस कसर भौम का जो इतिहास बताया गया मैं समझता हूँ कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : लेकिन मुझे तो है और उनसे ज्यादा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं साथ में यह कहूँगा कि जो दूदू से आये हुए माननीय सदस्य हैं उनको उसकी पूरी जानकारी है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हां है, क्योंकि उस समय मैं मिनिस्टर था और बहुत से आदमी उस समय दूध पीते होंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कसरभोम का इतिहास बताया.....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हाँ, वह भी उस समय दूध पीते थे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका मतलब यह था कि उस जमाने में कुछ डकैती करने वाले और ऐसे ही जरायम पेशा करने वालों को पेसीफाई करने के लिए और ऑर्डर में रखने के लिए कसर भौम दे दी गई । मैं समझता हूँ कि उनके लिए ऐसा कहना उनके प्रति न्याय नहीं हो रहा है और उनको इस तरह से डकैती करने वाले, कत्ल करने वाले यानी ऐसे जरायम पेशा करने वाले कहना, फिर यह कहना कि सरकार ने उनसे कहा था कि तुम पैसा ले लो, लेकिन जरायम पेशा मत करो; उनका जरायम पेशा बताना कोई उनका इतिहास नहीं है । उनका इस तरह से इतिहास बताना मेरे ख्याल से किसी ने उनको गलत जानकारी दे दी है । असल में इसका जो इतिहास है वह दूदू से जो माननीय सदस्य हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं । जिस जमाने में एजीटेशन हुआ था उस जमाने में वे जयपुर राज्य में मिनिस्टर भी थे और वहां गये भी होंगे । क्योंकि जब वह कहते हैं और इतने बुजुर्ग हैं तो यहां अवश्य गये होंगे....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरे दस्तखत मौजूद हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रेसीडेन्ट ग्लान्सेज ने इसका फैसला किया था, यह सही है । परन्तु उनका इतिहास ऐसा नहीं है जैसा कि श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया । तोरावाटी में, जिसमें नीम-का-थाना, बैराठ और कोटपुतली है उसमें जो सरकारी जमीन थी उसके इन्तजाम के लिए कुछ फरायज रखे गये थे कि वे उसका इन्तजाम करें । वहां पर जमीन को ठीक करें, पुराने कुओं की मरम्मत करायें, नये कुए बनवायें जिससे कि सरकारी जमीन पड़त न रहे और उससे जो आमदनी सरकार को हो उसका नुकसान न हो; इसलिए कसर भौम रखे गये थे....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आज की गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है और क्या कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार से उनकी कुछ ड्यूटीज थीं । सन् १९२२ का जिक्र कर रहे हैं, हमारे दूदू से आये हुए माननीय सदस्य के जमाने में कोई नया सेम या कसर भौम नये तरीके से नहीं दिया गया था बल्कि भौमियों को एतराज था और उस समय कुछ की जमीन जब्त कर ली गई थी और वह इसलिए कि किसी ने अपनी ड्यूटीज

Page No.102

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पूरी नहीं की, वह जमीन जब्त कर ली गई। बहरहाल किसी किसी की जब्त कर ली गई थी और इसलिए वहां प्रोब्लम पैदा हो गई थी लॉ एण्ड ऑर्डर की....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो निवेदन करूंगा कि इस तरह के शब्द बोलकर उनको और उनकी जाति को बदनाम करना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक कह रहे हैं। श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कहा वह यही कहा....

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह नहीं कहा था, मैंने तो वही कहा जो दूदू से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह भी और यह भी, दोनों उस समय दूध पीते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज करूंगा कि जो सन् १९२२ के अन्दर दरअसल में घटना हुई थी वह सही घटना बताई। आप वहां पर गये थे उनके ऊपर फैसला लिया गया था और वह फैसला लिया गया उसी से मालूम हो जायेगा कि वह ऐसा फैसला था कि इनको जो भूमि देना तय हुआ था, जो कि पहले से मिल रही थी, उसमें यह तय हुआ था कि जिन आदमियों की पिछले ३० साल से उनकी वसूली के खिलाफ बन्द कर दी गई थी तो उनको वापिस रिप्रेजेन्ट करने का अधिकार होगा और सेटिलमेंट कमिश्नर के सामने उजरदारात कर सकेंगे और उसका निर्णय ले सकेंगे। तो मतलब यह है कि उस जमाने में जिस वजह से कसर भोम दी गई थी उसका जागीर से कोई ताल्लुक नहीं है और यह खालसा के गांवों में दी जाती थी और यह कहना कि खुद लगान वसूल किया करते थे और उसमें से काट लिया करते थे, यह गलत है। लगान की वसूली जागीर रिजम्पशन के पहले सरकार करती थी। केवल सरकार में जो लगान आता था उसमें से दो-तीन आने रुपया इस बात का दिया जाता था कि वह सरकार की तरफ से ड्यूटी वहां अन्जाम देते थे। जो माननीय सदस्य दूदू से आये हैं उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस फाइल का यहां बार बार जिक्र किया उस फाइल में लिखा गया है। मैंने गौर नहीं किया कि उनके दस्तखत भी हैं उस पर....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्यों नहीं वह मेज के ऊपर रख दी जाती ?

श्री भैरोंसिंह : उस फाइल में आपके दस्तखत हैं या वे पेपर्स हैं कि जो डिसीजन लिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है उसके अन्दर लिखा गया है, आपका नाम इत्तफाक से रह गया होगा, बाकी ग्लान्सेज साहब का डिसीजन इसमें जरूर है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो वह पढ़कर सुना दिया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी अर्ज करता हूँ। जागीर रिजम्पशन की तरह का ही इसे बताया गया, यह ठीक नहीं है। दूसरे, यह कहना कि लगान वसूल किया करते थे और काट लिया करते थे यह सही नहीं है। उसमें तो सरकार ही लगान वसूल करती आई है और तीसरी बात यह है कि जागीर रिजम्पशन हो गई उसके बाद में वे सारे

Page No.103

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मामले अस्त व्यस्त हो गए। तो मैं आपको बताऊं कि कसर भौम का और जागीर रिजम्प्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। वसूली पहले की तरह होती थी और अब भी होती आई है और पहले जो कसर भौम मिलती थी यह चैलेन्ज किया गया कि जब वह ड्यूटी अन्जाम नहीं करते हैं तो इनको क्यों दिया जाये; तो उस बिना के ऊपर यह मामला चला। यह तो एक अर्से से मिलती आ रही है, वैसे देखा जाये कि खिदमत के लिए मुआवजा मिलता है तो अगर वह बन्द कर दी है तो वह मुआवजा पाने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन यह छोटे छोटे भौमिये थे और यह चले आ रहे थे तो हमने इनको एबोलिश करना और इनको कुछ कम्पेन्सेशन देना ही ठीक समझा। अब जिस रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे वह पढ़ कर बताऊंगा....

श्री भैरोंसिंह : आप तो इसका वही पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें आपका कोई हवाला नहीं आयेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस तरह पिण्डारियों का हवाला देकर कहा कि उनको कसर भौम दे दी गई थी। मैं कहूँगा कि तोरावाटी और पिण्डारियों का तो कोई मुकाबिला ही नहीं है। पिण्डारिये तो वाकई में डकैती करते थे लेकिन तोरावाटियों के लिए इस प्रकार की बात कह कर उनके साथ माननीय सदस्य, श्रीमाधोपुर से आने वालों, ने गैरइन्साफ किया है। इस तरह की बात एक क्लॉस के लोगों के लिए नहीं कहनी चाहिए थी।

अब रहा सवाल माननीय सदस्य जो दूदू से आये हुए हैं उन्होंने ठीक समझ रखा है इस मामले को और उनको जानकारी इतिहास की पूरी है, क्योंकि वे खुद हिस्टोरियन हैं। बाकी यह जो फैसला लिखा है उस वक्त में, आपको थोड़ा सा बतलाऊंगा :

"In 1922 Bhomias of Neem-ka-Thana consisting mostly of Tanwar and Rajput clans rose against the Darbar, openly defying the authority on account of certain grievances" फिर आप जहां तशरीफ ले गये थे वह दिया हुआ है। मैं इस संबंध में यह कहूँगा। उन्होंने फैसला किया है :

"Any person claiming to have been deprived of his Kasar Bhom during the last 30 years may apply for hearing of his case.' तो वह पिंडारीवाला मामला नहीं है। पिंडारियों को जिस तरह से दी गई है उस तरह से नहीं दी गई है। यह बिल्कुल पुराने कसर भौम की रियायत दी गई है कि ३० साल के अन्दर जिनकी बन्द कर दी गई है उसको भी वापिस देने का मौका दिया गया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने आपको दुरुस्त कर लें श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ! "Kesar Bhom to be ordinarily paid in cash on receipt of revenue from Tehsil" जैसा कि आपने कहा था कि यह उनको काट कर लेने का अधिकार था, यह बात सही नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय इस किताब को, जिसका रेफरेन्स सदन में दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि सदन की मेज पर रख दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : That book is in the library. It is available.

श्री भैरोंसिंह : वह इस लाइब्रेरी में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन में रखने का कोई कायदा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कायदा है कि जिस किताब से रेफर करते हैं उसको सदन की मेज पर रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a public document. It is Administrative Report.

श्री भैरोंसिंह : जिस ऑथोरिटी से माननीय मन्त्रीजी कहते हैं उसके बारे में दूसरे सदस्य भी कह सकें. इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस किताब को रखें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसी बात जरूर है कि फैसला हुआ था। हम चाहते हैं कि और भौमियों की तरह इनको भी बरता जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : और भोमियों की तरह बरतने की बात है...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कसर भौम वालों को तिगुना कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनको भी २२ गुना कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : कसर भोम से उनका मुकाबला करना गलत था। माननीय सदस्य जो दूदू से आये हुए हैं वे कहते हैं कि फैसला हुआ था, तो कसर भोम के मामले में ३० साल से जिसकी कसर भोम बन्द कर दी गई उनको भी रिप्रेजेन्टेशन करने का अधिकार दिया गया था और भी मुख्तलिफ मामले थे .....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह जितनी भी बात है उसकी इतनी बड़ी फाइल थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइल महकमा खास में मौजूद हैं। दूसरा एतराज किया गया है कि पेन्शन एक्ट इस पर एप्लाई किया जा सकता है। वे शायद इस तरह से समझते हैं कि उनके ज्यादा हकूक थे। वेतन एक्ट में पेन्शन को अटेचमेंट से एग्जेम्पशन मिल जाता है और वह उन भोमियों के ज्यादा हित में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहां तक बिल का सम्बन्ध है सारी बातों पर ४ दफा, जैसा कि आपने कहा ४ दफा नहीं चालीस दफा, विचार किया है और इस पर खूब विचार किया है और यह उनके हित में है।

इस कसर भोम को जयपुर गवर्नमेंट ने बार बार डिफाइन कर दिया गया है नोटिफिकेशन्स के जरिये। १९४९ में जयपुर गवर्नमेंट ने लिखा था और इस कसर भोम को डिफाइन करके प्रोसीजर बतलाया था कि किस तरह से वसूली की जाय, क्या किसके फरायज होंगे, ड्युटीज होंगी; यह सारा मामला ऐसा है जिसका कि कोई संबंध नहीं जागीर जैसी चीज के साथ। इसको एबोलिश करने की इस बिल में आवश्यकता थी। फार्मल एबोलिशन की जरूरत थी, इसलिए वह एबोलिश किया गया है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : एबोलिशन के वास्ते कतई अर्ज नहीं कर रहा हूँ। एबोलिशन होना ही चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : इतिहास को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आप बताते हैं वह सब मन्जूर करता हूँ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप इसका भी वह करें कि तीन गुना के बजाय २२ गुना कर दें।

श्री मोहरसिंह (चूरू): कुछ स्पष्टीकरण में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से उसके संबंध में करना चाहता हूँ कि कसर भौम जागीरदार और टिनेन्ट के बीच में था या जागीरदारों और राजाओं के बीच में था और कितने आदमियों पर इसका असर पड़ेगा और कौनसे इलाके में विशेष रूप से यह होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका न कभी किसी जागीर से संबंध था और न जागीर के गांव से था। यह खालसे के गांव के अन्दर सरकारी लगान आता है उस लगान में से तीन आना रुपया इन भौमियों को मिलता था। किसी का कोई संबंध नहीं था। सिर्फ कोटपुतली, तोरावाटी और नीम के थाने के इलाके में इसका असर पड़ेगा।

श्री मोहरसिंह : वहां पर खालसा था ही नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : खालसा जितना था उतनी ही कसर भौम थी।

श्री भैरोंसिंह : On a point of personal explanation.

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no question of any personal explanation.

श्री भैरोंसिंह : It is for the Chair to decide not for the Minister.

यह मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्रीजी ने इस प्रकार का भाषण दिया है कि जिसको अगर वहां के भौमियों की सिम्पेथी यदि अपने भाषण को ले जा कर प्रसारित करें तो इनको मिल सकती है, हालांकि मुआवजे के नाम से वह शून्य हो सकता है, लेकिन मेरा नाम लेकर उनको डाकू बताया, लुटेरा बताया, तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह था कि इलाके से बाहर के लोग डाका चोरी किया करते थे तो उसको रोकने के लिए सरकार ने लोकल एजेन्ट क्रियेट करने के लिए उनको सहयोगी बनाया और उसके एवज में इस प्रकार के कसर भौम की व्यवस्था की है जिसको कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई थी तो लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करने की गरज से उनका सहयोग प्राप्त किया है। उसका मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता है। पिंडारियों में जिस प्रकार के संस्कार थे और उस संस्कार के कारण आज तक परेशान होते आ रहे हैं। वे लोग पिंडारी क्या थे, बिलकुल गरीब थे। वैसा संस्कार उनके जीवन पर है नहीं, जमीन पर है नहीं। यह बात सही है कि पिंडारी जैसे संस्कार उस क्षेत्र में नहीं हैं जिसके कारण से जनता परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कसर भौम एबोलिशन बिल, १९६१ as resported by the selected Committee, विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

Page No.106

(श्री उपाध्यक्ष)

Please Move for passing.

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूँ....

श्री भैरोंसिंह : प्रस्ताव करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके निवेदन की जरूरत नहीं समझता हूँ। पहले प्रस्ताव पेश कर लेने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि मुझे इसमें कुछ अमेंडमेंट पेश करने की मोहलत दे दी जाय। इसलिए इसको क्लॉज बाई क्लॉज ले लिया जाय; to increase the quantum of compensation. The quantum of compensation should be five times instead of 3 times.

माननीय सदस्य जो दूदू से आये हुए हैं वे बहुत उत्सुक हैं कि इसमें कुछ बढ़ा लिया जाय वर्ना नोमिनल कम्पेन्सेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : The amount of such compensation shall be......

श्री दामोदरलाल व्यास :"Five times" instead of "three times".

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो संशोधन राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं इसके खिलाफ राय दूंगा, २२ गुना होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मैंने वोट पर रख दिया।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३. संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ४ और ५ विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉजेज ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज, १ इनेक्टिंग फॉर्मूला इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मूला आदि विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, इनेक्टिंग फॉर्मूला आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : क्या किसी को बोलने का भी अधिकार नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहें तो बोलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन है कि एक बार जो इससे संबंधित फाइल है और कुल कागजात हैं वे सदन की मेज पर रखे जायें; हम उनको देखें, फिर फैसला हो। यह कहा जाता है कि २२ गुणा सबको मिलता है, ये लाखों आदमी हैं दो दो आने पांती आयेंगे, उनकी आत्मा दुखी होगी, इसलिये अर्ज करना है, क्षुब्ध अवस्था है इसलिये कहना आवश्यक है। यह तो जनरल सवाल है। इधर का या उधर का सवाल नहीं है। इन्टीग्रिटी और ओनेस्टी का सही प्रश्न है। इसमें इस तरह से आंख मींच कर फैसला कर दिया गया तो मैं समझता हूँ भगवान् खैर करे, ऐसे मौके पर दुखी आत्माओं की बात, विधवाओं और अनाथ बच्चों की बात है, उनको दो आने पांती आयेंगे जब कि रांडियों और दूसरों को २२ गुणा मिला है, यह कहा जाता है कि नौकरी करते थे, नौकर तो सभी हैं; आज गवर्नमेंट के आप और हम भी नौकर हैं....

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : सदन में बैठने वाले तो मालिक हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मालिक बताने का सवाल क्या है ? और लड़ाइयां हुई हैं जैसा कि ये कह रहे हैं ये सही थीं। महाराणा प्रताप, रोबर्ट ब्रूस, महाराणा सांगा और दुर्गादास सबने रिवेल किया है, रिवेलियन हैं और उन्होंने क्या किया है, जमीन का टुकड़ा हाथ से निकले तो क्या करें ? इसमें मेरे ख्याल से नम्बर के लिहाज से आंख मींच कर निकालना चाहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। २२ लाख देने से भी दो-चार लाख का फर्क पड़ेगा....

श्री भैरोंसिंह : मैं जानना चाहूँगा कि राजस्व मंत्रीजी ने जो बात कही है वह कहां तक सही है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : फाइल देखें तो....

श्री उपाध्यक्ष: इसे मेरे लिये छोड़ें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : हम भी 'हां' ही कहेंगे, नतीजा होगा वह होगा।

Page No.108

(स्वीकृति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पारित किया गया ।

(४. ३३. म. प.)

राजस्थान नाट्कीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, १६६१

(विचार-विमर्श एवं पारित)

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मै प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान ड्रामेटिक पर्फोमेंन्स एन्ड एन्टर्टेन्मेंट्स (अमेन्डमेंट) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ड्रामेटिक पर्फोमेंन्स एन्ड एन्टेनमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर अमेंडमेंट्स हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Which is the amendment ? Do you agree to it ?

श्री रामकिशोर व्यास : है ही कहां ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, १६६१ को पारित किया जाय ?......

श्री भैरोंसिंह : इस पर अमेंडमेंट्स है ।

श्री उपाध्यक्ष : I do not know.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपने तो उनसे पूछा है, do you agree to it.

श्री रामकिशोर व्यास : इसका नोटिस नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : The practice is that if the Hon'ble Minister agrees to the amendment then the discretion of the Chair is easily to be exercised. It is why I have asked this question to the Hon'ble Minister.

प्रश्न यह है कि राजस्थान ड्रामेटिक पर्फोमेंन्स एण्ड एन्टर्टेनमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६१ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६१

(विचार विमर्श स्थगित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा था कि अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६१ को अभी न लेकर अगले वाले बिल को ले लिया जाय । इसमें कुछ संशोधन आये हैं, उन पर सरकार अलग से विचार कर रही है । इसको एक-दो दिन बाद लेंगे । मेरे ख्याल से अभी राजस्थान म्युनिसिपल निर्वा-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चन (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को ले लिया जाय।

(विराम)

Have I permission, Sir, to defer this Bill ?

श्री उपाध्यक्ष : We shall have to take the resolution of Mr. Satish Chandra. Yes, Mr. Satish Chandra.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : It may be deferred.

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री उपाध्यक्ष : The first Bill has been deferred. I am taking this Rajasthan Municipal Elections (Validating) Bill, 1961.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I do not agree, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : But it is on the agenda.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am also making a request to the Chair, as you have done. I am also putting my difficulty before the Chair. अभी जो १५,२० मिनिट का समय मिला उसमें मैंने अजमेर शामलात कमेटियों के बिल पर तैयारी की। यदि पहले कह देते तो मैं इस पर तैयारी कर लेता।

श्री उपाध्यक्ष : पुस्तकें पहले ही पढ़ ली गई हैं, यह तो अलग बात है कि इम्तिहान पहले आ गया।

(विराम)

I quite appreciate the difficulity of the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : The House may be adjourned.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूंगा कि अभी टाइम काफी है, २० मिनिट बाकी हैं, एजेन्डा में मौजूद है, बिल सर्क्युलेट कर दिया गया है, अमेंडमेंट भेज दिये गये हैं। यह कहना कि तैयारी नहीं है, अमेंडमेंट पर आज तैयारी नहीं है, उचित नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : मन्त्रीजी जो बात कह रहे हैं, वे अपने पर ही घटित करते तो अच्छा था....

श्री दामोदरलाल व्यास : लोगों की इच्छा थी इसलिये उसको कंसीडर कर रहे हैं और डेफर करने का निवेदन किया था।

श्री भैरोंसिंह : किसी की भी इच्छा पर डेफर किया हो, लेकिन डेफर करने की बात कह दी, पहले कह देते तो इसके लिये भी तैयार हो जाते। शायद आपने अपने कलीग को भी नहीं कहा होगा इसीलिये शायद वे सदन में मौजूद नहीं हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको उसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। वे यहां नहीं हैं, लेकिन कई मिनिस्टर यहां पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई मिनिस्टर यहां

Page No.110

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है, उसके लिए कल स्पीकर महोदय की रूलिंग हो गई है। उसके अगेन्स्ट आप आचरण करते हैं और स्पीकर साहब की रूलिंग की अवज्ञा करते हैं तो वह आपके ख्याल रखने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : We will not drag that point in. I request Hon'ble Shri Satish Chandra to proceed.

श्री भैरोंसिंह : We are not at all prepared.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So far as the Rajasthan Municipal Elections (Validating) Bill is concrned,......

श्री दामोदरलाल व्यास : If they are not prepared to move the motion, that is not the correct attitude. When they are requested to move the motion they must move.

श्री भैरोंसिंह : The Minister should not be allowed to defer tha He should be asked to...

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of adjustment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, but we are making a request....

श्री उपाध्यक्ष : I will once again request Shri Satish Chandra to move his resolution. He will take 10 or 15 minutes in preparing its Bhoomika. So we proceed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I express my inability and would request the Chair once again that if at all thi Bill is to be taken up it may be taken up tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of only 15 to 20 minutes and we, therefore, now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् ४ बज कर ४२ मिनट पर दिनांक १४-९-६१ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार १३ सितम्बर, १६६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्तम्भ		स्तम्भ
ग्राम चूरू, तहसील उनियारा में 'बड़ा कुंआ' ।	४५१	राजस्थान का गोधन ?	
पशु-पालन तथा सांड खरीदने के निमित्त अनुदान-विकास खंड नोहर-द्वारा ।		राजस्थान राजपत्र में हिन्दी भाषा में विज्ञप्तियां ।	
सवाई मानसिंह हाईवे के आस-पास गंदगी ।		सीकर नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों द्वारा शिकायत ।	
अमीनों के भत्ते का भुगतान ।		उदयपुरवाटी पंचायत समिति की जीप का उपयोग ।	
नोहर नगरपालिका का चुनाव ।		सहकारी समितियों में गबन के मामले ।	
टोंक जिले में मेडिकल सुविधाएं ।		ग्राम चुनाव कार्य में अध्यापकों को यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता ।	
पंचायत समिति के अध्यापकों को वेतन—बस्सी ।		ग्राम पंचायतों के फैसलों की निगरानी ।	
लालसोट कस्बे में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ।		सहकारी समितियों का लेन-देन ।	
डिस्ट्रिक्ट टोंक में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी ।		नला टोडा भीम (सवाई माधोपुर) के पानी से हानि ।	
राजस्थान कैनाल के उद्घाटन अवसर पर व्यय ।		जनाना अस्पताल, जयपुर ।	
खाद के लिये लाइसेन्स ।		नगर परिषद् और विद्युत मण्डल के मध्य विवाद—बीकानेर ।	
बगीची वाले कुंए की मरम्मत-ग्राम इस्लामपुरा, जिला झुंझुनू ।		जिला जालौर को पंचायतों के चुनावों में प्रयुक्त प्राइवेट गाड़ियों का किराया ।	

Page No.112

स्तम्भ

गंगा टॉकीज, जयपुर के पीछे की बस्ती में कुछ असुविधायें।

पंचायत समिति शाहपुरा व बैराठ द्वारा टीन के कोट का वितरण।

नगरपालिका भीलवाड़ा में गबन तथा चोरी।

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्य संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल बैंकों द्वारा कार्य-वाहियां।

राज्य-कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय तथा राज्य कोष में बचत।

झुन्झुनू आयुर्वेद औषधालय को सरकारी अधिकार में लेने की शर्तें।

सन् १९५९ में बूंदी जिले में स्थित गुढ़ा बांध की टूट तथा उससे सम्बन्धित जांच।

स्थगन-प्रस्ताव

शार्दूल टेक्सटाइल मिल्स में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर व्यास एवं श्री लच्छूराम, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये स्थगन–प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की सम्मति श्री अध्यक्ष द्वारा नहीं दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्रम मंत्री, ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

स्तम्भ

विधायी कार्य--विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १९६१ ५३२

उपरोक्त विधेयक पर, आज भी, खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ४–स्वीकार किया गया।

खण्ड ५–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६ से ८–स्वीकार किये गये।

खण्ड १ आदि--स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

२. राजस्थान केसर भोम (उत्सादन) विधेयक, १९६१ ६३६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया। खण्डशः विचार

Page No.113

स्कम्भ

के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

३. राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक, १९६१ — ६६५

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय जिसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १९६१ — ६६७

स्कम्भ

इस विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

सदन की बैठक ४ बजकर ४२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १४ सितम्बर, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १४ सितम्बर, १९६१ की कार्य सूची

(१) पांच विधेयकों का उपस्थापन।

(२) राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के संकल्प पर अस्वीकृति एवं विधेयक का पारण)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

ABSTRACT OF EXPENDITURE INCURRED ON THE INAUGURATION CEREMONY OF RAJASTHAN CANAL PROJECT

1.	Printing of invitation cards including Postage for despatching the same		300.00
2.	(i) Erecting Commemoration piller.	179.00	
	(ii) Laying of marble tablet	100.00	
	(iii) Making model at site.	1000.00	1,279.00
3.	Silver trowel, cost of material for religious ceremony including Dakshna of Pandits,		92.00
4.	Site clearance including lay out and making of roads carriage of water and sprinkling arrangements.		1,651.00
5.	Pitching and unpitching tents at ceremony site Hanumangarh and Sriganganagar.		500,00
6.	Transportation of tents & other equipment camp furniture etc. from Jaipur, Jodhpur & Bikaner to ceremony site & back by Rail & Govt. vehicles.		3,608.00
7.	Cost of water supplied by Railway Deptt. & also from Talwara village including cost of soft drinks served at ceremony site and tea served at Hanumangarh Janction.		2,619.00
8.	Providing ropes and poles for security arrangements as desired by Police authorities.		
9.	Hire & carriage charges of tents shamianas arranged from Shri Ganganagarr&		1, 192.00
10.	Microphone & Loudspeaker cha. ges arranged from Delhi		300.00
11.	Expenditure incurred for providing dinner to M. P's & M.L.A's as per Bill sent by Collector, Sikar.		218.75
12.	Lunch for V.I.P's served by Khasa Kothi management.		3,641.25
13.	Running of special train		10,348.00
14.	Fooding arrangements for Asstt. attendents of V.I.P's and Local guests etc.		1,553.00

]　　　　परिशिष्ट

15.	Telephone & telegram charges as per actual bills	939.00
16.	Decoration & welcome of the Honourable Union Minister & Governor including cost of Zari Garlands etc.	797.80
17.	Expenditure incurred for conveyance of V.I.P s'M.L.As through pool vehicles & transporation of other material on private trucks as per bills sent by Collector, Sriganganagar	1936.69
18.	Importation of Labour and other Misc. charges.	1897.00
19.	Add 1% for contigencies.	329.00
	Total	33298.00
	Say Rs.	33300.00

Chargeable to:　　　　Total 33300.00

68--Irrigation works I works, Main Canal & Branch O.Miscellaneous.

N.B.: In respect of item No. 14 expenditure of Rs. 1,034.15 np. only was incurred and which has been borne by the Municipal Board, Hanumangarh. Thus the expenditure on Lunches, dinner etc. comes to Rs. 3,860/--only.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर देखिये)

S, No.	Truck No.		Name of Operator
1.	R. J. W.	377	Poonamchand MaghJi Vill. Gole.
2.	R. J. Q.	3488	Chhatar Singh Manaklal, Jodhpur.
3.	,,	3359	Hinduraj Erinpura.
4.	,,	1475	Hiraram Laduram of Jodhpur.
5.	,,	3264	Baboolal Khimergarh of Bhawarani.
6.	,,	1046	Jai Narain Jivraj of Jalore.
7.	,,	1757	Lichhman Singh Wali of Jodhpur.
8.	J. & K.	3357	Poonamchand Mohan Lal of Jalore.
9.	R. J. C.	278	Pir Singh, Barmer.
10.	R. J. N.	260	Amolak Lakhapat of Sanchore.
11.	R. J. R.	1112	Rawatlal Gordhan of Sumerpur.
12.	R. J. Q.	408	Mishri Mal Jawanji of Jalore owner. Munni Lal.
13.	R. T.T.	214	Bagatu Khan of Jodhpur.
14.	R. J. Q.	3071	Hira Ram.
15.	R. J. Q.	97	Jai Narain Parkha Nagori Beta Mandore.
16.	,,	906	Dalley Khan owner Noor Mod. of Jodhpur.
17.	,,	1723	Bhop Singh Tulchhaji of Jodhpur.
18.	,,	2863	Juhara Ram Lal Chand of Sanchore.

1	2		
19.	B. Y.D.	5360	Poonamchand of Sanchore.
20.	R. J. Q.	2728	Mangi Lal of Jodhpur.
GOVERNMENT JEEPS.			
1.	R. J N,	229	B. D. O. Sanchore.
2.	,,	214	,, Bhinmal.
3.	,,	190	,, Sayla.
4.	,,	221	,, Ahore.
5.	,,	283	Collectorate Jalore (Pool).
6.	,,	284	—do—
7.	,,	282	—do—
PRIVATE BUSES.			
1.	R. J. N,	239	Shankar Chand Nopa ji, Sumerpur.
2.	,,	133	Phool Chand Iswardas, Jalore.
3.	P. N. P.	813	Virdhichand Ramji, Ahore.
4.	R. J. N.	80	Ganesh Mal Bhagwanji, Jalore.
PRIVATE JEEPS.			
1.	RJN.	33	Partap Chand s/o Babaji,Siyana.
2.	,,	93	Saligram Pragji, Bhinmal.
3.	,,	64	Jawahar Lal Dipaji, Siyana.
4.	RJQ.	2910	Sankal Chand, Kawarada.
5.	RJA.	440	Phoola Bharati Mahant, Gol.
6.	RJN.	75	Jethmal Narsingh, Nosra.
7	D&E	944	Gulabchand.

1	2		3
8.	RJQ.	2478	Achal Das Bhagaji, Siyana.
9.	RJN.	267	Mangalchand, Leta.
10.	RJQ.	31	Khiv Singh, Jodhpur.
11.	RJC.	5214	Sukraj Tarachand, Siyana.
12.	RJQ.	1321	Devichand Dayal Lal, Badanbadi.
13.	RJW.	253	Gomal Norang, Rewtra.
14.	RJN.	34	Partap Chand Kabanmal, Jalore.

Sd/—

COLLECTOR, JALORE

Copy of letter No. F. 15 (30) (Pts)/60/6455 dated 10th Oct., 1960 from The Dy. Secretary to the Government (Panchayats), Jaipur to the Jt. Development Commissioner (Panchayata) Rajasthan. Jaipur.

Sub:--Payment of hire charges for vehicles in connection with Panchayat General Election, 60.

I am directed to convey the sanction of the Governor for payment of Hiring charges and Detention Charges by the Collectors for the private vehicles utilised in connection with the Panchayat General Election, 1960 at the rates given below :—

S No.	Area	Type of vehicles.	Hire per day. On working day.	On non-working day provided the vehicle is in fit condition.
1.	Plains	(a) Buses & Trucks.	25/-	15/-
		(b) Lighter vehicles. (Station wagons Tractors etc.)	15/-	10/-
		(c) Jeeps & Cars.	10.50 N.P.	8/-
2.	Hilly or Desert areas.	(a) Buses & Trucks.	30/-	15/-
		(b) Lighter vehicles (Station wagons, tractors etc.)	20/-	10/-
		(c) Jeeps & Cars.	10.50 N P.	8/-

N.B :— 1. Classification of Plains, Hilly or desert areas will be as per enclosed annexure).

2. "Working day" means the day on which the vehicle is used by the polling party for election work irrespective of the distance actually covered by it.

Petrol and mobile oil engine will be provided by Govt. The owner will have to maintain the vehicle in a fit condition and will be responsible for all repairs and replacements. The driver and the cleaner will be at the Owner's cost. In case no driver is provided in vehicle, the Collector concerned will engage the driver as and when necessary and the cost on this account will be recovered from the owner by a deduction from his

hire and detention charges bills. Similarly during the course of journey, if any spare parts are required to keep the vehicle in running condition and the owner does not provide, these will be purehased by the Collector and cost of the same will also be deducted from the owner's bill.

In case of Government vehicles utillsed for Panchayats Elcetions the cost of petrol and mobile oil shall be paid by the Panchayat Department againat the Budget Head specified below:

The expenditure on account of Hire detention charges and cost of Petrol, Moblie oil etc. will be debit to the head :—

" 57- Miscellaneous charges in connection with village Panchayat Act- (1) Head Quarters -4- other charges - Election Expenses whereunder aditional funds will be provided by means of re-appropriation or supplementary grant."

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their U.O.No. D./1246/F.D./Exp. Group 60 dated 10.10.1960-

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS IN RAJASTHAN IN CONNICTION WITH TRANSPORT RATES FOR GENERAL ELECTIONS, 1960. (PANCHAYAT, PANCHAYAT SAMITIS & ZILA PARISHADS).

S. N. 1	Name of Division. 2	Name of District. 3	Name of Samiti. 4 Panchayat	Classification of area Plain, Hilly & Sandy. 5
1.	Ajmer Division	1. Jhunjhnu	All Panchayat Samitis	Desert.
		2. Sikar.	(1) All Panchayat Samitis except.	,,
			(2) Neemkathana	Half Desert & Half Hilly.
		3. Jaipur	(1) All Panchayat Samitis except.	Plain
			(2) Sambhar	Sandy
			(3) Dudu.	Half plain & half Sandy
			(4) Bairath.	Desert.
		4. Alwar.	(1) All Panchayat Samitis except.	Desert.
			(2) Alwar	Plain
			(3) Ramgarh.	-do-
			(4) Laxmangarh	-do-
			(5) Rajgarh.	Plain & Hilly.
		5. Bharatpur	(1) All Panchayat samitis except.	Plain
			(2) Weir.	Some portions are Hilly.
			(3) Bayana	Hilly.
		6. Sawai Madhopur.	(1) All Panchayat Samities except,	Plain
			(2) Karauli.	Half Plain & half Hilly.
			(3) Sawai Madhopur	Hilly.
			(4) Gangapur.	Half Plain & Half Hilly
			(5 Khandar.	Hilly
		7. Tonk	(1) All Panchayat samitis	Plain
		8. Ajmer	(1) All Panchayat samitis except,	Plain

1	2	3	4	5
			(2) Pushker.	Half plain & half desert.
			(3) Kishangarh.	Half Plain & half desert.
			(4) Beawar.	Hilly
			(5) Masuda.	—do—
Kotah Divisien	9.	Bundi	All Panchayat Simitis	Plain
	10.	Kotah.	All Panchayat Simitis except.	Plain
			(2) Itawa.	Half Plain & half hilly
			(3) Baran.	Hilly
			(4) Chhabara.	--do--
	11.	Jhalawar.	All Panchayat Samitis	Hilly.
Udaipur Div.	12.	Chittorgarh.	(1) Panchayat Samitis. except	Plain
			(2) Begu.	Hilly
			(3) Chittorgarh	Plain & partly hilly
			(4) Pratapgarh	—do—
	13.	Banswara.	All Panchayats Samitis	Hilly
	14.	Dungarpur,	"	"
	15.	Udaipur.	(1) " except.	"
			(1) Mawali	Plain
			(3) Raj Samand	"
			(4) Bhim	"
			(5) Vallabh Nagar	"
			(6) Amet	"
4. Jodhpur Div.	16.	Pali.	(1) All Panchayat Samitis except.	Plain
			(2) Rajpur	Partly desert & partly Hilly
			(3) Kharchi	Partly Hilly & partly plain &
			(4) Pali	Partly desert partly plain.
			(4) Bali	Partly plain & partly hilly.

1	2	3	4	5
	17.	Bhilwara	(1) All Panchayat Samitis except	Plain
			(2) Asind	Some parts of Asind & Zahajpur are hilly.
			(3) Mandal Garh	Hilly
	18.	Sirohi	(1) All Panchayat Samities except	Plain
			(2) Abu	Hilly
	19.	Jalore	All Panchayat Samitis	Desert
	20.	Badmer	"	"
	21.	Jaisalmer	"	"
	22.	Jodhpur	1) " except	"
			(2) Bilada	Plain
			(3) Looni	Half sandy & half plain.
	23.	Nagaur	All Panchayat Samities	Half plain & half desert.
5. Bikaner Div.	24.	Bikaner	(1) All Panchayat Samitis except	Desert
			(2) Bikaner	Plain
	25.	Ganganagar	All Panchayat Samitis	Desert.
	26.	Churu.	"	"

(G. N. Bhanot) I. A. S.
Dy. Secretary to the Government
(Panchayats) Jaipur.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि पत्र दिनांक १७-३-६१ ओर से श्री चण्डीप्रसाद टीबड़ेवाला, संस्थापक वीणादेवी टीबड़ेवाला आयुर्वेदिक औषधालय, झुन्झुनू वास्ते श्री संचालक महोदय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

विषय: भवन गवर्नमेंन्ट आयुर्वेदिक औषधालय, झुन्झुनू के लिये श्री वीणादेवी टीबड़ेवाला आयुर्वेदिक औषधालय झुझुनू भवन।

आयुर्वेद विभाग द्वारा झुन्झुनू में औषधालय खोलने का निश्चय विदित हुआ एतदर्थ धन्यवाद।

औषधालय के लिये हम अपना आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निःशुल्क अर्पित करते हैं। झुन्झुनू में जब तक औषधालय रहेगा यह भवन औषधालय के जुम्मे रहेगा। यह भवन कस्बा झुन्झुनू में मोहल्ला टीबड़ा में सेठ नृसिंहदासजी टीबड़ेवाला की हवेली के सामने श्री नृसिंहदास बालिका विद्यालय के भवन के नीचे के मकान पूर्व में है। जिसका दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है ये दो कमरे हैं इसकी पैमाइश का नक्शा साथ में है। जब तक राज्य सरकार इसमें औषधालय चलायेगी तब तक यह राज्य सरकार के अधिकार में रहेगा बाद में कभी भी राज्य सरकार इसमें औषधालय न चलावे तो यह मकानात मय फर्नीचर के हमें वापिस दे दिया जावेगा।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिए)

विकास खण्ड (पंचायत समिति) नौहर द्वारा २-१०-५६ से पशु पालन तथा सांड खरीदने के लिए दी गई धन-राशि की सूची

क्रमांक १	नाम व्यक्ति २	अनुदान की रकम ३
१.	श्री तेजुराम बिरंगसर	५००) रु०
२.	श्री चुन्नीराम पान्डेसर	१०००) रु०
३.	श्री रामबक्स रामगढ़	१०००) रु०
४.	श्री गोपालराम ऋषिरामा	५००) रु०
५.	श्री पतराम उड़ेला	५००) रु०
६.	श्री रूडाराम ललानियां	१०००) रु०
७.	श्री श्योलाल असाना	५००) रु०
८.	श्री कुरड़ा राम बलालपुरा	१०००) रु०
९.	श्री हरसुखराय ढानीलालखां	५००) रु०
१०.	श्री मोमनराम नीमला	५००) रु०
११.	श्री बजरंगलाल मुकरका	५००) रु०
१२.	श्री करनैलसिंह उनिमारा ढाणी बरानियान	५००) रु०
१३.	श्री गोपीराम ढानी चालान	५००) रु०
१४.	श्री सत्यनारायण लाडनू	५००) रु०

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	नाम जिला	सहकारी समितियों की संख्या जिनमें सन् १६६० व ६१ के मार्च तक गबन के मामलों की शिकायत होने पर विभाग ने जांच की है या जांच की जा रही है ।	उन सहकारी समितियों की संख्या जिनके मामले पुलिस को दिये गये हैं	पुलिस द्वारा इन मामलों में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण	उन सहकारी समितियों की संख्या जिनके गबन के मामले अदालत में पेश किये गये है ।	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	भरतपुर		—	--	—	
		धौलपुर की १५ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से १२ की जांच की जा चुकी है शेष ३ की जांच की जा रही है ।	२	जांच करके १ मामले का अदालत में चालान कर दिया है और एक की जांच हो रही है ।	१ समिति	

१	२	३	४	५	६	७
२	अलवर	६ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से तीन को जांच की जा चुकी है, शेष ३ की जांच जारी है।	३	१ की जांच हो रही है, २ का अदालत में चालान हो चुका है	२ समिति	
	जयपुर	५ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से तीन पुलिस को दिये गये और दो में विभागीय कार्यवाही जारी है।	३	दो मामलों में जांच हो रही है एक का अदालत में चालान हो चुका है।	१ समिति	
८	सीकर	६ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से १ में विभागीय कार्यवाही हो रही है। ४ समितियों के मामले पुलिस को दिये गये हैं।	४	तीन की जांच जारी है एक का चालान अदालत में कर दिया है।	१ समिति	

Page No.128

१	२	३	४	५	६	७
५	झुंझुनू	१ समिति का मामला विभाग के नोटिस में आया जिसको पुलिस में दे दिया गया ।	१	१ मामले की जांच पुलिस में जारी है ।		
६	अजमेर	---	–	–		
७	टोंक	४ समितियों के मामले नोटिस में आये जिनमें विभागीय कार्यवाही जारी है ।				
८	सवाई माधोपुर	६ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से १ की जांच की जा रही है और ५ पुलिस को दिये गये ।	५	५ मामलों की जांच पुलिस में जारी है ।	–	
९	कोटा	११ सहकारी समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से एक पुलिस को दिया गया शेष १० में विभागीय जांच जारी है ।	१	जांच की कार्यवाही जारी है ।	–	
१०	बूंदी	१ सहकारी समिति का मामला विभाग के नोटिस में आया जो विभागीय जांच करके पुलिस को दिया गया ।	१	जांच की कार्यवाही जारी है ।	–	

१	२	३	४	५	६	७
११	झालावाड़	१४ सहकारी समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें जांच की कार्यवाही जारी है।		—	—	\
१२	बीकानेर	२ सहकारी समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से एक का मामला विभागीय जांच करके पुलिस को दिया गया और एक में जांच की जा रही है।	१	जांच की कार्यवाही जारी है।	— —	
१३	श्रीगंगानगर	१ सहकारी समिति का मामला विभाग के नोटिस में आया जिसकी जांच करके पुलिस को दिया गया।	१	समिति का खजानची भाग गया है जिसकी खोज की जा रही है। वारन्ट गिरफ्तारी जारी कराया जा रहा है।	—	
१४	चूरू	५ सहकारी समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनकी रकम वसूल कराकर समितियों में जमा कर दी गई है।	—	—		

१	२	३	४	५	६	७
१५	जोधपुर	६ सहकारी समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से ३ समितियों की रकम जमा कराई गई २ मामले पुलिस को दिये गये और शेष १ में जांच की कार्यवाही जारी है ।	२	जांच की जा रही है । —		
१६	नागौर	१४ सहकारी समितियों के मामले नोटिस में आये जिनमें से २ मामलों की रकम वसूल हो चुकी है शेष १२ में कार्यवाही वसूली जारी है ।	—	—		
१७	सिरोही	१८ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से ५ की रकम जमा कराई जा चुकी है ४ के मामले पुलिस को दिये गये और शेष ६ में विभागीय जांच की जा रही है ।	४	जांच की कार्यवाही जारी है ।		
	पाली	२८ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से जांच में २ में गबन नहीं पाया गया । ४ मामलों की वसूली कराई गई । एक मामला पुलिस को दिया गया शेष २१ मामलों की जांच जारी है ।	१	जांच करके चालान किया समिति गया ।		

Page No.131

१	२	३	४	५	६	७
१९	जालोर	८ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये। जांच में ६ मामले निराधार पाये गये। एक मामला पुलिस को दिया गया और एक में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	१	जांच जारी है।		
२०	शाहगेर	९ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से दो मामले जांच करके पुलिस को दिये गये शेष ७ की जांच की जा रही है।	२	१ मामले की जांच जारी १ समिति है और १ का अदालत में चालान किया गया।		
२१	जैसलमेर	—	—	—		—
२२	उदयपुर	५१ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये। २ मामलों की रकम वसूल हो चुकी है। शेष ९ में विभागीय जांच जारी है।	—	—		—
२३	चित्तौड़गढ़	७ समितियों के मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से ४ की वसूली हो चुकी है। १ मामला पुलिस को दिया गया और शेष २ में कार्यवाही जारी है।	१	जांच की जा रही है।		—

१	२	३	४	५	६	७
२४	भीलवाड़ा	७ मामले विभाग के नोटिस में आये जिनमें से ६ में कार्यवाही जारी है और १ मामले की वसूली हो चुकी है।	—	—	•	—
२५	बांसवाड़ा	—	—	—		—
		२८ समितियों के मामले नोटिस में आये जिनमें से ६ मामले पुलिस को दिये गये शेष में जांच जारी है।	६	३ में जांच जारी है और ३ समितियां और ३ का चालान अदालत में पेश किया गया		
			—			
२६	डूंगरपुर	—				

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, १३ सितम्बर १९६१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४५१	१०	अध्यश	अध्यक्ष
४५२	१६	इसको	इसका
४५७	२०	वाल कस्बे	वाले कस्बे
४५९	१५-१६ व १७	पंचायत समिति के अध्यापकों को	बस्सी पंचायत समिति के अध्यापकों
		वेतन—बस्सी	को वेतन
		६६. भैरोंसिंह	६६. श्री भैरोंसिंह
४६०	१५	एक्चुअली	एक्चुअल
४६१	अन्तिम से २	के रारा	के द्वारा
४६२	१९	आयुर्वदिक	आयुर्वेदिक
४६३	शीर्ष	(ावराजा	(राव‌राजा
,,	अन्तिम से २-१	औषालय	औषधालय
४६८	१३	रामचन्द्ध	रामचन्द्र
४७०	अन्तिम पंत्ति	काश्तकारा	काश्तकारान
४७१	शीर्ष	(राव राजा श्री सरहारसिंह)	(रावराजा श्री सरदारसिंह)
,,	१७	श्री दौलतराम	श्री दौलतराम
४७२	शीर्षक	तारांकेत	तारांकित
४७३	१९	जी नह	जी नहीं
४७६	४	किशनारम	किशनाराम
,,	९-१०	वहां उनको वहां	वहां उनको
४८१	अन्तिम पंक्ति	श्री तनसिंह	विलोपित कीजिये
४८३	शीर्पक	(श्री तनसिंह)	विलोपित कीजिये
४८५	२२	हम ने	हम अपने
४८६	४	धे कोई	वे कोई
,,	१७	गटन	गठन
४८८	अन्तिम से २	८२-६१	८-२-६१
४८९	अन्तिम	ड०	डा०
४९३	१३	क्रा काम	का काम
४९८	१९-२०	Medical and Minister	Medical and Health Minister

१	२	३	४
४६८	२२	accomodation	accommodation
५०३	१६	सदन मेज	सदन की मेज
,,	२०	रेट्स	रेट्स
५०५-५०६	शीर्षक	राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता विधेयक	तारांकित प्रश्नोत्तर
५०६	१४	pecular	peculiar
,,	२२	प्रवधानों	प्रावधानों
,,	अन्तिम से ४	provisi ns	provisions
५१०	६	offlce	office
,,	२७	कर्मचरी	कर्मचारी
,,	२६	श्री बद्रीप्रसाद	श्री बद्रीप्रसाद
५१२	२७	सरकार	सरकार को
५१३	शीर्षक	तारकित	तारांकित
,,	२५	सतीश द्र	सतीशचन्द्र
५१६	१७	यदि हों	यदि हां
५२०	२५	गगानगर	गंगानगर
५२१	१२	उपस्थिति भ्रम स्थित	उपस्थित श्रम स्थिति
५२३	१६	हती है	होती है
,,	अन्तिम पंक्ति	र नहीं	मेजी। यूनियन ने इस पर कोई विचार नहीं
५२४	४	तदुपरंत	तदुपरांत
५२५	११	हड़तल	हड़ताल
५२६	४	ड्रिब्यूनल	ट्रिब्यूनल
५२८	अन्तिम पंक्ति	गप्ता	गुप्ता
५२६	१०	Governet	Government
,,	११	गुष्ता	गुप्ता
,,	१३–१४	रामसिंह	रामसिंह
५३१	१८	यूनयन	यूनियन
५३२	शीर्षक	उद्योगों के लिए राजकीयें सहायता विधेयक	स्थगन-प्रस्ताव
५३६	अन्तिम से ३-४	"delete the first provisio to sub clause [I]"	"delete the first prcviso to sub clause (l)"
५३७	शीर्ष	श्रीं	श्री
,,	२१	[illegible]	यह
३३६	११	कर्मचारी	कर्मचारी

१	१	३	४
५३६	अन्तिम से ३	अमेन्टमेन्ट	अमेन्डमेन्ट
५४४	२१	अप	आप
५४५	४	द्रस्ताव	प्रस्ताव
५४६	२	आन्देशा	अन्देशा।
३४७	२६	फक्ट्रीज	फेक्ट्रीज
५४८	८	बह	वह
५५०	२६	प्रफिट	प्रोफिट
,,	अन्तिम से २	अयत्तं	अध्यक्ष
५५२	२६	इन्डस्ट्र	इण्डस्ट्री
,,	अन्तिम पंक्ति	claues	clsuse
५५३	१४	महत्त्व	महत्व
,,	२४	सहलियतें	सहूलियतें
५५५	२०	नहीं	नहीं
५५६	२४	तरीकों	तरीकों
,,	२६	इसकी	इसका
५५७	१४–१५	spesfic purpos	specific purpose
,,	३०	specific parpose	specifis purpose
५५८	अन्तिम से ४	उद्योगपतियों	उद्योगपतियों
५५९	शीर्षक	उद्यगों	उद्योगों
५६०	२३	पंचयर्षीय	पंचवर्षीय
,,	३०	।येंगे ।	जायेंगे ।
५६१	अन्तिम पंक्ति	उद्देश्व	उद्देश्य
५६३	३	म्युनिसिपैलटी	म्युनिसिपैलिटीज
,,	१६	कांग्रेस की	कांग्रेसी की
५६४	१७	अजीव	अजीब
५६५	२३	yb	by
५६६	४	डिसिक्रमिनेशन	डिस्क्रिमिनेशन
,,	१६	बैटकर	बैठकर
५७०	६	वोडीज	बोडीज
,,	६	dont'	dom't
५७३	२०	दूसर मंशा	दूसरी मंशा
५७४	१६	वड	वुड
,,	अन्तिम पंक्ति	ट्रैस	रेट्स

१	२	३	४
५७६	२–३	I have ' objected to the words' "free of charge.	I have objected to the words, "free of charge"
५७८	२० व २६	क्लॉज	क्लॉज
,,	अन्तिम से ३	tdelete sub clause	delete sub-clause
५७९	१	Governmen	Government
,,	५	provisious	provisions
,,	६	अप्यक्ष महोदय	अध्यक्ष महोदय,
५८२	२३	सकता ।	सकता है ।
५८४	४	opportuniy	opportunity
५८५	२१	बालयब्रिरिंग	बालब्रियरिंग
६८७	४	एम्जेम्प्ट	एग्जेम्प्ट
,,	अन्तिम से ३	लेकिन में	लेकिन मैं
५९२	१८	खरीबी	खराबी
५९४	अन्तिम पंक्ति	are yon	Are you
५९५	२	Goverment	Government
,,	४	Inspestion	Inspection
,,	८	Hon'b e	Hon'ble
५९७	१७	eonpoɹd	produce
५९८	२७	इन्सपेक्र	इन्सपेक्टर
,,	२८	fIne	fine
५९९	अन्तिम से ३	सदस्य का पढ़ा	सदस्य का है; पढ़ा
६०२	१४	his peech	his speech
,,	२४	एटमोस्फायर	एटमोस्फियर
६०४	२३	आज्ञ	आज्ञा
६०५	६	oint, sir	point, sir
६०६	३	amendment s consistnte	amendment is Consistent
,,	१४	co istency	consistency
,,	अन्तिम पंक्ति	जा गे	जायेंगे
६०७	३०	wi-h	with
६८	१	जिक्र न	जिक्र नहीं
६०९	अन्तिम पंक्ति	Companiss	Companies
६१२	शीर्षक	राजकीय सहायता	राजकीय सहायता विधेयक

१	२	३	४
६१२	२२	requires "to	requires
६१३	१७	Governnent	Government
६२०	४	ओर	और
६२१ से ६२४	शीषक	राजस्थान कसर मोम विधेयक १६६१	राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १६६१
६२१	५	I fnvite	I invite
६२४	७—८	explananaion	Explanntion
,,	१३	It is	It is not
६०८	१७	i s candal	is scandal
६२६	,,	Minfster tin charge	Minister-in-charge
६३३	६	जब जानते	तब जानते
६३६—६६६	शीर्षक	राजस्थान कसर मोम विधेयक, १६६१	राजस्थान कसर मोम (उत्पादन) विधेयक, १६६१
६३७	२०	स्थति खराब	स्थिति खराब
,,	२१	चेष्ट कि	चेष्टा की कि
६३८	१	प्राप्त हा	प्राप्त हो
,,	५	लगा गया	लिया गया
,,	६	अगेस्ट में	अगेन्स्ट में
६३६	२	आना य	आना या
,,	८	श्री भैरसिंह	श्री भैरोंसिंह
६४२	३	यही भी	यह भी
,	२०	याइनोरिटी	माइनोरिटी
६४३	१	सेक्रेटेरियेट	मिलें तो सेक्रेटेरियेट
,,	१२	क्य कि यह	क्योंकि यह
,,	अन्तिम से २	वज रहे	वंशज रहे
,,	अन्तिम	हस्तिानापुर	हस्तिनापुर
६४४	४	पृथ्यीराज के	पृथ्वीराज के
,,	६	टेदार बनाकर	पट्टेदार बना कर
,,	अन्तिम से ७	हजार अदम	हजार आदमी
,,	अन्तिम	उस समयी	उस समय
६४५	१	भंकर संघर्ष	भयंकर संघर्ष
६४७	शीर्षक	कसर मम	कसर मोम
,,	शीर्ष	नरेंद्रसिंह	नरेन्द्रसिंह
,,	अन्तिम से ५-४	ये और चीजें	ये चीजें और
६४६	१५	वर्ताव नहीं	बर्ताव नहीं
६५०	१६	आपश्यक है	आवश्यक है

१	२	३	४
६५०	२१	सलिति के	समिति के
६५१	६	तो यहां	तो वहां
,,	६	प्रेसीडेन्ट	प्रेसीडेन्ट
,,	अन्तिम	अब रहा	अब रहा सवाल माननीय सदस्य जो टूटू
६६०	अन्तिम से ५	resported by	reported by
६६४	२०	२२ लाख	२२ गुना
६६५	१३	एन्टेंनमेंट्स	एन्टरटेनमेंट्स
६६६	१६	एन्टटमेंस	एन्टरटेनमेंट्स
,,	अन्तिम से ४	कुछ शोधन	कुछ संशोधन
६६७	,, ,, ५	dififculty	difficulty
६६८	५	difficuliy	difficulty
६७०	शीर्षक	निर्वाचन वैधसग	निर्वाचन (वैधकरण)
६७७	शीर्षक	६७	६७७
,,	२१	Jonction	Junction
,,	२५	Ganganagarr	Ganganagar
,,	२६	cha , ges	charges
६७८	अन्तिम से ५	miscllaneous	miscellaneous
६८३	३	pureohased	purchased
,,	५	utilsed...Elcetions	utilised...Elections
,,	७	a inat	against
,,	६	Moblie	Mobile
,,	१२	aditunial	additional
६८४	२	CONNCTION	CONNECTION
,,	६	Disrict	District
,,	सीरियल ६ कॉलम २	Madopur	Madhopur
६८७	अन्तिम से ५	भवन के	भवन के
६९०	,, २	से में	से ५ में

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ	१०	मनोर जन	मनोरंजन
,,	१५	वैद्यकरण	वैधकरण
४६४	शीर्षक	तार कित	तारांकित
४६२	१७	षंचायत	पंचायत
५१३	२५	श्री ल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५६६	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
६७६	,,	संणित	संहिता